राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या 25

बुधवार,

दिनांक 2 अप्रेल, 1969.

विधान सभा की बैठक प्रात: 11 बज कर 2 मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन स्वास्थ्य, राजस्व स्वायत्त शासन, शिक्षा, समाज कल्याण उद्योग, गृह, सार्वजनिक निर्माण, खनीज, जलप्रदाय]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न संख्या 639

श्री आईदानसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 640

श्री हरीभाई ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 641

श्री देवीदत्त गाडिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 642

श्री गंगासहाय ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 643

श्री रामनारायण चौधरी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 644

श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 645

श्री लाभचन्द वैद

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमीलाल यादव ।

सड़क की मरम्मत

646. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बहरोड़ कुण्ड सड़क के दसवें-ग्याहरवें मील की मरम्मत हुए कितने वर्ष हो गये हैं? यदि निश्चित समय से अधिक हो गया है तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मत कराने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री अमीलाल यादव)

(2) क्या यह सही है कि मागरी कलां से नीमराना सड़क भी निश्चित समय निकलने के कारण बिलकुल खराब हो चुकी है? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत कराने हेतु स्वीकृत धनराशि को विथड्रा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों, और अब यह सड़क कितने समय में ठीक कराई जा सकेगी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बहरोड़-नारनौल सड़क पर पुलिया बन्धने की जो धनराशि स्वीकृत है उसे भी विथड्रा इस वर्ष कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? और अब उन पुलियों को कितने दिन में पूरा कराया जावेगा?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह, भैंसवाड़ा) : (1) लगभग 12 वर्ष का समय हो गया है। केवल मील 11 का मरम्मत कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है।

(2) सड़क की दशा सन्तोषप्रद नहीं है। केवल एक मील का दिया हुआ काम वापस लिया गया है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है। धनाभाव के कारण पुलिया निर्माण की अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या 647

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 648

श्री रामानन्द अग्रवाल।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 649

श्री कृष्णकुमार गोयल।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 650

श्री देवीलाल बुरासिया।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

गजसिंहपुर में शुगर फैक्टरी

651. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में किसानों से कई वर्ष पहले हजारों रुपया यह कह कर लिया गया था कि गजसिंहपुर स्थान पर सहकारिता के आधार पर एक शुगर फैक्टरी गंगानगर के अलावा और लगाई जावेगी?

(2) यदि हां, तो अब इस फैक्टरी के संबंध में सरकार क्या सोच रही है, और कब तक इस फैक्टरी को चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) किसानों से जो रुपया लिया गया था वह कुल कितना है और इस समय कहां जमा है?

(4) क्या यह सही है कि इस समय गंगानगर जिले में अधिक गन्ना पैदा होने लगा है जिसे गंगानगर फैक्टरी पूरा नहीं ले पा रही है?

(5) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले का जो गन्ना किसानों से नहीं लिया

Page No 3

(श्री हंसराज आर्य)

गया वह बाकी बचा हुआ है और पंजाब के गांवों का गन्ना गंगानगर की शुगर फैक्टरी में लिया जा रहा है ?

(6) क्या भविष्य में यह प्रबन्ध किया जावेगा कि पंजाब से गन्ना गंगानगर की शुगर फैक्टरी में न आये और वहीं के किसानों से गन्ना लिया जावे ?

(7) क्या यह सही है कि गंगानगर फैक्टरी को गन्ना दिलवाने के लिए किसानों पर यह पाबन्दी लगाई गई थी कि इतने मील के क्षेत्र में किसान अपने गन्ने से गुड़ नहीं बना सकते ?

(8) जब फैक्टरी सारे गन्ने को नहीं ले रही है तो क्या किसानों पर लगी उपरोक्त पाबन्दी को उठाने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन): (1) जी हां, रुपया सहकारी समिति के शेयर की राशि के रूप में लिया गया था।

(2) यह समिति अवसायन (लिक्विडेशन) में लाई जा चुकी है अतः अब फैक्टरी चालू होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) किसानों से कुल 3,40,945 रुपया लिया गया था जिसमें से 3,24,945 रुपया क़िसानों को वापिस-लौटा दिया गया है। शेष राशि (रुपया 16,000) गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गंगानगर व रायसिंह नगर ब्रान्च में जमा है।

(4) जी नहीं। इस समय जो गन्ना पैदा हो रहा है उसे गंगानगर शुगर मिल्स पूरा ले रही है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी हां। पाबन्दी फैक्टरी गेट से 20 मील व कलेक्टिंग सेन्टर से 10 मील की परिधि में ही है। लेकिन वे उपज के 25 प्रतिशत गन्ने का उपयोग कर सकते हैं।

(8) किसानों से सारा गन्ना लिया जा रहा है, अतः उक्त पाबन्दी हटाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री हंसराज आर्य : क्या भविष्य में दूसरी फैक्टरी खोलने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह जो फैक्टरी खोलने की बात थी कोआपरेटिव सेक्टर में थी। इसलिये इण्डस्ट्री विभाग इस बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकता। जहां तक इण्डस्ट्रीज विभाग का सवाल है इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन डिपार्टमेन्ट के पास पेण्डिग नहीं है, जिस पर विचार किया जा सके।

श्री हंसराज आर्य : क्या पब्लिक सेक्टर में खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

प्रश्न संख्या 652

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

Page No 4

तहसील सराड़ा में सड़क निर्माण

653. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में चावण्ड से थाना डींगरी रेलवे स्टेशन, सल्लाड़ा बसी सलूम्बर सड़क को पंचवर्षीय योजना में ली गई है?

(2) यदि हां, तो उक्त सड़क पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है? और इस सड़क का निर्माण कब कराया गया था?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (1) सराड़ा, चावण्ड, पलोदड़ा तथा बसी, डींगरी रोड योजनाओं में स्वीकृत की गई है।

(2) सराड़ा पलोदडा सड़क पर 5,93,666 तथा बसी–डींगरी रोड पर 58,121 रुपया व्यय हुआ है। उक्त दोनों सड़कों पर निर्माण कार्य 1958 में शुरू किया गया था।

श्री देवीलाल : मैंने पूछा कि चावंड, थाना और डींगरी स्टेशन, सल्लाडा, बसी, सलूम्बर जो पहले से चल रही है उस सड़क के लिये जवाब चाह रहा हूं। इसकी क्या प्लान में लेने की योजना बनाई है या इस पर पहले कितनी धनराशि खर्च की गई? यह जानकारी चाही है।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन करूं कि डींगरी रेलवे स्टेशन पर सड़क बनाई है। 8 मील डींगरी से सल्लाडा, बसी और चावंड से थाना पहले से मेटल्ड रोड है। अब बसी तक बन गई है। कहां की और फर्मा रहे हैं?

श्री देवीलाल : यह बसी तक बन गई है। पर पुलियाएं नहीं बनाई हैं। गोमती नदी के पास। तो इस पर बस नहीं चल सकती जिसके चलाने के लिये यह सड़क बनी है। तो इस पैसे के खर्चने से क्या फायदा हुआ?

श्री माधोसिंह : धनाभाव से पुलिया नहीं बना सके हैं। चौथी योजना में इस हिसाब से ध्यान रखा जावेगा।

श्री देवीलाल : पहले इस सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 654

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 655

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

राष्ट्रीयकृत पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की पुस्तकें

656. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पाठ्यक्रम की अंग्रेजी की सारी पुस्तकें विदेशी पब्लिशरों द्वारा प्रकाशित हैं?

(3) यदि हां, तो कृपया इन विदेशी पब्लिशरों के नाम बतायें।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(4) भारतीय प्रकाशकों तथा भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित और लिखित पुस्तकों को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं रखा जाता?

(5) क्या कोई भारतीय प्रकाशक नहीं है जो अंग्रेजी की पुस्तकें प्रकाशित करता हो?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां।

(2 व 3) मण्डल द्वारा निम्न प्रकाशकों की अंग्रेजी विषय की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं:

(1) मैसर्स रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा, न्यू मेथड इंग्लिश कोर्स प्राईमरी (कक्षा 5 अथवा 6 के लिये)।

(2) मैसर्स मेकमिलन एण्ड कम्पनी, बम्बई मोडल स्ट्रक्चरल रीडर्स बुक 1, 2 व 3 (कक्षा 6,7 व 8 के लिये)।

(3) मैसर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, दीपक रीडर्स बुक 1, 2 व 3 (कक्षा 6, 7 व 8 के लिये)।

(4) मैसर्स ओरियण्ट लांगमैंन्स एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, न्यू प्लान इंगलिश रीडर्स बुक 1, 2 व 3 (कक्षा 6, 7 व 8 के लिये)।

(5) मैसर्स एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, न्यू रेडियेंट रीडर्स बुक 1, 2 व 3 (कक्षा 6, 7 व 8 के लिये)।

(4 व 5) पुस्तकों का चयन उनमें उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखकर किया जाता है। उक्त पुस्तकों का चुनाव अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। पुस्तकों के चयन करने में देशी या विदेशी प्रकाशकों में कोई भेद भाव नहीं रखा जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि विदेशी और देशी लेखकों और पब्लिशर्स में कोई भेद भाव नहीं रखा है इसलिये ही प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लांगमैन और मैकमिलन की पुस्तकें क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्या भारत में कोई पब्लिशर्स नहीं है?

श्री धीरसिंह : भारत के पब्लिशर्स और बाहर के पब्लिशर्स जितने भी हैं अपने यहां पर कमेटी सिलेक्ट की गई है, उनको इस बात का मौका दिया गया था। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसके जॉन साहब चैयरमेन हैं और प्रेमलता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री धीरसिंह : जो महारानी कॉलेज में हैं और बी० एस० जोशी हैं। इस प्रकार तीन मैम्बर्स की कमेटी है। जो भी बक्स यहां पर पेश की हैं इंडियन और फॉरेन आथर्स की वह यहां के मेथड को दृष्टिकोण में रखते हुये ही चयन की गई हैं। यह क्राईटेरिया नहीं है कि कौनसे आथर की रखी जाय जो बेस्ट मेथड की बुक्स थीं वह रखी है। इंडियन आथर्स की भी हैं इस तरह की बात नहीं है कि फॉरिन आथर्स की और फॉरिन पब्लिशर्स की ही रखें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं इतना लम्बा जवाब नहीं चाहती। मैंने तो

Page No 6

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

साफ पूछा है कि विदेशी पब्लिशरों की पुस्तकें हमारे यहां की राष्ट्रीयकृत पाठ्यमाला मे क्यों पढ़ाई जाती हैं ? क्या आज भारत में कोई पब्लिशर नहीं है या ऐसा कोई लेखक नहीं है कि वे हमारे यहां की पुस्तकें लिख, सके।

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक बात यह है कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, हम यह नहीं देख सकते कि कोई लेखक हमारे यहां है या नहीं है। वैस्ट जो अवेलेबिल होती है। कमेटी की ओपीनियन लेने के बाद ही उनको ली गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं घोर विरोध करती हूं। हमारे यहां के आथर्स की क्यों नहीं रखी जाती है, यह जवाब दें ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो किताबें लिखते हैं, उनकी पुस्तकें सिलेक्शन कमेटी के सामने रख दी जाती हैं। वे जो ठीक समझते हैं उनको ले लेते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हमारा धन जो बाहर जा रहा है क्या आप इसको रोक नहीं सकते हैं ?

श्री धीरसिंह : विदेशी टैक्स्ट बुक्स हैं वह हमारे स्ट्रक्चर और मेथड के मुताबिक हैं और ज्यादा एप्रोप्रियेट बुक्स एवेलेबिल कर सकते हैं तो इंगलिश पढ़ाने के लिये. मेरे खयाल से यह ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो अंग्रेजी का स्टेंडर्ड गिरेगा और जो अभी स्टेंडर्ड है वह नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर का क्या नतीजा है ? क्या हिन्दुस्तान में कोई बच्चों के लिये पुस्तक नहीं लिख सकता है जो आज तक मेकमिलन और लांगमैन की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। यह शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय, हम आज भी लन्दन का मुंह देखते हैं और पांचवीं व छठी क्लास के लिये भी बाहर के पब्लिशर्स की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जब तक अंग्रेजी पढाई जाती है और जब तक अंग्रेजी की पॉलिसी है तो अंग्रेजी के लेखकों का मुंह देखना पड़ेगा। यह बड़ा इम्पॉरटेन्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाय या नहीं पढ़ाई जाय, लेकिन जब तक अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी लेखकों और अंग्रेजी पब्लिशर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जोर देकर फिर प्रश्न करूंगी कि जब तक अंग्रेजी पढ़ाई जायगी हम विलायत का मुंह देखते रहेंगे यह शर्म की बात है। हमारा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जबकि हिन्दुस्तान में एक से एक बढ़कर अंग्रेजी के विद्वान ह.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : फिर भी हमें अंग्रेजों का मुंह देखना पड़ेगा। अंग्रेजों के नाम भी ऐसे ऐसे हैं जान विलियम...... आदि आदि क्या हमारे बच्चे उनको पढ़ सकेंगे ?

Page No 7

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि अंग्रेजी भी हम पढ़ायेंगे और यह भी कहना कि अंग्रेजों का मुंह नहीं देखना पड़े यह बात ठीक नहीं है। अमेरिका जब अंग्रेजी शुरू की तो उन्हें भी शुरू में इंगलेंड का मुंह देखना पड़ा था। यह पॉसिबिल नहीं है। हमारे वाइस चैयरमैन भी हो सकते हैं शिक्षक राइटर भी हो सकते हैं, पोइट भी हो सकते हैं लोअर क्लॉस के स्टेंडर्ड के लिये किताबें लिखने की कोशिश करें हम डिस्क्रिमिनेट करें तो एक बात है वे नीचे के क्लॉस के लिये किताबें लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें हमारा दोष नहीं है। हमने तो एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है, उसकी ओपीनियन को मानते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : क्या यह शिक्षा विभाग का दोष नहीं है कि उन्होंने किसी भारतीय लेखक से नहीं कहा है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

प्रश्न संख्या 657

श्री रामसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 658

श्री प्रेम सिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 659

श्री लक्ष्मण टानीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 660

श्री सूवा लाल चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बामसीण वाटर वर्क्स से खंडप को पानी

661. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बामसीण वाटर वर्क्स से खंडप जल पहुंचाने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन से एक मील दूर पूर्व की ओर करमावास ग्राम पड़ता है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की ग्राम पंचायत ने अपने वहां पाइप लाइन लाने के लिये विभाग में अपने हिस्से की राशि जमा करा दी है?

(4) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) योजना बनाई जा रही है योजना की स्वीकृति के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी तक योजना बनाई नहीं गई है?

श्रीमती सुमित्रा : योजना बन ही नहीं चुकी है बल्कि पानी भी दिया जा रहा है। करमावास की जो योजना है पानी देने की वह विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके लिये पंचायत ने कब राशि जमा करा दी थी ?

श्रीमती सुमित्रा : 7-3-67 को ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 7-3-67 को पंचायत ने राशि जमा करा दी थी फिर भी करमावास की योजना में देरी का क्या कारण है ?

श्रीमती सुमित्रा : राशि तो सभी लोग जमा करा देते हैं लेकिन राशि जमा कराने के बाद में जैसा आप जानते हैं स्कीम बनाते हैं, टैक्निकल एप्रवल होता है, एस्टीमेट बनत हैं और फिर पैसा बड़ी चीज है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस योजना को कब शुरू करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : अब शीघ्र ही लेने का इरादा है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 662

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 663

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 664

श्री रामचन्द्र आर्य ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 665

श्री दौलतराम सारण ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 666

श्री विजय सिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 667

श्रीमती शिव कुमारी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 668

श्री नन्दलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न (21-3-71)

सैनिकों को कृषि भूमि

442. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1967 व 1968 में अब तक भूतपूर्व सैनिकों, मोर्चों पर तैनात सैनिकों व युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को किस-किस जिले में कितनी-कितनी कृषि भूमि मुफ्त दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, भू०, सैनिक (श्री खेतसिंह) : वर्ष 1967 व 1968 में विभिन्न जिलों में भूतपूर्व सैनिकों, मोर्चों पर तैनात सैनिकों व युद्ध में मृत सैनिकों को कुल 53,512 बीघा और 17 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा: कौनसे जिले में सबसे कम भूमि दी गई है?

श्री खेतसिंह : सबसे कम भूमि बांसवाड़ा जिले को दी गई है।

श्री नन्दलाल बैरवा : सबसे ज्यादा भूमि सैनिकों को कहां दी गई है?

श्री खेतसिंह: सबसे ज्यादा भूमि गंगानगर जिले को दी गई है। 14,781 बीघा भूमि दी गई है।

श्री नन्दलाल बैरवा : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि 53,512 बीघा भूमि जो दी गई है सैनिकों को वह कसे-कैसे दी गई है?

श्री खेतसिंह : जो भूमिहीन थे उनको तो रेवेन्यू कानून के तहत 15 बीघा भूमि दी है और युद्ध में मृतकों को एक-एक मुरब्बा जमीन गंगानगर में नहर में दी गई है। उनको खातेदारी हक मिल जाते हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा : बीकानेर जिले में सबसे कम क्यों है?

श्री खेतसिंह : बीकानेर में रेगिस्तानी भूमि होने की वजह से लोगों ने मांगी नहीं है। मृतक सैनिकों को राजस्थान नहर में दी गई है इसलिये ज्यादा जमीन है।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर जिले में 418 बीघा भूमि दी गई है, इसमें एप्लीकेशन कितनी आई है, यह बताने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न अलग से है। उदयपुर में 418 बीघा जमीन दी है इतनी ही एप्लीकेशस दी होगी।

एक माननीय सदस्य : अदिवासी जिले वालों को भूमि कब तक दे रहे हैं?

श्री खेतसिंह : कार्यवाही चल रही है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : जो सैनिक पाकिस्तान के युद्ध में मारे गये हैं क्या उनको सबको भूमि दे दी गई है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री के प्रश्न को ढूंढता ही रह रहा हूं आपने स्थगित प्रश्न का जवाब कैसे दे दिया। अभी तो सामान्य प्रश्न ही बाकी हैं। आप स्थगित प्रश्न पर चले गये।

श्री नन्दलाल बैरवा : आपने नाम पुकारा और मैंने प्रश्न संख्या बता दी आपने कोई आब्जेक्शन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित प्रश्न है। आब्जेक्शन आपकी ओर से होना चाहिये था। यह स्थगित प्रश्न ले लिया गया है।

प्रश्न संख्या 669

श्री ओमदत्त भाटी।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बासोतिया।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या 670 उन्होंने लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं है रेकार्ड में।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी सेवा में पेश कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्री।

नगरपालिका, नवलगढ़ का विशेष ऑडिट

670. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) की अनुपस्थिति में [श्री मूलचन्द

(श्री सांवरमल बासोतिया) डागा (पाली) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नवलगढ़ के कुछ सदस्यों ने पालिका को विशेष ऑडिट करवाने की मांग राज्य सरकार से की थी ? यदि हां, तो कब और राज्य सरकार ने उस मांग पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1966-67 एवं 1967-68 की जनरल ऑडिट में उक्त पालिका के हिसाब-किताब में कुछ गम्भीर आपत्तियां उठाई हैं ? यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या ऑडिट पार्टी द्वारा यह भी एतराज उठाया गया है कि पालिका के निलम्बित अध्यक्ष, श्री केशवदेव के विरुद्ध हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एक हजार रुपया पालिका कोष में से खर्च कर दिया गया जबकि पालिका के विरुद्ध हाई कोर्ट में कोई मामला नहीं था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पालिका के इस धन को उन सदस्यों से वसूल करने का इरादा करती है जिन्होंने इस राशि को खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो विलम्ब किस कारण से हो रहा है ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) माह दिसम्बर, 1968 में संचालक स्थानीय निकाय को मांग प्राप्त हुई थी। मांग में ऑडिट के लिए कोई विशेष मुद्दे न होने से जिलाधीश झुंझुनूं को जो नगरपालिकाओं के नियन्त्रण अधिकारी हैं नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है।

(2) जी हां, नगरपालिका द्वारा वर्ष 1966-67 की ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 20-6-68 का नियन्त्रण अधिकारी को भेज दी है। वर्ष 1967-68 की ऑडिट रिपोर्ट नगरपालिका के पास कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। ज़िलाधीश नियन्त्रण अधिकारी हैं, इसलिये सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(3) जी हां। श्री केशवदेव के विरुद्ध मामला न्यायिक जांच में चल रहा है। चूंकि यह भी मामला न्यायिक जांच में है, इसलिये निर्णय हो जाने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट, श्री शंकरलाल।

अधिग्रहण की गई भूमि

671. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 7-6-68 को विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश जारी किया कि 90 स्टेंडर्ड एकड़ से अधिक की भूमि तत्काल अधिग्रहण की जावेगी ?

(2) यदि हां, तो उक्त आदेश के तहत राजस्थान में कितनी भूमि किस-किस जिले में अधिग्रहण की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) अभी सब जिलों से सूची प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शंकरलाल : सूची तो प्राप्त नहीं हुई है लेकिन कहां कहां ली गई है और किस किस जिले में ली गई हैं यह सूचना तो सरकार के पास है या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, अभी तक चार जिलों में लगभग 2,655 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, भरतपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, झुंझुनूं।

श्री शंकरलाल : दूसरे जिलों में अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : कार्यवाही चालू है और शीघ्र ही की जायगी।

श्री शंकरलाल : क्या कार्यवाही जारी है ? कार्यवाही स्पष्ट नहीं है। जो सूचना जारी की थी उसमें सिर्फ कहा था तो इतने अर्से के बाद क्या कार्यवाही जरूरी समझते हैं आप ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जिन-जिन जिलों की सूचना आई है वह बतादी है। बाकी के लिए सूचना नहीं आई है इसलिए नहीं कह सकते।

प्रश्न संख्या 672

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिय)

प्रश्न संख्या 673

श्री महेन्द्रसिंह पवांर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(26-2-69 व 20-2-69)

प्रश्न संख्या 35

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(27-2-69 व 20-3-69)

प्रश्न संख्या 69

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

स्थगित प्रश्न

(13-3-69 व 20-3-69)

नगरपालिका पाली द्वारा भूमि की नीलामी एवं आवंटन

128. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान नगरपालिका, पाली ने अपने अवधिकाल में पाली नगर की किन-किन कॉलोनी की कितनी-कितनी भूमि नीलाम की या भूखंड आवंटन किए या बेचे और कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कॉलोनी से प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिन कॉलोनी से भूखंड की जो रकम आती है वह उस कॉलोनी के विकास हेतु खर्च होनी चाहिए ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च की गई और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या यह सत्य है कि वर्तमान नगरपालिका, पाली द्वारा कॉलोनीज के भूखण्डों को नीलाम करके और बेचान करके या आवंटन करके जो रकम प्राप्त की वह उन कॉलोनीज के विकास में खर्च नहीं करके अन्य कामों में खर्च कर दी गई? यदि हां, तो सरकार नगरपालिका, पाली के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) भूमि विक्रय से प्राप्त समस्त आय को नगरपालिका, पाली के क्षेत्र में विकास कार्यों पर ही व्यय किया गया है। अन्य कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : किस-किस कार्य में व्यय किया गया है? कौन कौन से कार्य में किया है, यह आप बतलायेंगे?

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है कि यह किन कामों में खर्च हुई है जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जितना भी पैसा आया था वह विकास कार्यों में ही खर्च हुआ था।

श्री मूलचन्द डागा : जो विकास कार्य में खर्च हुआ है तो कौन-कौन से विकास कार्यों में खर्च किया गया है। यह जो 33 हजार विनयनगर का बतलाया है कि 33 हजार की रिकवरी वहां से की गई है, तो विनयनगर में कौन से विकास के कार्य हुए हैं?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य, जिस स्कीम के अंदर जितना पैसा दिया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस स्कीम के अन्दर जितना पैसा हो उतना ही खर्च भी किया जाय। विकास सारी म्युनिसिपेलिटी का होता है। जहां से जितनी इनकम होती है वह उसी वार्ड में खर्च होना चाहिए यह आवश्यक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नजूल कमेटी बैठती है और उसका यह निर्णय होता है कि इतनी रकम इस कॉलोनी से वसूल की जायगी और वह उस कॉलोनी के विकास कार्य में खर्च की जायगी रोड्स, लाइट सीपेज लाइन वगैरह में। यह आपको मालूम होना चाहिए कि नियम क्या है? आप इस तरह से उत्तर दे रही हैं। कृपा करके बताइये कि 54,750 रु० आपने आदर्श नगर से वसूल किया है तो आदर्शनगर में क्या डेवलपमेंट किया है? जो आपने रकम बताई है 33 हजार विनयनगर से, आदर्शनगर से 54 हजार और तिलकनगर से 25 हजार तो यह बताइये कि किस-किस कॉलोनी में क्या क्या काम हुए हैं और किस-किस विकास कार्य के लिए खर्च हो रहा है?

श्रीमती सुमित्रा : तो उसमें अलग से प्रश्न कहां से पूछा है कि किस पर कितना खर्चा हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : तो आपने योजना देखी है कि योजना कैसी बनी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब किसी कॉलोनी की योजना बनती है तो कुछ

(श्री मूलचन्द डागा)

प्लॉट बेचे जाते हैं और कुछ एलॉट किये जाते हैं, और वह सारी धनराशि उस कॉलोनी में विकास के निमित्त खर्च की जाती है, और उस कॉलोनी का विकास होता है और उसका अलग फण्ड रखा जाता है। महरबानी करके वापस प्रश्न का उत्तर देकर सूचित करें कि यह रकम चार लाख बतलाई है वह चार लाख की धनराशि उन कॉलोनीज पर खर्च नहीं की गई है और वे सारी कॉलोनीज उससे वंचित रह गई।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जितनी उससे इनकम हुई है भूमि के विक्रय से वह उसी नगर के विकास में खर्च की गई है। अलग-अलग जो स्कीम्स थीं उन स्कीमों से जो पैसा प्राप्त होता है वह उन्हीं पर लगाया जाय यह नगरपालिका के नियमों में कहीं लिखित नहीं है। यह सारे का सारा पैसा नगरपालिका के विकास कार्य के लिए खर्चा किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगी कि नगर में कॉलोनी बनाने की क्या वजह थी और क्या स्कीम बनी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि हर कॉलोनी में जो धन की प्राप्ति होती है उसका अधिकांश हिस्सा उसके विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए। यह एक सिद्धान्त की बात है। यह होना ही चाहिए, लेकिन कुछ कॉलोनीज ऐसी हों कि जो कि कॉफी विकसित हों तो खर्च कम भी हो सकता है तो उसका पैसा दूसरी कॉलोनीज में खर्च किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए नगरपालिका से पूछा जायगा कि उन्होंने पांच लाख रुपये खर्च करने की बात बतलाई है तो उसकी विगतवार जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कभी नजूल कमेटी की मीटिंग होती है तो टाउन प्लानर, इन्जीनियर और नगरपालिका का रिप्रेजेन्टेटिव और कलेक्टर एज चेयरमेन बैठते हैं, और उस कॉलोनी से जो रकम प्राप्त होती है वह प्राप्ति एक जगह एक फण्ड में रखी जाती है और उस फण्ड को उस कॉलोनी के विकास हेतु खर्च किया जाता है। इसलिए महरबानी करके इसकी दुबारा जांच करा लें।

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

प्रश्न संख्या 392

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 424

श्री फूलचन्द बाफना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे बाफनाजी का प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। इसलिए इसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चोहला।

स्थगित प्रश्न

(21-3-69)

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

449. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिलान्तर्गत कस्बा लक्ष्मणगढ़ के निवासियों पर जो नगरपालिका सीमा में वह बहुत वर्षों पहले के आबाद हैं उन पर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत केस कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों में अधिकांश हरिजन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि यह केस इनके आबाद होने के वर्षों बाद वर्तमान तहसीलदार के आने के बाद इनको परेशान करने के लिए बनाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति अपनी अपनी जमीनों पर बहुत वर्षों पहले के आबाद हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े पुख्ता मकान बने हुए हैं ?

(5) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) **सूची** सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन 24 व्यक्तियों में 9 अनुसूचित जाति के हैं।

(3) यह सही नहीं है। इन व्यक्तियों पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत अतिक्रमण किये जाने के कारण 1963 में केसेज बनाये गये थे जो अब तक तहसीलदार के विचाराधीन हैं। वर्तमान तहसीलदार द्वारा कोई केस दायर नहीं किया गया है।

(4) इन अतिक्रमणकारियों के इस भूमि पर पुराने कब्जे हैं और इनमें से कुछ ने पक्के मकान भी बना रखे हैं।

(5) राजस्व कानून एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्यवाही होगी।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री नथमल चोहला : सरकार इसका निपटारा कब तक कर लेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी हाल ही में 28 फरवरी, 68 को एक आदेश जारी किया था उसके अनुसार नगरपालिकाओं के 3 मील के एरिये के अन्दर जो भी अतिक्रमण या परिवर्तन हैं वह नियमित नहीं किये जा सकेंगे इसलिए हो सकता है धारा 91 की कार्यवाही की जाकर उनको बेदखल किया जाये। हाल ही में वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि नगरपालिकाओं के अमुक एरिया में जो भी परिवर्तन कराना चाहेंगे उनको अलग-अलग दरों पर किया जा सकेगा। वह योजना चालू होगी उसके अन्तर्गत ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

श्री नथमल चोहला : क्या यह सही है कि यह जो खातेदार हैं उनका पुराना कब्जा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : हो सकता है लेकिन अतिक्रमण है।

श्री नथमल चोहला : क्या मंत्रीजी बता सकेंगे कि कितना पुराना कब्जा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कितने वर्षों से है अलग अलग मामले की जानकारी नहीं है लेकिन राज्य की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण चाहे जितना ही पुराना हो उसके विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

स्थगित प्रश्न संख्या 474

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या 480

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमीलाल यादव।

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

तहसील बहरोड़ के ग्रामों की जल-प्रदाय योजनायें

559. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार की नीति तीन हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में जलप्रदाय योजना चालू करने की है ? यदि हां, तो तहसील बहरोड़, जिला अलवर में इस योजना में कौन-कौन से ग्राम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम कुतीना एवं रोडवाल, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की जनता द्वारा जन सहयोग की राशि पिछले दो वर्षों से राज्य सरकार कोष में नल योजना के लिए जमा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों की योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

(3) क्या ग्राम गिगलाज, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की नल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या वहां कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, राजस्थान सरकार की नीति सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 2,000 से 5,000 की आबादी वाले गांवों में पम्प व टैंक योजना, एवं 5,000 से अधिक आवादी वाले गांवों में ग्रामीण जल-प्रदाय योजना चालू करने की है और 2,000 से कम आबादी वाले गांवों में वैल्स स्कीम चालू करने की है। तहसील बहरोड़, जिला अलवर में उपरोक्त के अनुसार निम्न ग्राम हैं :

नाम	आवादी
1. मांडन	2,121
2. नीमराना	2,526
3. गन्डाला	3,023
4. बहरोड़	5,265
5. गिगलाना	1,958
6. जकराम कलां	2,358
7. शहाजहांपुर	3,626
8. बरोंद	5,625

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, इन ग्रामों की आबादी 2,000 से कम होने के कारण योजना नहीं बनाई जावेगी।

(3) जी हां, कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जो ग्राम कुतीना और ग्राम रोडवाल की जनता ने जो अनुदान जमा कराया है उनकी आबादी 2,000 से ऊपर है और पिछले दो साल से यह रकम जमा की जा चुकी है इसलिए यह कौनसी सेन्सस के अनसार इनकी जनसंख्या आपने इतनी बताई है जिसके अनुसार आपने जवाब दिया है कि इनकी जनसंख्या दो हजार से कम है ? यह जवाब आपका कौनसी सेन्सस पर आधारित है ? 51 की है या 41 की है जिससे कुतीना और रोडवाल की जनसंख्या 2,000 से कम बताई है ?

श्रीमती सुमित्रा : यह जनसंख्या न 41 की है और न 51 की है बल्कि 1961 की है और दूसरा जो पूछा है कि इन्होंने जनसहयोग की राशि जमा करा दी है तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे विभाग में अभी तक कोई धनराशि जमा नहीं हुई है।

श्री अमीलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके विभाग में अब तक किस वजह से नहीं आई इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसकी रसीद, चालान का नम्बर और तारीख सब के सब इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन मैं लाकर आपको दे दूंगा। इनका पिछले दो साल से रुपया जमा है। यह भी पंचायत समिति से मालूम हुआ था कि उसका सर्वे भी किया गया है लेकिन एस्टीमेट्स नहीं बनाये गये हैं इसलिए निवेदन यह है कि क्या राज्य सरकार यदि यह रुपया जमा है और दो हजार से ज्यादा आबादी है तो क्या इन दोनों ग्रामों की जल योजना स्वीकृत करने की नीति रखती है ?

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, विभाग के पास तो यह धनराशि अभी तक जमा नहीं है लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह इसका चालान और नम्बर मझे देने के लिए तैयार हैं तो उस आधार पर इस बात की भी जांच करवा ली जायगी और दो हजार से ज्यादा उनकी आबादी हुई तो वहां पर पम्प व टैंक बनाने की जो स्कीम है और धनराशि जमा हुई होगी तो उसके बारे में विचार कर लिया जायेगा।

श्री अमीलाल यादव : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : इस वित्तीय वर्ष के बारे में तो नहीं कह सकती कि किया जायेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

स्थगित प्रश्न संख्या 560

श्री विट्ठल भाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या 563

श्री लाभचन्द वैद।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री हंसराज आर्य ।

स्थगित प्रश्न

(2-3-69)

नोहर—साहवा सड़क

568. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नोहर से साहवा के लिए रोड पक्की बनाने पर कई बार विचार-विमर्श हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल-क्षेत्र का दौरा करते समय 18 सितम्बर, 1968 को मुख्य मंत्री जी ने नोहर की सार्वजनिक सभा में यह फरमाया था कि नोहर सहावा रोड को हम प्राथमिकता देंगे ?

(3) क्या इस रोड को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसका काम कब चालू करवा दिया जावेगा और नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(2) जी हां ।

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हुई है । अंतिम रूप देते समय ख्याल रखा जावेगा ।

श्री हंसराज आर्य : क्या इसी अकाल सहायता वर्ष में स्वीकृत किया जायगा ?

श्री माधोसिंह : यह अकाल सहायता मंत्री से पूछिये ।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के दिनों में जब मुख्य मंत्री जी ने दौरा किया था तो आमसभा में कहा था कि भादरा से साहवा रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि नोहर तहसील में राहत के कार्य चालू किये जायें तो इस रोड को प्राथमिकता दी जाये । पूरी तहसील अकाल-ग्रस्त है लेकिन यह काम नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : ऐसे मुख्य मंत्री जी के आदेश हैं तो जल्दी से ही यह काम शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री हंसराज आर्य : कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी में सब आ गया ।

प्रश्न संख्या 571

नैक्स्ट श्री गंगासहाय ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नो-उत्तर

जिला जालोर के गांवों में पानी की उपलब्ध

639. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर के कुछ गांवों में नल द्वारा पेय जल

(श्री आईदान सिंह)
उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी ? अगर हां, तो गांवों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन गांवों में से किन-किन गावों से, कितनी-कितनी धनराशि राज्य सरकार को, जन सहयोग के रूप में प्राप्त हुई ?

(3) इन गांवों में से किन किन गांवों में कार्य पूरा हो चुका है ?

(4) बाकी गांवों में कार्य कब शुरू किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) सूची में अंकित की जा चुकी है।

(3) सूची में अंकित की जा चुकी है।

(4) बाकी के गांवों में योजना की स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

आदिवासियों की जमीन की खरीद

640. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़ सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील, कुशलगढ़, ग्राम तामेसरा में महाराज भानुप्रताप सिंह ने अपने आस-पास के आदिवासी लोगों से जमीन खरीदी है ? यदि हां, तो कितने लोगों से कितनी जमीन खरीदी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमीन छुड़वाने की कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, श्री भानुप्रतापसिंह महाराजा, तामेसरा ने अपने आस पास के आदिवासियों से कोई जमीन नहीं खरीदी है।

(2) नियमानुसार आदिवासी की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकता है। श्री भानुप्रतापसिंह द्वारा कोई जमीन आदिवासी की नहीं खरीदी गई है ऐसी सूरत में उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बारां नगरपालिका हरिजन यूनियन की मांगें

641. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका के हरिजनों की यूनियन ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आज के कुछ माह पूर्व प्रशासक महोदय व नगरपालिका कार्यालय के सामने कोई प्रदर्शन किये थे और क्या कोई ज्ञापन दिया था ?

यदि हां, तो किन किन तारीखों में कितनी बार प्रदर्शन किया और क्या क्या ज्ञापन दिए ? उस ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने यूनियन के मांग-पत्रों के आधार पर कोई जांच करवाई

Page No 19

(श्री देवीदत्त गाडिया)

थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त यूनियन ने नगरपालिका से संबंधित कोई और भी शिकायती पत्र सरकार के पास भेजे थे ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों के आधार पर सरकार ने क्या कोई जांच करवाई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कतिपय मांगों के संबंध में प्रदर्शन किया था एवं मांग-पत्र भी दिया था।

(2) प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9-6-68 व 10-6-68 को प्रदर्शन किया गया था। मांगपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अध्यापकों का वेतन

642. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने कुछ अध्यापकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष जाने से इस आधार पर रोका था कि वे अध्यापक विभाग में पहले से ही कार्य कर रहे थे और अपेक्षित योग्यता रखते थे ?

(2) क्या सरकार ने जिन अध्यापकों की लोक सेवा आयोग के समक्ष जाने से रोका था उनको अपेक्षित वेतन ग्रेड उसी साल से दे दिया है जिस साल से उन्हें लोक सेवा आयोग के समक्ष जाने से रोका था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है।

(2) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नेहरू छात्रावास, अलसीसर

643. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री नेहरू छात्रावास, अलसीसर को गत वर्ष 50 छात्रों की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को 50 छात्रों की व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दे दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था को अभी तक सिर्फ 40 छात्रों का ही अनुदान मिला है तथा 10 छात्रों का अनुदान भुगतान, जिसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी थी, अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पूरा अनुदान दे दिया गया है।

(2) जी नहीं। संस्था को 40 छात्रों का अनुदान सन् 1967-68 में तथा बचे हुए छात्रों का (10 छात्रों का) अनुदान सन् 1968-69 में दे दिया गया है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम के स्टोर में सामान

644. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के स्टोर में कभी किसी माल की शॉर्टेज हुई है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितना कितना, कौन कौन सा माल शॉर्ट हुआ तथा उसका मूल्य कितना कितना था, उसकी जिम्मेदारी किस किस कर्मचारी व अधिकारी की ठहराई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शार्टेज के लिए किसी कर्मचारी व अधिकारी से कोई वसूली की गई है ? यदि हां, तो किस किस से कितने कितने रुपये किस किस माल के कब कब वसूल किये ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। सन् 1961-62 से 1965-66 में जो कमी पाई गई उसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को जुम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, अतः यह कमी अपलिखित कर दी गई। परन्तु 1966-67 व 67-68 में जो कमियां पाई गईं व जिन व्यक्तियों को जम्मेवार ठहराया गया उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कस्बा सुजानगढ़ का सिनेमाघर

645. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि कस्बा सुजानगढ़ का सिनेमाघर काफी समय से बन्द पड़ा हुआ है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि कस्बा सुजानगढ़ में नया सिनेमाघर बनाने हेतु कई व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र बहुत अर्से से जिलाधीश, चूरू के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र कौन कौन सी तारीख से विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सबसे बाद में आये प्रार्थना-पत्र को हाथों हाथ सुजानगढ़ भिजवा कर कार्यवाही करवाई गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका से नो-ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट बिना उज्रदारी नोटिस जारी किये व बिना बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये जारी किया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित सिनेमाघर का स्थान गर्ल्स कॉलेज सुजानगढ़ के नजदीक है और सुजानगढ़ की जनता व कॉलेज के अधिकारियों को उस स्थान पर सिनेमाघर बनाये जाने में घोर आपत्ति है ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ में पहले प्रभात टॉकीज के नाम से सिनेमा मालिक द्वारा लाईसेंस सरेण्डर करने के कारण दि० 25-5-60 से सिनेमा गृह बन्द है।

Page No 21

(गृह मन्त्री)

(2) क़स्बा सुजानगढ़ में नये सिनेमा गृह निर्माण हेतु सिर्फ (1) मेसर्स कवा ब्रादर्स, सुजानगढ़ एवं (2) श्री सांवरमल डीडवानिया, सुजानगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 14-10-68 व दिनांक 17-2-68 को इस पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

(3) जी नहीं ।

(4) नगरपालिका द्वारा आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उजरदारी नोटिस जारी करने के लिए बोर्ड का प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(5) यह सही है कि प्रस्तावित सिनेमा घर से कन्या महाविद्यालय करीब 400 फीट की दूरी पर बताया जाता है । श्री सूरजमल कनोई से प्राप्त एक आपत्ति-पत्र पर जिलाधीश को सारे मामले पर पुनः विचार हेतु लिखा गया है । बाद में जिलाधीश के एन०ओ०सी० जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पेश होने पर राज्य सरकार से स्टे भी दिया गया है ।

ग्राम पिथरासर में जलप्रदाय कार्य

647. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जयसिंह देसर मगरा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के द्वारा अधीनस्थ ग्राम पिथरासर द्वारा वाटर सप्लाई कार्य के अन्तर्गत पांच हजार रुपये की राशि कई वर्ष पहले जमा कराई गई थी ? यदि हां, तो उस राशि का क्या हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि वाटर सप्लाई विभाग द्वारा जमा करवाये हुए धन का आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पिथरासर, पंचायत जयसिंह देसर को वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत रखा गया है ? यदि हां, तो योजना कब तक कार्य रूप में परिणित हो जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां, धन राशि 25 मार्च, 1965 को जमा कराई गई थी । राशि काम में ली जा चुकी है ।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां । योजना पर पानी की टंकी बनाने आदि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । पाइप लाईन डालने और पम्प सैट फिट करने के कार्य बाकी हैं जो विद्युत् कनेक्शन के उपलब्ध होने पर शीघ्र पूर्ण किये जा सकेंगे और जल वितरण शुरू किया जा सकेगा ।

अलवर शहर में बसने वाले किसानों से लगान

648. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर क्षेत्र में बसने वाले किसानों से नये बन्दोबस्त में लगान की नई दरें घोषित होने के बाद भी कई वर्षों तक पुरानी ही दरों से लगान वसूल किया जाता रहा है ? यदि हां, तो नई दरें कौनसे वर्ष से लागू हुई थीं और पुरानी दरों से लगान कौनसे वर्ष तक वसूल किया जाता रहा ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि नई दरें प्रचलित होने के बाद पुरानी दरों से लगान वसूल करना गैर कानूनी है ? यदि हां, तो स गैर कानूनी व्यवस्था के लिये कौन जिम्मेवार है ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर नगर किसान सभा ने लिखित रूप में और डेपूटेशनों द्वारा तहसील और जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके इस गैर कानूनी व्यवस्था को बन्द करने की बार बार मांग की है लेकिन इसके बावजूद उसी व्यवस्था को कायम रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर नगर के किसानों से इस गैर कानूनी ज्यादा लगान वसूली को नई डिमाण्ड स्लिपों में मुजरा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नई दरें सं० 2020 से लागू हुई।

सं० 2023 तक पुरानी दरों से लगान वसूल किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) माह जनवरी, 1969 में किसान सभा ने आवेदन-पत्र दिया था। सं० 2024 से नई दरों के अनुसार वसूली हो रही है।

(4) पूर्व में अधिक वसूल की गई राशि का रेकार्ड सं० 2020 से 2023 तक तैयार हो जाने के बाद संबंधित काश्तकारों को भविष्य की भू-राजस्व की मांग में उस राशि का समायोजन हो सकेगा।

ग्रन्थों व प्रकाशनों के फर्मों की चोरी

649. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से कई ग्रन्थ व प्रकाशनों के फर्मों की चोरी हुई है ? अगर हां, तो किस किस की ? सूची देने का कष्ट करें।

(2) क्या इस संबंध में किसी प्रकार की जांच करवाई गई है ? अगर हां, तो क्या परिणाम रहे ?

(3) जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इस सम्बन्ध में जांच पुलिस द्वारा की जा चुकी है, लेकिन चोरी का पता न लगने के कारण मामला फाइल कर दिया गया। इसके बाद निदेशक, कॉलेज शिक्षा से जांच कराई गई लेकिन इस जांच से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई अतः निदेशक महोदय को दुबारा विस्तृत जांच करने के आदेश दिये हैं। जांच जारी है।

(3) जांच जारी है। पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केकड़ी नगर के लिये अनुसूचित जाति का छात्रावास

650. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रावास खोलने के क्या आधार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर की 15,000 की जनसंख्या है और वहां पर अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित जन-जाति के काफी छात्र बाहर से आते हैं और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? अगर हां, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के किस किस गांव से आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार केकड़ी व आसपास की जनसंख्या को मद्दे नजर रखते हुए वहां अति शीघ्र एक छात्रावास खोलने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) बजट प्रावधान, भवन की उपलब्धता, शैक्षणिक सुविधा, अनुसूचित जाति व जन-जाति की जनसंख्या तथा स्थानीय मांग के आधार पर छात्रावास खोले जाते हैं।

(2) छात्रावास किसी कस्बे की आम जनसंख्या के आधार पर नहीं खोले जाते। यह सही है कि केकड़ी में समाज कल्याण विभाग का कोई छात्रावास नहीं है। वहां छात्रावास खोलने की कोई मांग प्राप्त नहीं होने के कारण वहां छात्रावास खोलने के संबंध में विचार नहीं किया जा सका।

(3) ऐसी कोई जानकारी समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) केकड़ी में छात्रावास खोलने का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अन्य स्थानों की भांति केकड़ी में भी आवश्यकता पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम गुलगांव में चोरी का मामला

652. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खंडार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी तहसील के ग्राम गुलगांव में दि० 1-9-68 को चोरी हुई थी ? उसकी रिपोर्ट केकड़ी पुलिस थाने में हुई या नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चोरी करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि दि० 9-9-68 को बचया सांसी, सावर वाले से चांदी का जेवर बरामद किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त माल ठाकुर शम्भूसिंह व महावीर सिंह गुलगांव वाले के सामने बरामद किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त माल की न तो फर्द बनाई गई और न ही रेकार्ड में लिया गया ?

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(6) क्या यह सही है कि दि० 6-10-68 को पन्डेर के दो कन्जरों से दो चांदी के डले बरामद किए थे ?

(7) क्या यह भी सही है कि इसकी भी बरामदगी की न तो फर्द बनाई गई और न ही रिकार्ड में लिया गया ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त माल ठाकुर शम्भूसिंह, महावीरसिंह, धीसा खटीक और गजानन्द साधू के सामने बरामद किया गया था ?

(9) दि० 28-10-68 व दि० 2-11-68 को शिवलाल महाजन, शाहपुर वाले को केकड़ी थाने में क्यों बलाया गया और उससे चोरी का माल कितना बरामद किया गया ?

उत्तर

(प्रश्न स्थगित किया गया)

नगरपालिका, टोंक द्वारा जीप की खरीद

654. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, टोंक द्वारा एक जीप की खरीद की गई है ? यदि हां, तो कब और कितने की ?

(2) क्या यह सही है कि जीप खरीदने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति ले ली गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर यह जीप अध्यक्ष, नगरपालिका के घर पर ही रहती है और वे उसे निजी काम में लेते हैं ?

(4) आज दिन तक इस जीप ने कितने किलो मीटर रन कर लिया है और कहां कहां पर दौरे पर गई ? कृपया स्थान एवं तारीख बतलायें ?

(5) क्या यह सही है कि जीप को जिले के बाहर ले जाने से पूर्व जिलाधीश या संबंधित विभाग की मंजूरी लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या जब जब यह जीप जिले के बाहर गई, तत्संबंधी स्वीकृति ले ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही कि दिनांक 22-5-68 को यह जीप टोंक म्युनिसिपल एरिया के बाहर गई थी ? यदि हां, तो कहां और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माह मार्च, 1968 में।

जीप	ट्राली	कुल
20,370.77 पैसे	1,903.50	22,274.27

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) 31-3-69 तक 14,904 किलो मीटर रन कर लिया है। सूचना संलग्न है।

(5) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

मुआवजे का मामला

655. **श्री रावत राम** (छापर-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है धौंकलसिंह पिता राम प्रतापसिंह राजपूत, ग्राम जोगलसर, तहसील सुजानगढ़ (चूरू) का भोगता था जिसकी मृत्यु हो चुकी और उसने अपने पीछे न कोई विधवा व न कोई औलाद ही छोड़ी ? यदि हां तो धौंकलसिंह को जो मुआवजा मिला वह किसने उठाया तथा उसकी संपत्ति का हकदार कौन हुआ ?

(2) क्या यह सही है मगनी बेवा गाहडसिंह पिता उजीतसिंह, ग्राम जोगलसर ने अपने को धौंकलसिंह की औरत बता कर सरकारी मुआवजा व धौंकलसिंह की जमीनों का इन्तकाल अपने नाम करा लिया ? यदि हां, तो इसको किन अधिकारी ने प्रमाणित किया कि यह औरत धौंकलसिंह की पत्नी है जबकि मगनी बेवा रिश्ते में धौंकलसिंह भोगता की चाची लगती है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री पदमा एवं मामराज हरिजन, जोगलसर जो धौंकलसिंह भोगता के पुराने काश्तकार थे, उन्हें बेदखल करने के लिए मगनी ने रतनगढ़ कोर्ट में दावे दायर किये ?

(4) क्या यह सही है कि श्री पदमा ने जागीर कलेक्टर को यह दरख्वास्त दी कि मगनी बेवा धौंकलसिंह की औरत नहीं है और इसने फरजी तौर पर मुआवजा उठाया है ? यदि हां, तो जागीर कलेक्टर ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

(5) उक्त सारे मामले की जांच सरकार कलेक्टर, चूरू से करवा कर जो व्यक्ति दोषी पाये जायं उन्हें दंड दिलवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री धौंकलसिंह की जागीर का मुआवजा श्रीमती मगनी बेवा गाहडसिंह ने बेवा धौंकलसिंह के नाम से उठाया और वही उसकी सम्पत्ति की हकदार हुई ।

(2) जी हां, इस गलती के लिये पटवारी, गिरदावर व सरपंच, कल्याणपुरा जिम्मेदार हैं ।

(3) जी हां, यह सही है कि श्रीमती मगनी ने रतनगढ़ कोर्ट में किशनाराम, नानू एवं पदमा पर दावे दायर कर रखे हैं ।

(4) जी हां । इस प्रकार की प्राप्त रिपोर्ट पर जांच कार्यवाही हो रही है ।

(5) जी हां । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चालू है ।

बड़ी खाटू की खानें

657. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाटू बड़ी, तहसील जायल, जिला नागौर में ठेके पर, लीज पर व अन्य प्रकार से कितनी पत्थर की खानें किस-किस व्यक्ति को सरकार ने 1-1-65 के बाद से दे रखी हैं एवं ठेके का या लीज का समय कब से कब तक का था या है ? खाटू बड़ी, तहसील जायल के किस-किस ठेकेदार में ठेके की रकम 1-1-65 से तथा पहिले की कितनी-कितनी रकम बकाया है ?

(2) श्री खसरूद्दीन ठेकेदार में पत्थर की खानों की सरकार की रायल्टी के व सरफेस रेन्ट के ठेके की कितनी-कितनी रकमें कब-कब से बकाया हैं ? वसूली नहीं होने

(श्री रामसिंह कुड़ी)

के क्या-क्या कारण हैं? किराये की रकमें कितनी कब-कब से किस-किस में बाकी हैं?

उत्तर

(1) खाटू बड़ी, तहसील जायल, जिला नागौर में दि० 1-1-65 व उसके बाद से जो-जो रेट कम रायल्टी लीजेज नवीन की गई या नवीनीकरण किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है खाटू बड़ी के जिन व्यक्तियों में ठेके की रकम बकाया है, उनकी सूची में हवाला हैं।

(2) श्री खसरूद्दीन ठेकेदार में कोई बकाया राशि नहीं है। किराये की रकम जिन-जिन व्यक्तियों में बकाया है उनके बारे में विवरण प्रश्न सं० 1 के जवाब में सूची में दिया हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विचाराधीन मुकदमें

658. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा कस्बा, जिला कोटा में एस० डी० एम० व एफ० सी० एम० कोर्ट्स हैं? यदि हां, तो इन अदालतों में प्रत्येक में 1 जनवरी, सन् 1967, से पहले के और 1 जनवरी, सन् 1960 से पहले के कितने फौजदारी व रेवेन्यू केसेज पेन्डिंग हैं?

(2) क्या सरकार ऐसे पुराने मामलों को शीघ्र ही फैसला कराने की सुचारु व शीघ्रगामी कार्यवाही करने के प्रति प्रयत्नशील है? अगर हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही है कि छबड़ा, जिला कोटा में एस० डी० एम० व एफ० सी० एम० कोर्ट्स हैं।

एफ० सी० एम०, छबड़ा के न्यायालय में दिनांक 1 जनवरी, 1960 के पहले के कोई भी मुकदमें बकाया नहीं हैं।

1 जनवरी, 1967 के पहले के रेगूलर फौजदारी के 146 व मिसलेनियस के 18 केसेज पेन्डिंग हैं।

एस० डी० एम० कोर्ट, छबड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 1960 से पहले का कोई मुकद्दमा बकाया नहीं है।

दिनांक 1 जनवरी, 1967 से पहले के रेगूलर फौजदारी केसेज 34 व मिसलेनियस 1 केस पैन्डिग है।

(2) सरकार द्वारा इन पुराने मामलों को शीघ्र निर्णीत किए जाने हेतु बराबर प्रयत्न किया जा रहा है तथा इनका निर्णय किए जाने हेतु तारीख पेशियां नजदीक की दी जा रही हैं।

कृषि भूमि पर मकान

659. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर-दवेर रोड जो कि नेशनल हाईवे नं० 8 है उसके 7 मील 5 फर्लांग पर पी० डब्लू०डी० के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा मकान बनवाये जाने की जानकारी वहां के लोगों ने सम्बन्धित अधिकारियों को दी थी?

Page No 27

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(2) जिस जमीन पर उक्त मकान बनाया गया है वह किस की है?

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर उक्त मकान के निर्माण को रोके जाने का आदेश तत्कालीन तहसीलदार ने दिया था? यदि हां, तो आदेश की पूर्ति अब तक क्यों नहीं हो पाई है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को चौड़ा किये जाने में उक्त मकान अवरोध करेगा?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है।

(2) राजस्व विभाग की तहसील ब्यावर के निर्णय अनुसार भूमि धीरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह की होना बताया गया है।

(3) तहसीलदार ने नोटिस निरस्त कर दिया था।

(4) जी नहीं।

तहसील, दूदू में लगान वसूली

660. **श्री सुआलाल चौधरी (दूदू)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, दूदू द्वारा सन् 60 से 67 तक आवंटित भूमि का लगान बन्दोबस्त विभाग द्वारा शरह लगान से बढ़कर एक मुश्त 7 साल का लगान वसूल किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार का लगान वृद्धि करने का कोई आदेश दिया गया है? अगर हां, तो कौन सी तारीख को और यह आदेश क्या है? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि 58 से 67 तक आवंटित भूमि का लगान बन्दोबस्त विभाग द्वारा निर्धारित लगान से किसान बराबर जमा कराते आ रहे हैं?

(4) क्या सरकार तहसीलदार द्वारा लगान वृद्धि की कार्यवाही को मंसूख करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल उन्हीं आवंटित भूमियों का लगान बढ़ाया गया है जो कृषि होने से पूर्व परत या बंजर थी।

(2) जी हां परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सवाई माधोपुर जिले के अध्यापकों का स्थानान्तरण

662. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सरकार के अधीन प्राइमरी पाठशालाएं, सैकेन्ड्री स्कूल तथा हायर सकेन्ड्री स्कूल के किन-किन

Page No 28

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

अध्यापकों का ट्रांसफर 1968-69 में एक बार से अधिक हुआ ? उनके नाम बताने की कृपा करें ?

(2) उनका ट्रांसफर कब-कब, कहां-कहां हुआ ?

(3) क्या इन अध्यापकों के लिये 2 साल के निर्धारित समय से पूर्व ट्रांसफर की पूर्व अनुमति इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त की गई थी ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में सरकार के अधीन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिन-जिन अध्यापकों के परिवतन सत्र 1968-69 में एक बार से अधिक हुआ है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) उपरोक्त सूची में सूचना अंकित है।

(3) इन अध्यापकों का परिवर्तन करते समय राज सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। क्योंकि यह परिवर्तन व्यवस्था एवं शिकायत पर तुरन्त किये जाने आवश्यक थे।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

663. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 7 मार्च, 1967 को जयपुर में पुलिस द्वारा जो गोलीकांड किया गया था, उसकी बाबत गठित जांच आयोग ने जो प्रतिवेदन 9-1-69 को राज्य सरकार को प्रेषित किया उस पर राज्य सरकार ने दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम, उनके द्वारा उस समय धारण किया गया पद, वर्तमान में जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही आदि का उल्लेख करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मृतकों अथवा घायलों को कितना कितना मुआवजा अब तक दिया जा चुका है और आगे क्या देने का इरादा है ?

(3) जो मुख्य तीन बिन्दु जांच हेतु आयोग को सौंपे गये थे, उनके सम्बन्ध में आयोग ने क्या राय दी है ? क्या यह सच है कि जौहरी बाजार में पुलिस द्वारा 7 मार्च, 67 को गोली चलाना अनुचित माना गया है ? आयोग के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) 9 जनवरी के पश्चात् मन्त्रि-मण्डल ने अपनी किस तारीख की बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और कार्यवाही करने का निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) इन सब मामलों को राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति देख रही है। इस समय राज्य सरकार और अधिक सूचना देने में असमर्थ है।

(2) जो **Ex-gratia** अब तक दी गई है उसकी दो सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इस प्रश्न पर पुनः विचार करने हेतु महाराजा साहब, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(गृह मंत्री)

(3) आयोग के प्रतिवेदन सदन के पटल पर दिनांक 25-2-69 को रखदी गई थी और उसकी प्रति सदन के सदस्यों को भी विधान सभा सचिवालय द्वारा वितरित की जा चुकी है। जिसके अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होगी।

(4) सरकार ने प्रतिवेदन पर पहली बार दिनांक 18-2-69 को विचार किया और यह निर्णय लिया कि उसकी प्रति सदन के पटल पर दिनांक 25-2-69 को रखदी जावे। उसके बाद जो भी निर्णय लिये गये हैं उनसे माननीय सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भादरा मुन्सफी में इस्तगासे

664. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नोहर के ए० ई० एन० व भादरा के ओवरसीयर द्वारा भादरा मुन्सफी में घोटाले के सम्बन्ध में झगड़े के इस्तगासे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कब व किस कारण से?

उत्तर

इस विभाग को इस्तगासे की जानकारी नहीं है।

ग्राम दूधवा खारा के किसानों को नोटिस

665. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के ग्राम दूधवा खारा के लगभग 50 किसान परिवारों को जो पुराने आबादकार हैं और पक्के मकान और कुंड आदि बना कर वर्षों से रह रहे है, घर, बाड़े और कुंए आदि का कब्जा छोड़ने और भूमि खाली करने के नोटिस दिए हैं? यदि हां, तो कब? कितने परिवारों को? उनकी सूची मय मकानों के विवरण सहित सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह भी सही है कि कई वर्षों से पंचायत और ग्रामीण लगातार इस भूमि को आबादी में बदलवाने के लिए प्रयास करते आये हैं? और अधिकारियों द्वारा आबादी में बदलने के लिए प्रस्ताव भी किए गये थे, परन्तु आबादी में नहीं बदला गया?

(3) क्या यह सही है कि अब किसानों से भारी फीस मांगी जा रही है जिसे वे देने में असमर्थ हैं?

(4) क्या राज्य सरकार बिना किसी फीस के इस पुरानी आबाद शुदा भूमि को आबादी में परिवर्तन करके बसे हुए किसानों को कष्ट मुक्त करने का इरादा रखती है? नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, चूरू तहसील के ग्राम दूधवा खारा के 109 अतिक्रमियों को राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल के आदेश आखरी,

(राजस्व मंत्री): दिसम्बर वर्ष 68 में दिये क्योंकि अतिक्रमियों ने सन् 64 में जोहड़पायतन ख० नं० 297 में अतिक्रमण किया, सूची संलग्न है। तारीख सूची में दर्ज है।

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में लिखापढ़ी सन् 1964 से चल रही है।

(3) जी नहीं। अभी परिवर्तन का मामला विचाराधीन है।

(4) इस भूमि को आबादी में बदलने के लिए जिलाधीश चूरू, का प्रस्ताव 26-3-69 को प्राप्त हुआ जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा। राज्य सरकार के अन्तिम आदेश होने तक इन लोगों को बेदखल न करने के आदेश जिलाधीश द्वारा तहसीलदार, चूरू को दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मकराना नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार

666. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मकराना नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जिलाधीश, नागौर के पास सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है? यदि हां, तो राज्य सरकार क्यों नहीं मकराना के क्षेत्र को बढ़ाती है?

(2) यदि उक्त कार्यवाही में कानूनी कोई खामियां रह गई हैं तो क्यों नहीं जल्द से जल्द पूर्ण करवा कर इसका क्षेत्र बढ़ाया जाता है।

(3) क्या अन्य नगरपालिकाओं के क्षेत्र बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो किस किस नगरपालिका का क्षेत्र कितना-कितना बढ़ा दिया गया है और किन-किन नगरपालिकाओं के क्षेत्र किन-किन कारणों से नहीं बढ़ाये गये हैं? राज्य की सभी नगरपालिकाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां। बारां, रतनगढ़, अलवर, बालोतरा, भीन्डर, केकड़ी व रायसिंहनगर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। कितना-कितना क्षेत्र बढ़ाया गया है यह बताना संभव नहीं है। अजमेर, मुकुन्दगढ़ व राजसमन्द की सीमाएं चुनाव होने की वजह से नहीं बढ़ाई गई हैं। राज्य की सभी नगरपालिकाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

खानपुर हाई स्कूल

667. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खानपुर हाई स्कूल कब और कितनी लागत से बनाया गया और कब से शिक्षा विभाग के अधीन लिया गया?

(2) शिक्षा विभाग के अधीन लिये जाने के बाद से हाई स्कूल भवन की कब-कब मरम्मत की गई और अब भवन में कितनी मरम्मत की और आवश्यकता है जिससे इमारत को सुरक्षित रखा जा सके?

(श्रीमती शिवकुमारी)

(3) क्या यह सही है कि खानपुर ग्राम पंचायत ने पिछले दो सालों से इस भवन की मरम्मत हेतु सरकार को अनेकों पत्र लिखे हैं व अपनी ओर से पांच हजार रुपये तक सहायता देने का भी वायदा किया हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पूरा खर्चा पंचायत से मांगने व भवन की मरम्मत नहीं करने के क्या कारण हैं?

(4) खानपुर हाई स्कूल भवन की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) खानपुर हाई स्कूल का नवीन भवन सत्र 1955-56 में बना तथा सत्र 1957-58 से शिक्षा विभाग के प्रयोग में लाया गया। यह भवन जनता द्वारा बनाया गया है। सरकार द्वारा इस नवीन इमारत को पूर्ण करने के लिए 15,000 रु० व्यय किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने भवन की लागत अनुमानित 60,000 रु० आंकी है।

(2) विभाग द्वारा सत्र 64-65 से 67-68 तक 2,400 रु० साधारण मरम्मत हेतु व्यय किया गया है। भवन की पूर्ण मरम्मत हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित व्यय 15,023 रु० बताया गया है।

(3) यह सही है कि ग्राम पंचायत व शिक्षा विभाग दोनों ही इसकी मरम्मत के लिए प्रयत्न शील हैं। इसी हेतु सरकार से भी 5,000 रु० स्वीकृति चाही गई थी। इसके लिए विद्यालय निरीक्षक, झालावाड़ व्यक्तिगत रूप से जिलाधीश एवं अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिले हैं। जिलाधीश, झालावाड़ ने 5,000 इसके लिए स्वीकृत कर रखे हैं परन्तु उन्होंने यह कहा था कि—

(1) पंचायत खानपुर मरम्मत हेतु जितना रुपया देना चाहती है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में जमा करा ताकि उतनी ही धनराशि एल० सी० सी० फण्ड से मिलादी जावे परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा वह धनराशि अभी तक जमा नहीं करायी गई है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया जावे।

(3) तथा इसमें जो कुछ और लगे उसे ग्राम पंचायत या जनता देने को तयार हो तो लिखित में दें। इस सिलसिले में कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, झालावाड़ द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र प्रधानाध्यापक, खानपुर को लिखा गया तथा स्वयं प्रधानाध्यापक को वक्त निरीक्षण 11 व 12 मार्च को सारी परिस्थिति समझा दी गई थी और रुपये शीघ्र जमा कराने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एस्टीमेट तथा जनता द्वारा शेष राशि खर्च करने का लिखित में वचन शीघ्र भेजने हेतु जोर दिया, परन्तु उक्त रकम जमा होने और शेष कार्यवाही पूरी होने की सूचना कार्यालय में आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

(4) इस कार्य हेतु अगले वर्ष के आय व्यय में प्रावधान की व्यवस्था करदी गई है।

ग्राम अरनिया में कत्ल

668. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अरनिया, तहसील अटरू, कोटा में गोपी लाल मीना का कत्ल हुआ था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अक्टूबर, 68 से अब तक इस कत्ल के कातिलों को पुलिस नहीं पकड़ सकी है ? अब तक तफतीश सम्बन्धी जो कार्यवाही की गई है उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि कातिलों का पता भी लग गया है लेकिन उनके डर से कोई गवाह तैयार नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । मुलजिमान का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है । तफतीश चालू है । तथा जांच श्री इन्द्र सिंह, उप-अधीक्षक वृत्त अधिकारी, बारां द्वारा की जारही है।

(3) जी नहीं ।

किशनगढ़ के किले की मरम्मत

669. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि-जैसलमेर बहुत पुराना व सीमावर्ती क्षेत्र है और इसके लिए किशनगढ़ किला एक महत्वपूर्ण गढ़ है ? क्या यह किला सिर्फ ईंटों का बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें करीब 50 आर० ए० सी० के जवान रहते हैं और इनके रहने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है?

(3) क्या इस गढ़ की बुर्जों का नीचे का हिस्सा गिर रहा है व दूसरी जगहें भी गिर रही हैं और कुछ समय के बाद यह रहने योग्य नहीं रहेगा ?

(4) क्या इस गढ़ की मरम्मत कभी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और क्या अब शीघ्र ही इसकी मरम्मत कराने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां यह किला ईंटों का बना हुआ है ।

(2) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(3) यह किला सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है ।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग को जानकारी नहीं है ।

मोहल्ला नगार खाना, रास्ता चेलान, जयपुर के निवासियों के लिये पानी की व्यवस्था

672. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या जल प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौ० सरहद में मोहल्ला नगार खाना, रास्ता चेलान, जयपुर के निवासियों ने पानी की पुरानी छोटी लाइन में ज्यादा कनेक्शन हो जाने से पानी के अभाव के बारे में कोई प्रार्थना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(2) क्या यह सच है कि इस मोहल्ले में पुरानी लाइन पौन इन्च की है और जिसकी कैपेसिटी से ज्यादा नल इसमें लगे हुये हैं ?

(3) क्या विभाग शीघ्र ही इस कठिनाई का निराकरण करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ संयुक्त प्रार्थना-पत्र इस मोहल्ले के निवासियों की ओर से प्राप्त हुये हैं। इन पर विभाग द्वारा विचार कर वर्तमान पौन इंच की लाइन के स्थान पर 2 इंच की लाइन डालने की स्वीकृति प्रदान करदी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, 2 इंच की पाइप लाइन डालने के लिये ठेकेदार को निर्देश दिये जा चुके है और यह कार्य अतिशीघ्र पूरा हो जायेगा।

पुलिस वेलफेयर फण्ड

673. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस वेलफेयर फण्ड, राजस्थान के किन-किन जिलों में खुले हुए हैं और जिले में इसे कौन-कौन ऑपरेट करते हैं ?

(2) इस फण्ड में धन कहां से आता है और इसका खर्चा किन कामों में किया जाता ?

(3) क्या इसके लिए कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखी जाये।

(4) चूरू जिले में यह फण्ड कब से कायम है और पिछले दस वर्षों में इसमें क्या आमदनी किस-किस स्रोत से हुई और खर्चा किन-किन मदों में किया गया ? सालवार बतलाने की कृपा करें।

(5) क्या इस हिसाब का ऑडिट विभागीय, चकिंग पार्टी एवं ऑडिट पार्टी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

(1) पुलिस वेलफेयर एन्ड केन्टीन फण्ड के नाम से एक फण्ड राजस्थान के सभी जिलों में खुला हुआ है। इस फण्ड को ऑपरेट करने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक के सभापतित्व में एक कमेटी होती है जिसके सदस्य पुलिस उप-अधीक्षक (जिला मुख्यालय) रिजर्व इन्सपेक्टर लाइन्स, सब-इन्सपेक्टर, हैड कान्सटेबल व कान्सटेबल होते हैं।

(2) इस फण्ड में धनराशि प्राप्त करने व खर्च करने के लिये नियम बने हुए हैं जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं। इन नियमों की धारा 4 के अनुसार वालेन्टरी चन्दे केन्टीन से मुनाफा पुलिस कर्मचारियों द्वारा या अन्य से आयोजित कोई समारोह या अपील आदि के माध्यम से रकम इकट्ठी की जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) चूरू जिले में यह फण्ड सन् 1954 से कायम है पिछले 10 वर्षों में आमदनी व

(गृह मंत्री)

खर्च का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। सारा खर्चा जवानों के वेल्फेयर सम्बन्धी कार्यों में किया गया है।

(5) इस फण्ड के हिसाब का ऑडिट विभागीय चैकिंग पार्टी द्वारा मई, 68 में किया गया जिसका टेस्ट ऑडिट नोट का एक्सट्रेक्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है। ऑडिट नोट में अंकित 423.94 जवानों के बच्चों को शिक्षा सुविधा के लिये मंजूर किये गये थे जो सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान हो चुके हैं।

स्थगित-प्रश्न

(26-2-69 व 20-3-69)

राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनायें

35. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान बनने से लेकर अब तक राज्य में कुल कितनी बार पुलिस द्वारा नागरिकों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर गोलियां चलाई गई ? इसकी एक तालिका मय स्थान, चलाई गई गोलियों की संख्या, आहत और मृत व्यक्तियों की संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नागरिकों की भीड़ों पर अव्यवस्था की स्थति में गोली किस प्रकार और किन परिस्थितियों में चलाई जावे इस सम्बन्ध के क्या कोई नियम या आदेश जारी किए हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1950 से अब तक 68 बार राज्य की पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोलियां चलाई गई। वांछित तालिका संलग्न है।

(2) जाप्ता फौजदारी की धारा 127, 128, 149, 152 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 99, 100, 101, 102, 103, 105 में संबंधित कानूनी प्रावधान दिये गये हैं। राजस्थान पुलिस रेगुलेशन्स, 1948 की धारा 190 से 195 में आवश्यक हिदायतें दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(27-2-69 व 20-3-69)

जयपुर में सूचना केन्द्र का स्थान

69. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में वर्तमान में सूचना केन्द्र किस स्थान पर स्थित है और इसके चारों तरफ किस-किस के बंगले बने हुये हैं।

(2) सूचना केन्द्र जिस प्लॉट में बना हुआ है उसका कुल एरिया प्रारम्भ में कितना था और क्या वर्तमान में भी उतना है ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(3) क्या यह सच है कि सूचना केन्द्र के कुछ भाग में से पड़ौसी प्लाट वालों ने जमीन दबा ली है ? यदि हां, तो किस किस ने जमीन दबाई है और कितनी-कितनी ?

उत्तर

(1) सूचना केन्द्र वर्तमान में रामबाग रोड पर स्थित है तथा इसके आसपास सर्व श्री रामकिशोरजी व्यास, दामोदरलालजी व्यास, टीकारामजी पालीवाल, जयनारायणजी व्यास, जे० एस० राणावत, मदनगोपाल दलेला, एस० वी० चतुर्वेदी एवं श्री मुरारीलाल के बंगले हैं।

(2) सूचना केन्द्र के भूखंड का कुल एरिया 51,954 वर्ग फीट था और अब भी उतना ही है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

सवाई माधोपुर में गृह निर्माण योजना के लिए धनराशि

392. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि अल्प-आय भोगी व्यक्तियों को भवन निर्माण योजना के आधीन एलॉट की गई ?

(2) जिलाधीश कार्यालय में कितने आवेदन-पत्र गये वर्ष के इस ऋण वितरण हेतु विचाराधीन थे और कितने आवेदन-पत्र इस वर्ष नये प्रस्तुत किये गये ? और प्रत्येक में मांगी गई ऋण की क्या राशि थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस ऋण-वितरण हेतु इन आवेदन-पत्रों पर इस वर्ष विचार हेतु जिलाधीश महोदय ने किस-किस तारीख को बैठक बुलवाई और ये बैठकें किस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश इनमें से किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं हुए ?

(5) ऋण-वितरण समिति ने इन बैठकों में किस आवेदन-पत्र पर कितना-कितना ऋण स्वीकार किया और कौन-कौन से आवेदन-पत्र अस्वीकार किए ? आवेदकों के व्यवसाय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्रों में से कुछ को छोड़ कर ऋण स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार आवेदन-पत्रों पर ऋण स्वीकार कर दिया ? यदि ऐसा हुआ है तो इसकी सूची इस विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें कि समिति का निर्णय क्या था और जिलाधीश ने इन पर क्या निर्णय लिया और जिलाधीश को यह भिन्न निर्णय क्यों लेने पड़े ?

उत्तर

(1) रु० 50,000.00।

(2) गये वर्षों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या 43 थी। इस वर्ष 51 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। मांग की गई राशि को दिखाते

(गृह निर्माण मंत्री)
हुए सूची 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) बैठकें दिनांक 24-1-69 व 28-1-69 व 5-2-69 को बुलाई गई। ये सब बैठकें अतिरिक्त जिलाधीश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

जी हां ।

(4) वांछित सूचना सहित सूची 'क' एवं 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है। जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है।

(6) गये वर्षों के पेन्डिंग प्रार्थना-पत्रों में राशि उपलब्ध होने की अवस्था में ऋण स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधीशों को उपलब्ध है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(20-3-69)

मारवाड़ जंकशन-जोजावर-दीवेर सड़क

424. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंकशन (जिला पाली) से जोजावर (जिला पाली) एवं उसके आगे दीवेर, जिला उदयपुर की ओर मेटल रोड बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क को राष्ट्रीय उच्च सड़क नं० 8 से जोड़ने की योजना थी परन्तु जोजावर व दीवेर के बीच के मार्ग में एक मील की दूरी (काली घाटी की लम्बाई) की सड़क को दो साल हुए (निर्माण नहीं होने से) नहीं बनाई गई है ? शेष रही हुई इस एक मील की सड़क के निर्माण में और कितने वर्ष लगेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि प्रायः चार वर्ष हो गए परन्तु राणकपुर (जिला पाली) से गोगूंदा (जिला उदयपुर) तक की सड़क अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो और कितने वर्ष इसके निर्माण में लगेंगे ?

उत्तर

(1) यह पाटर्ली ग्रेवल, पार्टली डामर व मैटल्ड रोड है ।

(2) जी हां । जोजावर से कामली घाट (काली घाटी) सड़क का कार्य शेष है। अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित करना संभव नहीं है ।

(3) पाली जिले में सादड़ी-गोगून्दा वाया राणकपुर रोड निर्माण पूरा हो गया है। उदयपुर जिले में कार्य चालू है। गोगूंदा तथा सायरा के बीच कार्य कब तक समाप्त होगा, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

स्थगित प्रश्न

(22-3-69)

सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क में आई भूमि का मुआवजा

474. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सैकड़ों काश्तकारों की कृषि-भूमि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सुरक्षा सड़क के नीचे आ गई थी? अगर हां, तो कितने काश्तकारों की कितनी भूमि सड़क के नीचे आई?

(2) क्या यह सत्य है कि ऐसे काश्तकारों को, अपनी काश्त की भूमि, जो सड़क के नीचे आ गई, अभी तक मुआवाजा नहीं मिला है? अगर हां, तो क्यों? उनको मुआवजा अब कब तक मिल जावेगा?

(3) क्या जिस दर से गुजरात सरकार ने इसी सड़क के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिया है उसी दर से राजस्थान सरकार भी देने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या कुछ काश्तकारों को उनकी भूमि के मुआवजा के एवज में दूसरी भूमि भी एलॉट की गई है? अगर हां, तो कितने किसानों को कितनी भूमि? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

सांचोर तहसील में 186 काश्तकारों को 1,554 बीघा 17 बिस्वा, जमीन, बाड़मेर, सांचोर, सुई गांव सुरक्षा सड़क निर्माण हेतु प्रयाप्त की गई है।

(2) जी हां। बाड़मेर, सांचोर, सुई गांव सड़क की भूमि का मुआवजा 64,052.00 रुपये देने का एवार्ड हो चुका है। इसमें से 10,000.00 रुपये काश्तकारों को बांटे जा चुके हैं। बाकी रकम एक महीने के अन्दर बांट दी जावेगी।

(3) गुजरात सरकार ने किस दर से मुआवजा दिया है इस विभाग को विदित नहीं है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के अनुसार काश्तकारों का मुआवजा तय किया है।

(4) इस विभाग को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है क्योंकि भूमि के एवज में भूमि देना जिलाधीश जालोर के अधिकार में है।

स्थगित प्रश्न

(22-3-69)

सब-इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्तियां

480. **श्री जयनारायण सालोविया** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966-67 व 67-68 में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने सब-इन्सपेक्टर के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितने को सब-इन्सपेक्टर बनाया गया? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में कुल कितने नये सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई और उनमें से कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कुल कितने थानेदार व सैकिन्ड थानेदार हैं? उनमें कितने थानेदार व सैकिन्ड थानेदार अनुसूचित जाति के हैं?

उत्तर

(1) कुल 191 उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र दिये उनमें से 9 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(गृह मंत्री)

(2) 141 सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई। सिविल पुलिस में अनुसूचित जाति के 8.7 प्रतिशत व उप-अभियोजक, पुलिस में 4 प्रतिशत लिये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) पुलिस विभाग में सिविल पुलिस में 1,300 उप-निरीक्षक, पुलिस के पद स्वीकृत है। सेकिन्ड थानेदार भी उप-निरीक्षक ही होते है। इसके लिये उनके कोई अलग से पद स्वीकृत नहीं हैं। जिनमें 19 अनुसूचित जाति व 15 अनुसूचित जन जाति के थानेदार हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(26-3-69)

ग्राम नागदला में जमीन का झगड़ा

560. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में तहसील घाटोल के गांव नागदला की जमीन के बारे में स्थानीय आदिवासी काश्तकार व मोती भाई पाटीदार के बीच झगड़ा चल रहा है?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त आदिवासी काश्तकारों के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह सही है कि वहां के आदिवासी काश्तकार उक्त जमीन के हकदार हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां के जिलाधीश महोदय व तहसीलदार का फैसला उक्त काश्तकारों के हक में था?

(5) यदि हां, तो अब तक सरकार ने उक्त काश्तकारों को जमीन दिलाने में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस केस में सरकार के सम्मुख निगरानी विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थगित प्रश्न
(26-3-69)
नगरपालिका राजगढ़ द्वारा नोटिस

563. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित राजगढ़ नगर में तारीख 22-1-68 को श्री नन्दलाल डोकवे को नगरपालिका द्वारा एक नोटिस दुकान के किवाड़ फुटपाथ की ओर खुलने के कारण से दिया?

(2) क्या इस प्रकार के नोटिस किसी अन्य व्यक्ति को भी दिये गये अथवा नहीं?

(3) क्या यह सही है कि तारीख 17-2-68 को नगरपालिका कर्मचारीगण मय पुलिस के दुकानदार की अदम मौजूदगी में किवाड़ उखाड़ कर ले गये?

(4) उक्त दुकान बाजार के नुक्कड़ पर पड़ती है या मध्य में?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। दुकानदार की मौजूदगी में पुलिस के साथ किवाड़ उतार कर ले गये थे।

(4) मध्य में है।

स्थगित प्रश्न

(29-3-69)

सिलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति का मामला

571. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरी सहाय सक्सेना, अवकाश प्राप्त अध्यापक, सादूल एम० एच० सेक० स्कूल, बीकानेर का केस सिलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हेतु उप-संचालक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में सन् 1960 से पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को अनेकों पत्र लिखे हैं जिनका अधिकारियों ने आज तक उत्तर नहीं दिया है ?

उत्तर

(1) श्री गौरी सहाय सक्सेना, अवकाश प्राप्त अध्यापक सिलेक्शन ग्रेड का मामला निदेशालय, बीकानेर में पेंडिंग नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में श्री सक्सेना से कोई पत्र निदेशालय बीकानेर में प्राप्त नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले में ट्रेन्ड पटवारियों का फिक्सेशन

491. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर जिले में ट्रेन्ड पटवारियों का फिक्सेशन अनट्रेन्ड के हिसाब से हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे पटवारियों के नामों की मय सर्किल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह गलत कार्यवाही किस की गलती से हुई है एवं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) नागौर जिले के कितने पटवारियान के वेतन फिक्सेशन के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है ? पटवारियों के नाम व सर्कल व राशि जो भुगतान करनी है उसका विवरण सूची में अंकित कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) नागौर जिले के जिन पटवारियों का फिक्सेशन हो गया है, उन पटवारियों के वेतन बिल तयशुदा तनख्वाह के अनुसार नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में किसी भी ट्रेन्ड पटवारी का वेतन स्थिरीकरण अनट्रेन्ड पटवारियों में नहीं हुआ है। जो वेतन स्थिरीकरण किये गये वे नियमानुसार किये गये हैं। केवल श्री सज्जनसिंह पटवारी का वेतन स्थिरीकरण अप्रशिक्षित पटवारी में किया गया जिसका मुख्य कारण यह है कि श्री सज्जनसिंह को प्रशिक्षित पटवार का

(राजस्व मंत्री)

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है किन्तु उन्होंने प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किया है।

(2) वेतन स्थिरीकरण में गलत कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(3) जिन पटवारियों का भुगतान बकाया है उनकी सूची संलग्न की जाती है।

(4) जिन पटवारियों का वेतन स्थिरीकरण हो चुका है उन्हें नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम रामगढ़ के मीनों को सरकार द्वारा दी गई धनराशि

492. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी, तहसील नैनवा के ग्राम रामगढ़ के मीनों को क्या 500 रुपया जागीर विभाग से सन् 1947-48 तक मिलता था?

(2) यदि हां, तो यह रकम राजस्थान निर्माण के बाद में किस राज्य आज्ञा के प्रभाव में आने के कारण बन्द की गई?

(3) यह रकम लुहारपुरा, सबलपुरा, मोतीपुरा व माणक चौक के मीनों को कब से दो जाती रही है?

(4) क्या सरकार इस रकम को बकाया सहित फिर से देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम नायण के निवासी को भूमि का एलाटमेंट

493. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री मुरलीराम आत्मज श्री रघनाथराम रिटायर्ड फौजी को ग्राम नायण, तहसील बैराठ की ख० नं० 453–1.11-2 भूमि कब एलॉट हुई?

(2) क्या उपरोक्त भूमि के कब्जे के संबंध में झगड़ा हुआ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) उपरोक्त भूमि एस० डी० ओ०, कोटपूतली द्वारा किस तारीख को कुर्क (दफा 145 जा० फौ०) की गई? व कुर्क के समय यह भूमि किसको सुपुर्द की गई व उसमें कितनी पैदावार हुई?

(4) उपरोक्त कुर्की का फैसला कब हुआ? क्या फैसले के मुताबिक भूमि का कब्जा दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री मुरलीराम आत्मज श्री रघनाथराम को कथित भूमि दिनांक 9-7-68 को एलॉट हुई थी।

(2) जी हां, यह झगड़ा दिनांक 11-8-67 को हुआ। इस पर थाना शाहपुरा उप-जिलाधीश, कोटपूतली के न्यायालय में

Page No 41

(राजस्व मंत्री)

दिनांक 11-8-67 को दफा 145 जा० फौ० के अन्तर्गत मामला पेश किया गया ।

(3) उप-जिलाधीश, कोटपूतली ने दिनांक 11-8-67 को कुर्की के आदेश दिये तथा दिनांक 17-8-67 को तहसीलदार बैराठ को रिसीवर नियुक्त किया गया । भूमि हरदेव पुत्र हर किशन जाट, सा० नायन के सुपुर्द की गई । पैदावार नहीं हुई ।

(4) उपरोक्त कुर्की का फैसला दिनांक 29-12-67 को हुआ ।

जी नहीं । क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उप-जिलाधीश (एस०डी०एम०), कोटपूतली के आदेशों को स्टे कर दिया गया है ।

तहसील जैतारण के तहसीलदार के विरुद्ध अनियमितता के आरोप

494. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला पाली की तहसील जैतारण के तहसीलदार को विभागीय अनियमितता के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है ?

(2) तहसीलदार द्वारा किस प्रकार की अनियमिततायें की गई और कब ?

उत्तर

(1) जी हां, निलम्बित किये गये थे ।

(2) तहसील जैतारण में जिन दो तहसीलदारों को निलम्बित किया गया था, उन द्वारा की गई अनियमितताओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

राजस्थान ट्रस्ट एक्ट

495. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत कितनी संस्थायें, मंदिर, धर्मस्थान आदि पंजीकृत हुए हैं ?

(2) ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत जिन संस्थाओं, मंदिरों या धर्मस्थानों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनके लिये क्या कोई कार्यवाही की जारही है ? यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) 645 संस्थाओं का पंजीयन हुआ है ।

(2) जिन संस्थाओं का नियमानुसार पंजीयन होना चाहिए उनको नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि भूमि का आबादी भूमि हेतु उपयोग

496. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक राजस्थान में कितनी कृषि योग्य भूमि आबादी के लिये काम में ली गई है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(2) नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया, पंचायतों द्वारा अलग-अलग कितनी कितनी भूमि आबादी के लिये, आवास के लिये, औद्योगिक कार्यों के लिये काम में आरही है ? यह भी बतलाया जाय कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय इन कार्यों के लिये कितनी भूमि काम में आरही थी अलग अलग और अब कितनी काम में आ-रही है ?

(3) कितनी भूमि में औद्योगिक बस्तियां बसी हैं ? कितनी भूमि में नई अच्छी बस्तियां नगर आदि बसे हैं व बने हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार वर्तमान खाद्य संकट को देखते हुए यह महसूस करती है कि नई बस्तियां में बड़े बड़े प्लाटों में थोड़ी सी आबादी के लिये भी बहुत अधिक कृषि के लिये उपयोगी भूमि घिरी है और उससे कृषि-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

(5) यदि यह सही है तो किस प्रकार कम से कम भूमि में स्वास्थ्यकर मकान बनाकर बढ़ती हुई आवास समस्या के समाधान की योजना है ?

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक राजस्थान में 93,40,73,586 वर्ग गज कृषि योग्य भूमि आबादी के लिये काम में ली गई है।

(2) नगर पालिकाओं, नोटिफाइड एरिया, पंचायतों द्वारा अलग अलग कितनी कितनी भूमि आबादी के लिये, आवास के लिये, औद्योगिक कार्यों के लिये काम में आ-रही है और वह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले और वर्तमान में संलग्न प्रोफार्मा में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 4,90,55,757 वर्ग गज भूमि में औद्योगिक बस्तियां बसी हैं। 2,67,40,640 वर्ग गज भूमि में नई अच्छी बस्तियां, नगर आदि बसे व बने हैं।

(4) जी नहीं, बड़े बड़े प्लाटों में आबादी के लिये ली गई अधिकतर भूमि अनउपजाऊ थी इसलिये कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसके अतिरिक्त बस्ती का निर्माण योजना बद्ध होता है जिसके लिये राज्य के टाऊन प्लानिंग विभाग से सहमति एवं सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। नयी बस्ती के लिये सारी सुविधाओं को दृष्टि में रखना होता है। पाठशाला, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शिशु-मातृसेवा कल्याण केन्द्र, पंचायत घर, पंचायत समिति कालोनी, सार्वजनिक उद्यान कुआ और इसके अलावा भविष्य के विकास के लिये भी प्रावधान रखना पड़ता हैं। अतः यदि कुछ समय के लिये कोई भू खण्ड बेकार भी पड़ा रहे तो उससे प्रत्यक्ष में सीधी हानि अवश्य महसूस होती है किन्तु वह अप्रत्यक्ष रूप से वरदान है और कहीं कहीं ऐसी भूमि जो आबादी में परिणित करली गई है किन्तु निर्माण कार्य नहीं हो पाया हैं तो वह काश्त के काम में भी ली जाती है।

(5) नये होने वाले निर्माण कार्य को बड़े कस्बों में नगर सुधार न्यास और अन्य कस्बों, गांवों में नगरपालिकायें, पंचायतें देखती हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील अलीगढ़ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

497. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील अलीगढ़, जिला टोंक में 90 (नब्बे) प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं एवं जिन्हें वहां तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो उनका वहां से स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री मन्नालाल नाजिर, तहसील अलीगढ़, निवासी उनियारा, जिला टोंक का इस तहसील से तबादला नहीं किया जाता जबकि उसे यहां 9 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि गत जनवरी में जिलाधीश, टोंक को राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्देश दिये थे कि श्री मन्नालाल का तबादला कर दिया जावे ? यदि हां, तो कब ? और क्या जिलाधीश ने यह आदेश जनवरी में तहसीलदार, अलीगढ़ को भेज दिये थे ?

(4) क्या यह सत्य है कि 12 फरवरी, 68 को राजस्व विभाग द्वारा जिलाधीश टोंक के स्थानान्तरण के आदेश रद्द कर दिये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । तहसील अलीगढ़ में 50 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी ऐसे हैं जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अधीनस्थ एवं मंत्रा-लिपिक सेवा के कर्मचारियों को सामान्यतः एक स्थान पर 5 वर्ष तक राज्यादेशानुसार रखा जा सकता है ।

(2) यह सत्य नहीं है । श्री मन्नालाल सितम्बर, सन् 1968 से जिला मुख्यावास टोंक पर स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

(3) राजस्व मण्डल ने गत जनवरी में श्री मन्नालाल का तबादला अन्यन्त्र करने, का कोई निर्देश जिलाधीश को नहीं दिया था । इसलिये इस संबंध में आदेश तहसीलदार अलीगढ़ को गत माह जनवरी में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) जी नहीं ।

ग्राम गोरेली के पटवारी के विरुद्ध मारपीट की शिकायत

498. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गोरेली ग्राम, तहसील देवली के पटवारी, श्री कल्याण बख्श ने दि० 29-6-67 को छीतर पुत्र माधो रैगर को दिन के 12 बजे जूता टैक्स के नाम से अपने घर बुलाकर कमरा बन्द करके लाठी से मारा जिससे छीतर के काफी चोटें आई हैं ?

(2) क्या यह भी सच है कि उस समय गांव के अधिकतर लोग खेतों पर काम करने गये हुए थे और कुछ लोग जो गांव में थे उन्होंने छीतर की चीखें सुन कर दिवार कूद कर उसे बचाया ? यदि हां, तो बचाने वालों के क्या नाम थे, और छीतर को कितनी चोटें आई ?

(3) क्या यह भी सच है कि छीतर जूते बनाने का काम नहीं करता है ? यदि हां, तो फिर क्यों बुलाया गया ?

(4) क्या छीतर का डाक्टरी मुआयना किया गया है जिसमें संगीन चोटें लिखी हैं ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

यदि हां, तो उस पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

तहसीलदार द्वारा की गई जांच से यह पाया गया कि दिनांक 29-6-67 को छीतर तथा उसके साथियों ने पटवारी के घर में प्रवेश किया तथा पटवारी के साथ धक्का मुक्की गाली गलौच किया ।

(2) मामला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है, अतः उस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

(3) छीतर को पटवार घर पर बुलाया नहीं गया बल्कि वह खुद सरकारी मतालबा जमा कराने आया था ।

(4) जी नहीं । डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार सादा 8 चोटें आई हैं । श्री छीतर द्वारा दफा 323 ता० हि० के अन्तर्गत किया गया इस्तगासा मुंसिफ मजिस्ट्रेट टौंक के यहां विचाराधीन है ।

लोहिया तालाब की जमीन पर कब्जा

499. **श्री देवेन्द्रकुमार मीना** (गोगुन्दा-सु०), **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा, पटवार मण्डल थाना, मौजा डींगरी जमीन नामी लोहिया तालाब में खाली जमीन अराजी नं० 1, 2, 3 पर किन किन आदिवासी काश्तकारों का कब्जा है ?

(2) उक्त जमीन पर जिन जिन काश्तकारों का कब्जा है उसकी नामावली व मय रेकार्ड कब से कब्जा है की तारीख के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पर आदिवासी काश्तकारों के मकान बने हुए हैं ?

उत्तर

(1) आराजी खसरा नं० 1, 2 व 3 का कुल रकबा 536 बीघा 9 बिस्वा है । आराजी खसरा नं० 1 पर तीन आदमियों का 15 बीघा पर दिनांक 1-4-66 से नाजायज कब्जा है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. पांचा	5 बीघा
2. पदमा	5 बीघा
3. रंगा	5 बीघा

(2) खसरा नम्बर 1 में इसके अतिरिक्त 2020 में निम्न लिखित व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी ।

1. पूना	5 बीघा
2. चोखा	5 बीघा
3. देवीलाल	10 बीघा
4. मोटा, पांचा	10 बीघा
5. रतना	5 बीघा
6. बखता	5 बीघा
7. शांजी वल्द दुला	5 बीघा
8. शांजी वल्द रतना	5 बीघा
9. हकरा	5 बीघा
	55 बीघा

खसरा नं० 2 पर 21 आदमियों का नाजायज कब्जा सं० 2021, 2022, 2023 में रहा ।

Page No 45

(राजस्व मन्त्री)

ख० नं० 1 व 2 में मोहनसिंह व तेजसिंह निवासी थाना को 200 बीघा जमीन खुद काश्त में आवंटत हुई। आवंटित व खुदकाश्त में मिलने वालों के बीच झगड़ा हुआ अब भूमि पर तहसीलदार रिसीवर की हैसियत से काबिज है।

(3) आराजी ख० नं० 3 में रतना, काना मीना निवासी नथारा का एक कच्चा मकान केलूपोश बना हुआ है। इसके अलावा किसी का कब्जा नहीं है।

ग्राम हरीपुरा के तहसीलदार द्वारा भूमि बेचान

500. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील बूंदी के ग्राम हरीपुरा में तहसीलदार ने वर्ष 1967-68 में ग्रामवासियों को भूमि का आवंटन नहीं करके मेरठ व नरसिंहपुरा के आदमियों को जमीन बेचदी थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस भूमि पर पांच सालों से हरीपुरा के काश्तकार काश्त कर रहे थे ?

(3) यह जमीन कितने एकड़ है और किस किस को बेची गई और कितनी कितनी रकम इनसे ली गई ?

(4) क्या ग्राम में भूमिहीन होते हुए जमीन बाहर के लोगों को दी जा सकती है ?

(5) क्या यह सही है कि तारीख 25-9-67 को एक आवंटन-पत्र जिलाधीश बून्दी को ग्राम हरीपुरा के काश्तकारों ने दिया था ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश ने तहसीलदार के अवैधानिक कार्य की जांच की ?

(6) जांच का क्या नतीजा निकला और जिलाधीश ने क्या ऐक्शन लिया ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) यह जमीन 109½ एकड़ है जिसको 53,586) रु० में विक्रय किया गया है। विक्रय की नामवार सूची संलग्न है।

(4) चम्बल परियोजना क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने का प्रावधान नहीं है बल्कि आम नीलामी से बेचने का प्रावधान है। इसलिये भूमिहीन को भूमि आवंटन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) यह सही नहीं है। अतः जांच करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(6) उत्तर 5 को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

जिला अजमेर के अतिक्रमणियों को खातेदारी

501. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में जमींदारी व बिस्वेदारी (खेवट) एक्ट की धारा 30 व 31 के तहत शामलात देह (सिवाय चक) पर 31-12-59 को कितने अतिक्रमणी थे ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) उनमें से कितनों को धारा 30 व 31 में खातेदारी दी गई ?

(3) एक्ट में नियम होते हुए भी खातेदारी अब तक क्यों नहीं दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि केकड़ी नगरपालिका की हद्द बढ़ जाने व तीन मील के एरिया में, अब इन आसामियों को खातेदारी नहीं देकर अब बेदखल किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार उन लोगों की जो सन् 1959 से खातेदारी के हकदार हैं, बेदखली रुकवायेंगी जबकि नगरपालिका का क्षेत्र तीन माइल का अब सन् 1968 में बढ़ा है ?

(6) जो आसामी शामलात देह पर सन् 59 से पहले काबिज हैं उनको किस बेसिस पर खातेदारी दी जायगी ? क्या उनसे भी पैनल्टी ली जायगी ? अगर हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) 51,146 अतिक्रमणी थे।

(2) 9,361 को खातेदारी दी गई।

(3) अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ तहसीलों में खातेदारी हक दे दिये गये हैं। केवल वही भूमि विवादग्रस्त है जो शामलात देह की है। यदि किसी व्यक्ति को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुए थे तो उसे धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित समय में सक्षम अधिकारी के न्यायालय में निर्धारित परिपत्र पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, निर्धारित समय निकल जाने के पश्चात कानून में खुदकाश्त भूमि देने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां।

(5) प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तीन की सूचना के अनुसार कार्यवाही नहीं की।

(6) इसकी सूचना 3 पर दी जा चुकी है।

ग्राम झोटवाड़े में सार्वजनिक संस्था

502. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम झोटवाड़े में बगीची (अलमशहर) झाझूजी मांझूजी नाम की कोई संस्था है ? यदि हां, तो इस सार्वजनिक संस्था की वर्तमान संचालन व्यवस्था किसके हाथ में है ?

(2) क्या इस बगीची के सार्वजनिक कूप निर्माण हेतु पंचायत समिति, जयपुर (मुख्यालय झोटवाड़ा) से किसी प्रकार का अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब व किस व्यक्ति को ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त बगीची के निर्माण कार्यों में जनता द्वारा चन्दा या श्रमदान द्वारा योग दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति द्वारा कितना कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उपरोक्त बगीची के संबंध में दिये गये अनुदान के उपयोगिता एंव कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(श्री गंगासहाय)

(5) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत छोटवाड़ा द्वारा इस बगीची में सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण हेतु दि० 15-9-63 को बगैर कीमत लिये (फ्री) भूमि का एलॉटमेंट किया गया था ? यदि हां, तो क्या फ्री एलॉटशुदा भूमि में सार्वजनिक धर्मशाला बनकर तैयार हो गई ?

यदि हां, तो उसमें कुल कितने कमरें हैं और क्या यह धर्मशाला, यात्रियों एवं ग्रामवासियों के उपयोग में आती है ? यदि तैयार नहीं हुई, तो क्यों नहीं, तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या इस सार्वजनिक बगीची का न्यास बना हुआ है ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान व पंजीयन संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में इस सार्वजनिक सम्पत्ति पर चन्द स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा केवल अपने स्वार्थपूर्ति ही की जा रही है और यह बगीची सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या शीघ्र ही राज्य सरकार इस सार्वजनिक सम्पत्ति का न्यास बनाकर इसे ग्रामवासियों के हाथ में देने का विचार रखती है ।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान तहसीलदार सर्विस के अनुसार नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण

503. श्री मेघराज (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तहसीलदार सर्विस में नियुक्तियां व तबादले रेवेन्यू बोर्ड द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में एलॉटमेंट के द्वारा किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानान्तरित अधिकारियों को संबंधित जिला हैडक्वार्टर्स पर हाजिर होकर कलेक्टर्स से पोस्टिंग ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पोस्टिंग ऑर्डर्स लेने के लिये स्थानान्तरित अधिकारियों को काफी समय तक जिला कार्यालय पर पड़ा रहना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस प्रकार स्थानान्तरित अधिकारी को अपने परिवार के सदस्यों को पिछली तईनाती के स्थान पर छोड़ कर जाना पड़ता है और दुबारा उन्हें लेने के लिए आना पड़ता है जबकि सरकार एक ही तरफ का किराया देती है ?

(5) क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने के लिये अधिकारियों को सीधे ही तईनाती के आदेश दिलवाने की व्यवस्था करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(राजस्व मन्त्री)

(3) जी नहीं। किसी विशेष परिस्थिति पर कभी कभी किसी तहसीलदार को जिला मुख्यालय पर रहना पड़ता है।

(4) जी नहीं।

(5) राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा समस्त जिलाधीशों को आदेश दिये जा चुके हैं कि स्थानान्तरित अधिकारी को आदेश की प्रतीक्षा में नहीं रखा जावे।

खानपुर तहसील के किसानों से ली गई कुओं की फीस

504. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर तहसील में किसानों की जमीन पर स्थित निजी कुओं को सरकारी मानकर उनसे 26) रु० फी कुए की दर से रेगुलराइजेशन फीस मांगी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कोटा स्टेट के समय में कुए की हद में आई जमीन को लगान से बचाने हेतु पड़त सरकार दर्ज कर दिया जाता था परन्तु कुए का स्वामित्व कृषक को मानकर उनसे वाटर सैस नहीं वसूल किया जाता था? यदि हां, तो ऐसे मामलों में कुओं को बिना रेगुलराइजेशन फीस वसूल किये कृषक के नाम कर देने में सरकार को क्या आपत्ति है?

(3) खानपुर तहसील में कितने कुए हैं और उनमें से कितने सरकारी माने गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, जो चाहात कागजात पटवार में सरकारी बिला नाम दर्ज है उन चाहात पर राजकीय आदेश सं० एफ० (10) राज०। ख। ग्रुप 1। भाग। 2, दिनांक 4-6-65 के अनुसार 26 रुपये फीस ली जाकर कब्जे के अनुसार काश्तकारान को स्वामित्व अधिकार दिये जा रहे हैं।

(2) जी हां, यह सही है। जिस समय सेटिलमेंट हुआ था नक्शा चाहात से मिलान नहीं किया गया यह नक्शा चाहात खाते से अलग तैयार किया जाता था इसलिये सेटिलमेंट ने इन कुओं को खाते में नहीं माना और सरकारी दर्ज कर दिये गये फिर सरकार ने दिनांक 4-6-65 को यह आदेश जारी किया कि ऐसे कुओं के लिये काश्तकारान से 25 रु० पट्टा फीस व 1 रुपया इन्तकालात फीस वसूल करके खाते बांध दी जावे। ऐसे खातेदार जो अपने आपको कुओं का मालिक समझते थे उन्हें हक की प्रविष्ठि के लिए भू-प्रबन्ध विभाग के समक्ष उजरदारियों के समय ही एतराज करना चाहिए था।

(3) तहसील खानपुर में कुल 3,228 कुए हैं जिनमें से 2,338 कुए बिला नाम सरकारी कागजात में दर्ज हैं।

एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा जारी किए गये वारन्ट

505. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(1) श्री पी० सी० सिंघवी के एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर, के कार्यकाल में कितने प्राइवेट इस्तगासों में बिना जमानती

(श्री रामकिशन)

वारंट भरे गये और कितने प्राइवेट इस्तगासों में जमानती वारन्ट काटे गए ?

(2) कितने प्राइवेट इस्तगासों में बाहमी फैसला हुआ ? कितनें अदम पैरवी में खारिज किये गये ?

उत्तर

(1) श्री पन्नेचन्द सिंघवी दिनांक 29-8-63 से दिनांक 29-9-67 तक एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के पद पर तैनात थे, उनके कार्यकाल में 1,132 प्राईवेट इस्तगासे दर्ज हुए उनमें से 76 मुकद्दमों में बिना जमानती वारन्ट भरे गये और 431 प्राईवेट इस्तगासों में जमानती वारन्ट काटे गये।

(2) 213 प्राईवेट इस्तगासों में बाहमी फैसला हुआ और 159 मुकदमें (प्राईवेट इस्तगासे) अदम पैरवी में खारिज किये गये।

भीलवाड़ा-बिजोलिया सड़क पर दुर्घटनाओं के मामले

506. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में भीलवाड़ा से बिजोलिया तक सड़क यातायात में कितने एक्सीडेंट हुए और उनमें कितने मरे तथा कितने घायल हुए ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से पत्थर की खानों पर जाने-आने वाली ट्रक्स में सवारियों का बैठ कर आना या पत्थरों से भरी ट्रक में बैठ कर जाना आम बात है ? यदि हां, तो इस प्रकार के काम को रोकने के लिये सरकार ने कौनसे कदम उठाये हैं ?

(3) गत एक वर्ष में इस प्रकार के कितने केसेज दर्ज हुए हैं और कितने लोगों को क्या-क्या सजायें मिली हैं ?

उत्तर

(1) गत वर्ष भीलवाड़ा से बिजोलिया तक सड़क यातायात में 7 एक्सीडेंट हुए। जिनमें तीन आदमी मरे व 17 घायल हुए।

(2) यह सही नहीं है अलबत्ता परमिट शर्तों के अनुसार मजदूर ट्रकों में बैठकर जरूर चलते हैं।

(3) गत वर्ष में जो 7 अभियोग दर्ज हुए हैं उनमें से 5 में चालान हो चुका है व एक अनुसंधानाधीन है व एक में फाइनल रिपोर्ट दी गई हैं।

सवाई माधोपुर स्टेशन के पास पुलिस लाइन

507. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर में पुलिस के जवानों एवं पुलिस के अधिकारियों के लिये स्टेशन सवाई माधोपुर के समीप ही पुलिस लाइन बनी है ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस लाइन क्वार्टरों एवं बंगलों व कार्यालय में रोशनी एवं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है हालांकि सवाई माधोपुर में बिजली सन् 59 से तथा नल योजना सन् 64 से चालू है ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(3) यदि हां, तो सरकार पुलिस लाइन में बिजली तथा पानी की व्यवस्था करने हेतु क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । पुलिस जवानों एवं पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस लाईन सन् 1961 में बनी है ।

(2) आवश्यकतानुसार बिजली की पूरी व्यवस्था है । पानी की लाइन क्वार्टर्स में अभी नहीं जा पाई है ।

(3) नल के कनेक्शन के लिये पुलिस महानिरीक्षक से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे वे सार्वजनिक निर्माण विभाग को शीघ्र कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं ।

ग्राम नायला में हत्या का मामला

508. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जयपुर में तहसील जमवा रामगढ़ के अन्तर्गत नायला ग्राम में नानकदास नामक व्यक्ति की हत्या हुई है ?

(2) क्या उसके पुत्र द्वारा केस दर्ज कराने पर एच०पी० जगदीशसिंह ने तफतीश की दफा 302, आई० पी० सी० कायम की थी ?

(3) क्या केस के मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उस केस के मुलजिमों को बिना गिरफ्तार व तफतीश किये उनकी जमानत पुलिस द्वारा कराई गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । श्री नानकदास नामक व्यक्ति को जयपुर मण्डल, तहसील जमुआ रामगढ़ के अन्तर्गत नायला ग्राम में हत्या नहीं हुई वरन् रोग के कारण मृत्यु हुई है ।

(2) जी हां । श्री सीताराम पुत्र नानकदास के रिपोर्ट करने पर श्री जगदीश सिंह मुख्य आरक्षी ने धारा 302, भा० दं० सं० में अपराध पंजीबद्ध किया था ।

(3) इस मुकदमे के मुलजिमान के खिलाफ अपराध ह० द० 147/148/149/324, आई० पी० सी० पाये गये थे । इसके कारण उनको जमानत पर छोड़ा गया ।

(4) जी नहीं । पुलिस द्वारा इस अभियोग का अनसंधान पूर्ण रूप से किया गया । सही तथ्य प्रगट होने पर मुलजिमान की जमानत पुलिस द्वारा ली गई है, क्योंकि अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध जमानत योग्य प्रमाणित हुआ था एवं अभियुक्तगणों द्वारा तत्काल जमानत पेश कर देने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ।

फौजदारी एवं रेवेन्यू के मामले

509. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एड० डी० एम०, राजगढ़ व एड० डी० एम०, चूरू जिला चूरू की अदालतों में कितने फौजदारी व रेवेन्यू मुकदमात जेर तजवीज हैं और उनमें कितने मुकदमात एक साल से 5 साल तक के पुराने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या इन एड० डी० एम० की अदालतों के वर्कलोड का कभी एसेसमेंट हुआ है ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) एड० डी० एम०, राजगढ़ के न्यायालय में 127 क्रिमिनल व 43 रेवेन्यू केसेज तथा एड० डी० एम०, चूरू के न्यायालय में 42 क्रिमिनल व 44 रेवेन्यू केसेज विचाराधीन हैं। इनकी दोनों न्यायालयों में से प्रत्येक में एक वर्ष से 5 वर्ष तक के पुराने केसेज की संख्या 127 है। सूचियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(2) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर के दो व्यक्तियों को सजा के आदेश

510. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-12-67 को एस० डी० एम०, बाड़मेर ने बहिया व रशीद नामक दो व्यक्तियों को सजा व डिपोर्टेशन के आदेश दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 2-1-68 को उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को गडरा रोड़ पुलिस चौकी से डिपोर्ट किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति अब भी बाड़मेर जिले में रह रहे हैं ? अगर हां, तो कहां व कैसे व कब से ?

उत्तर

(1) जी हां, सही है।

(2) जी हां, सही है।

(3) दोनों व्यक्ति अवैध रूप पुन: भारत में उसी रात प्रवेश हुए और सेशन कोर्ट, बालोतरा में एस० डी० एम० बाड़मेर के फैसले के विरुद्ध अपील की। सेशन कोर्ट, बालोतरा में दिनांक 6-2-68 को उन्हें बरी किया गया। अत: फैसला उनके माफिक होने से वे दोनों इस समय ग्राम झेलन में रह रहे हैं।

ग्राम खेजड़ियाली में पुलिस चौकी

511. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम खेजड़ियाली, तहसील सांचोर में अभी तक पुलिस आउट पोस्ट अस्थायी तौर पर रखी गई है ? अगर हां, तो यह कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपरोक्त पुलिस ऑउट पोस्ट बहुत जरूरी है ? अगर हां, तो उस आउट पोस्ट को सरकार पुखता क्यों नहीं करना चाहती ? सरकार उक्त ऑउट पोस्ट को परमानेन्ट रूप से कब तक मंजूर करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पुलिस आउट पोस्ट को सरकार ने पुख्ता रूप से मंजूर करने के संबंध में यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जा रहा है ? अगर हां, तो उस पोस्ट की मंजूरी सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां ग्राम खेजड़ियाली में पुलिस आउट पोस्ट नहीं बल्कि एक एन्टी

(गृह मन्त्री)

डकैती आउट पोस्ट : 2 मुख्य आरक्षक, 10 आरक्षक एवं 2 शुतर सवार सशस्त्र की भारत पाक संघर्ष सन् 1965 से लगी हुई है।

(2) जी हां। यह औंउट पोस्ट दिनांक 4-8-66 को उठा दी गई थी। इसके पश्चात् पुनः दिनांक 2-9-66 को कायम कर दी गई। इसका खर्चा पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है।

(3) जी हां। अपराधों की रोक थाम एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह एन्टी डकेत औंउट पोस्ट अभी तक कायम है। प्रशासनिक कारणों से अब तक यह चौकी स्थाई नहीं की जा सकी। इसे स्थाई करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

सब-इन्सपेक्टरों एवं पैरोकारों की नियुक्ति

512. **श्री लादूराम गुलानियां** (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जनवरी, 69 में सब-इन्सपेक्टरों एवं पुलिस इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के संबंध में इन्टरव्यू हुए थे ? यदि हां, तो क्या चयन किये गये व्यक्तियों को इस आशय की सूचना भेज दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भेजे जाने का समय निकट ही है ? यदि हां, तो प्रशिक्षण प्रारम्भ कबसे हो रहा है व उसमें कुल कितने व्यक्तियों को किस–किस पर प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है ?

(3) क्या चयनित व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो चयनित व्यक्तियों की सूची मय चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता व शैक्षणिक योग्यता सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त नियुक्तियों में निर्धारित कोटे के अनुसार परिगणित जाति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? सूची मय उनके नाम, पिता के नाम, निवास स्थान सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1969 में सब इन्स-पेक्टर्स व पैरोकारों के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में सफ़ल हुए केन्डीडेट्स के इन्टरव्यू लिये गये थे। रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है अतः केन्डीडेट्स को सूचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। प्रशिक्षण की तिथि व अन्य योजना अभी तय नहीं की गई है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगापुर एवं करौली क्षेत्र में चोरियों के मामले

513. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत डेढ़ वर्ष में गंगापुर एवं करौली उप-जिला क्षेत्र में कई स्थानों पर कई चोरियां हुई है ? यदि हां, तो किस–किस स्थान पर किस–किस व्यक्ति के यहां कितनी कितनी चोरियां हुई थीं, और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
उसमें कितनी चोरियों का माल मय अपराधियों के बरामद किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि करौली में रामस्वरूपलाल महाजन के यहां जो चोरी हुई उस चोरी का माल सिनेमा मैनेजर के यहां पाया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) गत डेढ़ वर्ष में गंगापुर एवं करौली क्षेत्र में चोरी अपराध में पंजीबद्ध अभियोगों की थानेवाइज तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। श्री प्रेमकुमार सिनेमा मैनेजर के खिलाफ जुर्म जेर दफा 411, भा० दं० सं० की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीडवाना में नमक के क्यारों को देने का आधार

514. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना में नमक बनाने के जो क्यारे बने हुए हैं वह किन्हीं व्यक्तियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को कब–कब, कितने–कितने क्यारे किस प्रकार से कितने–कितने समय के लिये दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार से नमक बनाने के क्यारे किन्हीं व्यक्तियों को देने के संबंध में सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भविष्य में और कितने क्यारे किस प्रकार से देने का सरकार का विचार है ?

(4) यदि किसी सहकारी समिति को कोई क्यारे नमक बनाने के लिये दिये हों तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। क्यारे मजदूरी पर नमक बनाने के लिये समय–समय पर दिये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। क्यारे एक वर्ष के आधार पर दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं। जो भी मजदूरी पर कार्य करना चाहते हैं उसको क्यारा दिया जाता है।

(3) यदि नमक की मांग और खपत बढ़ती गई और उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पड़ी तो नये क्यारें बनाये जायेंगे।

(4) जी नहीं। 20 क्यारे 19-7-67 को मारवाड़ बालिया नमक उत्पादक सहकारी समिति को दिये गये थे। समिति द्वारा काम न करने के कारण यह आज्ञा रद्द करदी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मकराना मारबल खानों की रायल्टी

515. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना मारबल की खानें किस-किस व्यक्ति का कब-कब किराये पर मौजूदा में दी हुई हैं ? उनका कितना क्षेत्रफल है ?

(2) किराये पर दी गई खानों के अलावा बापी पट्टों की कितनी खानें हैं एवं उनसे प्रत्येक व्यक्ति से कितना-कितना किराया कब-कब वसूल हुआ ? पट्टे वाली बापी को मारबल खानों की सूची, पट्टेदार का नाम, पट्टा जारी होने की तिथि सहित सदन की मेज पर मय ऐसी खानों के क्षेत्रफल के रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या-क्या रेट व रॉयल्टी मकराना मारबल की किस प्रकार है ? एवं राजस्थान बनने के बाद कब-कब किस प्रकार के पत्थर पर रॉयल्टी की रेट में रद्दोबदल हुई है ?

(4) श्री शेख वली मोहम्मद कलाल नि० मकराना में मकराना मारबल की रायल्टी की रकम कितनी बाकी है ? कबसे कितनी-कितनी राजस्थान बनने के बाद से बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मकराना में मारबल की जो खानों के पट्टे अभी जारी हैं उनकी सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक खान के क्षेत्रफल के बारे में भी अंकित किया हुआ है ।

(2) मकराना में मारबल की बापी पट्टों की कुल संख्या 130 थी लेकिन राज्य सरकार ने बापी अधिकार समाप्त कर दिये अतः समस्त बापी खान वालों को सूचित किया गया कि वे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के तहत **रेन्ट-कम-रॉयल्टी** लीजेज प्राप्त करें । इन बापी खानों में से केवल चार व्यक्तियों ने किराया जमा करवाया जिनकी सूची संलग्न है । इसके अलावा 6 खानें बापी की पूर्व में खालसा घोषित करके अन्य व्यक्तियों को किराये पर दी गई उनकी सूची भी संलग्न है । शेष 120 खानें खालसा घोषित करदी गई हैं । इस समय **R.C. R. L.** पर दी हुई खानों के अलावा कोई बापी पट्टे नहीं हैं ।

(3) मकराना मारबल की रॉयल्टी की दरों की चार सूचियां संलग्न हैं ।

(4) श्री शेख वली मोहम्मद कलाल निवासी मकराना के नाम पर मकराना मारबल की रॉयल्टी की कोई रकम बकाया नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचपदरा की नमक की खानें

516. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पचपदरा की नमक खानों में इस वर्ष कितना नमक तैयार हुआ ?

(2) कितना नमक उक्त सोर्स से राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया ?

(3) कितने नमक का पूरा भुगतान नमक उत्पादकों को कर दिया गया है ?

(राजकीय उपक्रम मन्त्री)

उत्तर

(1) पचपदरा नमक क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 6,06,000 क्विन्टल्स नमक तैयार किया गया ।

(2) उक्त सारा ही तैयार नमक राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है।

(3) लगभग 2,82,469 क्विन्टल्स नमक का पूरा भुगतान कर दिया गया है शेष के लिए अग्रिम राशि दे दी गई है ।

जिला सवाई माधोपुर का अधिशासी अभियन्ता

517. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सवाई माधोपुर जिले को भरतपुर एवं टोंक अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत बांट कर रखने का क्या तात्पर्य है?

क्या पूरे जिले के लिये एक अधिशासी अभियन्ता नियुक्त करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है?

उत्तर

निर्माण कार्यों की देख रेख में सुविधा रहे इस कारण बांटा हुआ है।

यह प्रश्न विचाराधीन है। अर्थभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

नोहर–पल्लू सड़क

518. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कस्बा नोहर से पल्लू तक बनाई जाने वाली सड़क को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

(2) यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जायगा और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है।

बोंली–निवाई सड़क

519. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बोन्ली-निवाई रोड जिला सवाई माधोपुर की पक्की सड़क की मंजूरी हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) यह सड़क कहां से कहां तक बन चुकी है? बाकी रोड का कार्य कब चालू होगा?

(3) यह सड़क कब तक पूरी होगी?

उत्तर

(1) जी हां, मार्च 1957 में।

(2) मील 0 से 7 तक सवाई माधोपुर जिले में पूरा हो गया है। टोंक जिले

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

में 6 मील सड़क पूरी हो गई है शेष कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर आरंभ हो सकेगा।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

डग क्षेत्र की मध्य प्रदेश से लगती हुई सड़कों का निर्माण

520. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में मध्य प्रदेश से लगती हुई सुवासरा-चोमहला-डग-दुधलिया-बडोद-आगर व सीतामाऊ-ढंडेरा से गंगधार तक बनाई जाने वाली सड़कों की मंजूरी कब दी गई थी और उन पर बनाई जाने वाली पुलियायें व सड़क कब तक पूरी करदीं जावेगी? अलग अलग बताने का कष्ट करें। इन सड़कों पर अब तक कितना—कितना काम हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि मध्य प्रदश क्षेत्र में इन सड़कों का काम चालू ह और शीघ्र ही राजस्थान की सरहद तक का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है? यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रोग्राम में सामंजस्य नहीं रखने का क्या कारण ह?

(3) इस सड़कों का काम कब तक शुरु कर दिया जायेगा व कितने अर्से में पूरा कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) गंगधार-चोमहला-सीतामाऊ रोड खानपुर-सुवासरा, डग से आगर गंगधार से पचपहाड़ रोड्स की स्वीकृति 6-12-60 को दीं गई थी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुलियों का कार्य शेष है, अर्थाभाव के कारण कार्य कब तक हो सकेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) कार्य समाप्ति के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर।

बीकानेर जिले के फेमीन कैम्पों के वर्क इन्चार्जो कौ वेतन को भुगतान

521. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में 1 नवम्बर, 1968 से आज तक फेमीन कैम्पों पर कुल कितने वर्क इनचार्ज किस—किस माह में किस—किस फैमीन कैम्प पर लगाये गये और इस वक्त कितने कार्य कर रहे हैं? सूची फैमीन कैम्प-वाईज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला बीकानेर के फेमीन कैम्पों पर जिनको वर्क इन्चार्ज लगाया गया है उनको किस योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है? उनकी कुल संख्या व वर्क इन्चार्ज का नाम व वल्दियत व निवास स्थान का नाम व शिक्षा की योग्यता व वेतन सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि वर्क इन्चार्जो को वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है? अगर किया गया है तो कितने वर्क इन्चार्जो को भुगतान किया गया है? जिन वर्क इन्चार्जों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है उसकी क्या वजह है?

Page No 57

(स्थगित किया गया)

माउन्ट आबू के नागरिकों को मीटर के ढक्कन लगाने के लिए नोटिस

522. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग, माउण्ट आबू ने वहां के नागरिकों को नोटिस देकर मीटर के ढक्कन लगाने हेतु कुछ राशि मीटर के ढक्कन की कीमत हेतु जमा कराने को लिखा है ?

(2) मीटर के ढक्कनों की मिलकियत किसकी रहेगी ? यदि मिलकियत सरकार की है तो नागरिकों से पैसा किस नियम के आधार पर वसूल किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। नागरिकों को नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को जिन्होंने विभागीय नियम के अनुसार मीटर की सुरक्षा हेतु मीटर बोक्स नहीं लगवाये हैं उन्हे विभागीय नोटिस देकर मीटर बॉक्स लगाने हेतु कहा गया है।

(2) मीटर बॉक्स की मिलकियत उपभोक्ता की होगी। राजस्थान जलप्रदाय नियम 1967 के नियम 11 एवं विनियम 5 के (5) के अनुसार मीटर बॉक्स लगाना और उसके लिये शुल्क जमा कराना आवश्यक है।

नगरपालिका सवाई माधोपुर के वार्ड

523. **श्री चुन्नीलाल सेलिया** (खण्डार-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, सवाई माधोपुर में कौन कौन से वार्ड शेड्यूल कास्ट सदस्यों के लिय बने हुए हैं और इस पालिका में कुल कितने वार्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सवाई माधोपुर में सार्वजनिक नल लगे हुए हैं ? यदि हां, तो ये नल कितने व किस-किस वार्ड में लगाए हैं और कब से ?

(3) क्या यह सही है कि इस पालिका क्षत्र में किसी भी हरिजन बस्ती में सार्वजनिक नल नहीं लगाए गये हैं ? यदि ऐसा है, तो यह भेदभाव क्यों रखा गया ? और अब इन बस्तियों में कब तक सार्वजनिक नल लगाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सवाई, माधोपुर में वार्ड नं० 2, 13 व 14 शेड्यूल्ड कास्ट सदस्यों के लिये बने हुए हैं। इस पालिका में कुल 14 वार्ड हैं।

(2) जी हां, नगरपालिका सवाई माधोपुर में सार्वजनिक नल लगे हुये हैं। यह नल कुल 20 बनाये गये हैं तथा 11 चालू किये गये हैं। वार्ड नं० 3, 9 व 14 को छोड़ सभी वार्डों में एक-एक सार्वजनिक नल नगरपालिका के इच्छानुसार माह मई—जून, 68 से चालू हैं।

(3) जी नहीं। पालिका क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक नल लगे हुये हैं। वार्ड नं० 14 में भी नगरपालिका के चाहने पर सार्वजनिक नल चालू कर दिया जायेगा।

जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत

524. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर टूटी–फूटी सड़कों को रिपेयर करने की जिम्मेवारी किस विभाग पर है?

(2) गत पांच वर्षों में शहर की किन-किन गलियों की सड़कों को कब दुरुस्त कराया गया और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

(3) क्या यह सही है कि सभी गलियों की सड़कों की हालत खराब है और क्या यह भी सही है कि जलप्रदाय, टेलीफोन व विद्युत विभाग द्वारा कार्य करते समय जो सड़कों को तोड़ा फोड़ा जाता है उन्हें वर्षों तक ठीक नहीं कराया जाता? यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था है?

(4) खवासजी व भट्टों के रास्ते की सड़कें कितने दिनों से टूटी हुई हैं व किन कारणों से कब तोड़ी गई और इसे अब तक दुरुस्त नहीं कराये जाने का क्या कारण है व अब कब तक ठीक करा दिया जावेगा?

(5) क्या सरकार को विदित है कि इस गली में आवागमन काफी रहता है और सड़कें टूटी रहने से प्रतिदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र कब तक दुरुस्त करा दिया जावेगा?

(स्थगित किया गया)

सब्जी मण्डी चित्तौड़गढ़

525. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) :–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ नगरपालिका ने चित्तौड़गढ़ शहर में सब्जी मंडी का निर्माण नया कराया है? यदि हां, तो उस पर कितनी लागत लगी है और अभी वह नई सब्जी मंडी किस काम में आ रही है?

(2) इस सब्जी मंडी का नक्शा व प्लान किसने स्वीकार किया है?

उत्तर

(1) जी हां, 8,475 रुपया। किसी भी कार्य में नहीं आ रही है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं पथ निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ एवं डिप्टी टाऊन प्लानर ने पास किया था।

हरिजन बस्ती, पाली के मकान का पट्टा

526. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका पाली के क्षेत्र में सूरजपोल बाहर जो हरिजन बस्ती है उसमें मांगीलाल वल्द मौलाजी हरिजन के पास ही श्री रामपाल वल्द प्रतापजी हरिजन का पुराना मकान बना हुआ था जो गिर गया?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त रामपाल वल्द प्रतापजी हरिजन ने नगरपालिका

Page No 59

(श्री मूलचन्द डागा)

पाली में अपने उक्त मकान का जिसका क्षेत्रफल 420 वर्ग गज है विक्रय पत्र हासिल करने की रिपोर्ट दी जिसको दर्ज रजिस्टर किया गया और जिसकी मिसल संख्या 219 सन् 1963 है जो 420 वर्ग गज मकान का क्षेत्रफल है ।

(3) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व बोर्ड की पट्टा कमेटी ने उक्त रामपाल को विक्रय-पत्र मिलने के लिये फैसला लिख दिया था ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त नम्बर 219। 63 रामपाल की बनी हुई मिसल गायब हैं ? अगर हां, तो वह गायब क्यों है ? अगर वह नहीं मिलती है तो क्या सरकार उक्त रामपाल को उसी अपनी जगह का विक्रय-पत्र नई मिसल बना कर दिलावाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि कुछ भूमि बांगड शफाखाना की बाउन्डरी में चली गई ? यदि हां, तो क्या शेष भूमि का विक्रय-पत्र उस गरीब को कब तक दिया जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका में ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ?

(2) जी हां।

(3) नगरपालिका में पत्रावली प्राप्त नहीं हो रही हैं।

(4) नगरपालिका द्वारा जांच की जा रही है। पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है।

(5) पत्रावली के प्राप्त न होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है ।

सवाई माधोपुर के बूचड़ व कसाईखाने

527. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ० आई० (1609) । एल० एस० आई० 49 दिनांक 14-1-60 ई० द्वारा वर्ष में कुछ पर्वों पर बूचड़ व कसाईखाना बन्द रखने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो कृपया उन पर्वों की सूची सदन की मेज पर रखकर बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नोटिफाईड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर में स्थित अपनी दुकानात स्टेशन बजरिया में गई अनन्त चतुर्थदशी दिनांक 5-9-68 को पशुओं को कत्ल कर उनका मांस बेचा जिसे वहां के नागरिकों ने नोटिफाईड एरिया कमेटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथ मौके पर पकड़ाया ? यदि हां, तो नोटिफाईड एरिया कमेटी ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि तदुपरान्त पुनः 26 जनवरी, 69 (गणतन्त्र दिवस) पर भी नोटिफाईड एरिया कमेटी के बजरिया स्थित दुकानों पर मांस की बिक्री की गई जिसकी टैक्स की रसीद भी चपरासी नोटिफाईड एरिया कमेटी ने चाक की है तथा उसी ही दिन पशु काटते भी दुकानदारों को पकड़ा ? यदि हां, तो इस पर कमेटी ने क्या कार्यवाही की ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय वर्द्धमान श्रावक संघ ने उक्त दोनों घटनाओं पर भी कोई कार्यवाही न की जाने पर दिनांक 30-1-69 को श्री खिलंजी, जिलाधीश, अध्यक्ष, नोटिफाईड एरिया कमेटी के पास खुलासा दोनों घटनाओं की लिखित शिकायत की गई? यदि हां, तो अध्यक्ष ने इस पर क्या कार्यवाही की? और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) नोटिफाईड एरिया कमेटी के कार्यालय के रेकार्ड से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दिनांक 5-9-68 को वहां के नागरिकों ने कमेटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथ पशुओं का बध कर मांस बेचते हुये पकड़ाया हो। श्री बाबूलाल ने दिनांक 26-8-68 को सचिव नोटिफाईड एरिया कमेटी को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसके अनुसार मांस बेचने वालों को पाबन्द रहने का आदेश जारी किया गया है। कुछ खटीकों व कसाइयों ने उक्त आज्ञा की अवहेलना की है जिनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करदी है।

(3) जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

नगरपालिका उनियारा की दुकानें

528. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका उनियारा, जिला टौंक द्वारा कोई दुकानें निर्माण करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह सही है कि निर्माण करवाने से पूर्व इन दुकानों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से एस्टीमेट व नक्शे तैयार करवा लिए गए थे? यदि हां, तो कुल कितना एस्टीमेट था?

(3) क्या निर्माण कार्य चालू करने से पूर्व यह भी जांच करवाली गई थी कि जिस भूमि पर निर्माण हुआ है वह भूमि नगरपालिका की है?

(4) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, टौंक द्वारा इस निर्माण को अनधिकृत बतलाया गया है? क्योंकि वह भूमि रोड़ बाउन्डरी की है?

(5) क्या यह सही है कि पी० डब्ल्यू० डी०, टौंक द्वारा जिलाधीश टौंक को भी लिखा है कि नगरपालिका का यह कार्य अनुचित है? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका को जिलाधीश टौंक द्वारा कार्य बन्द करने के आदेश भी दिये थे? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां। सतरह।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

नगरपालिका छापर के कर्मचारियों का वेतन

529. **श्री चुन्नीलाल इन्दालिया (नोखा)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छापर नगरपालिका के कर्मचारियों को कितने समय से वेतन नहीं मिल रहा है ?

(2) कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है और क्यों ?

(3) यह किस श्रेणी की नगरपालिका है ? इसमें किस श्रेणी का सेक्रेटरी या ई० ओ० लगा हुआ है और कब से ? उसकी मासिक तनख्वाह क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि निर्वाचित बोर्ड ने आर्थिक स्थित देखते हुए अधिक वेतन पाने वाले सेक्रेटरी या ई० ओ० को न भेजने और भेजे हुए का स्थानान्तरण करने का कई बार विचारा और राज्य सरकार से निवेदन किया था ? यदि हां, को कब कब ? और राज्य सरकार ने निर्वाचित बोर्ड की राय के विरुद्ध भी अधिक वेतन वाले सेक्रेटरी या ई० ओ० क्यों लगा रखा है ?

(5) कर्मचारियों का बकाया वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

(6) यहां प्रशासक कब से है ? प्रशासक का भत्ता कब से कब तक का बाकी है ?

(7) इस बोर्ड की वार्षिक आमदनी कितनी है और खर्च कितना है ? और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) माह अक्टूबर, 1968 से बकाया है। पिछले वर्षों का 12,401.00 बकाया है जिसकी श्रम न्यायालय से डिग्री हो चुकी है।

(2) केवल चौदह कर्मचारियों का वेतन आर्थिक स्थिति ठीक न होने से बकाया है।

(3) पांचवी श्रेणी की। पद रिक्त है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं। पद रिक्त है।

(5) आय के होते ही दिया जावेगा।

(6) वर्तमान प्रशासक दिनांक 16-2-69 से कार्य कर रहे हैं और उसका भत्ता उस ही तिथि से बकाया है।

(7) वर्ष 1968-69 के लिये स्वीकृत अनुमानिक आय-व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं ? :–

आय	व्यय
7,2956.00	72,956.00

नगरपालिका नवलगढ़ के निलम्बित कर्मचारी

530. **श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1967 से अब तक नगरपालिका नवलगढ़ ने कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया ?

(2) निलम्बित कर्मचारियों को कितनों को वापस लिया गया और क्यों ?

(3) उनको घर बैठे कितने-कितने समय की और किन-किन को तनख्वाह कितनी-कितनी देनी पड़ी ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्वायत शासन मंत्री)

उत्तर

(1)	1. श्री बनारसीलाल	हरिजन
	2 श्री सन्तलाल	हरिजन
	3. श्री जगदीश	हरिजन
	4. श्रीमती मूंगली	हरिजन
	5. श्रीमती केशरी	हरिजन
	6. श्री सत्यनारायण	नाकेदार
	7. श्री उम्मेदसिंह	नाकेदार

(2) सम्बन्धित उप-जिलाधीश एवं जिलाधीश के निर्णय अनुसार सबको वापिस लिया गया हैं।

(3) तालिका सदन की की मेज पर रखदी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सेकेन्ड्री स्कूल, खूड के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

531. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) **श्री मदनसिंह** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सेकेन्ड्री स्कूल खूड (जिला सीकर) के प्रधानाध्यापक एवम् एक सहायक अध्यापक के भ्रष्ट आचरण की शिकायतें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(2) क्या प्रधानाध्यापक, खूड के स्थानान्तरण हेतु उप-शिक्षा मंत्री महोदय से लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी तक ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस किस तारीख को आदेश दिये गये और उनकी पालना क्यों नहीं हुई ?

(3) क्या यह सही है कि जुलाई, 68 में प्रधानाध्यापक, खूड का स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर हुआ था और यह निरस्त हो गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की तीन बार जांच हो चुकी है और वे दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खूड (सीकर) के स्थानान्तरण हेतु केवल उप-शिक्षा मंत्रीजी द्वारा दिनांक 16-10-67 को आदेश दिये गये। परन्तु किसी उच्च अधिकारी के स्थानान्तरण से पूर्व उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करना उचित समझकर शिकायतों की जांच के बाद ही स्थानान्तरण करना उचित समझा गया। बाद में विद्यालय निरीक्षक सीकर ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतों को निराधार बताया।

(3) जी हां, श्री ब्रह्मप्रकाश सक्सेना, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यामिक विद्यालय, खूड का स्थानान्तरण 8 जुलाई, 68 को हुआ था और उसे वापिस निरस्त कर दिया गया था। यह स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर नहीं किया गया बाद में प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया।

(4) प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खूड के विरुद्ध शिकायतों की जांच

(शिक्षा मंत्री)

दो बार हो चुकी है जिनके अनुसार शिकायतें तथ्यहीन व निराधार पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार अध्यापक और शिकायत कर्त्ताओं के बीच पारस्परिक मनमुटाव होने के कारण प्रधानाध्यापक जी शिकायत में फंस गये।

	कुल छात्र संख्या	दसवीं कक्षा में छात्र संख्या
1. सादड़ी	680	120
2. सुमेरपुर	797	176
3. बाली	654	137
4. तखतगढ़	338	48

(3) पाली जिले में निम्नलिखित हायर सेकेन्ड्री स्कूलें हैं?

		कुल छात्र संख्या	दसवीं कक्षा में छात्र संख्या
(क)	1. पाली	838	226
(ख)	2. सोजत रोड	462	39
	3. सोजत नगर	484	156
	4. रानी	211	24
	5. जैतारण	526	69
	6. सेवाडी	198	26
	7. देसूरी	164	21
	8. नीमाज	244	24

(4) सांडेराव, जिला पाली की आठवीं कक्षा तक की स्कूल की छात्र संख्या 454 है एवं आठवीं कक्षा की छात्र संख्या 28 है। गत वर्ष इस स्कूल के भी प्रस्ताव प्राप्त हुये थे लेकिन इस जिले में दो शालाएं गुड़ा एन्दला व सीवाड़ा सेकेन्ड्री स्कूल को क्रमोन्नत की गई। इन स्थानों की आबादी एवं इन स्थानों से सेकेन्ड्री स्कूलें अधिक दूर होने के कारण सरकार द्वारा उपयुक्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई?

सादड़ी, सुमेरपुर, बाली, तखतगढ़ के स्कूल

532. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सादड़ी, सुमेरपुर, बाली, तखतगढ़ (जिला पाली) की दसवीं कक्षा तक की स्कूलों को ग्यारहवीं कक्षा तक कब तक बढ़ा दिया जायेगा?

(2) इन उपर्युक्त पाठशालाओं में कुल छात्र संख्या क्या क्या है एवं दसवीं कक्षा में कुल छात्र संख्या क्या क्या है?

(3) पाली जिले में ग्याहवीं कक्षा की स्कूलें कितनी हैं एवं कौन कौन सी हैं? इन स्कूलों की प्रत्येक स्कूल की छात्र संख्या क्या क्या है एवं दसवीं कक्षा की छात्र संख्या क्या क्या है?

(4) सांडेराव (जिला पाली) की आठवीं कक्षा तक की स्कूल की कुल छात्र संख्या क्या है एवं आठवीं कक्षा की छात्र संख्या क्या है? इस स्कूल को दसवीं तक नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) इस वर्ष के आय-व्ययक में स्कूलों को क्रमोनन्त करने व नये स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है।

बुनियादी शिक्षा

533. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में राज्य की ओर से तथा मदद प्राप्त संस्थाओं की ओर से

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बुनियादी तालीम के स्कूल चल रहे हैं ? यदि चले रहे हैं तो कहां कहां ?

( ) क्या ऐसी संस्थायें भी हैं जो बनियादी तालीम का काम कर रही हैं लेकिन बार बार प्रार्थना के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं मिल रही है? यदि ऐसी संस्थायें हैं तो कहां कहां हैं ?

(3) क्या सरकार गांधी शताब्दी के वर्ष में बुनियादी तालीम को प्राथमिकता देने का विचार तथा निर्णय ले रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में बुनियादी तालीम की योजना का सूत्रपात 1953-54 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात बुनियादी शालाएं अलग से नहीं खोली गईं तथा समस्त प्राथमिक शालाएं बुनियादी तत्व से प्रभावित Basic oriented हैं । वैसे अब शिक्षा आयोग ने Concept को बदल दिया है । सन् 1965-66 के अन्त में राजकीय बेसिक शालाएं पंचायत समितियों की शालाएं सहित संख्या 1,856 थी। प्राइवेट बेसिक शालाओं के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) निदेशालय के स्तर पर मान्यता के मामले लटके हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में संस्थाओं के स्थानों का संकेत करने का प्रश्न नहीं बनता।

(3) प्रश्न (1) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले की अदालतें

534 **श्री मेघराज** (चरू) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

न्याय सस्ता एवं शीघ्रता से मुहय्या करवाने हेतु सरकार ने न्याय की दीवानी एवं फौजदारी अदालतों के सेट-अप में चूरू जिले में पिछले दो वर्षों में क्या क्या परिवर्तन किये हैं और उनका उस क्षेत्र में क्या इम्पेक्ट हुआ है ?

उत्तर

दीवानी एवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश की अदालत में 15-6-68 से उन्नत करने (अपग्रेड) के अलावा चूरू जिले की ज्युडिशियल कोर्ट्स में दो साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उपरोक्त परिवर्तन का यह प्रभाव हुआ है कि पहले 10,000 से कम के मुकदमों की डिक्री की अपील जिला न्यायाधीश, बीकानेर के यहां हुआ करती थी अब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये रु० 10,000 से कम के दावों के फैसले की अपीलें सीधी उच्च न्यायालय में पेश होती हैं।

श्री महावीर माध्यमिक विद्यालय, सरदारशहर

535 **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे :—

(1) क्या सरदार शहर में श्री महावीर माध्यमिक विद्यालय नामक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त और आर्थिक सहायता प्राप्त है ? यदि हां तो कब से

(श्री हीरा भाई)

मान्यता प्राप्त है और कितनी आर्थिक सहायता इसे मिलती है?

(2) क्या यह संस्था मान्यता प्रदान करने और आर्थिक सहायता देने संबंधी नियमों व प्रावधानों को पूरा करती है? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं?

(3) भवन, स्टॉफ तथा अन्य आवश्यक सामान क्या नियमानुसार हैं? यदि हां, तो किस प्रकार?

(4) इसके हैड मास्टर कौन हैं? उनकी योग्यता क्या है? क्या वे ट्रेन्ड हैं? अन्य कौन कौन अध्यापक कबसे हैं और उनकी योग्यता क्या है? उनमें से कौन ट्रेन्ड है?

(5) अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन, भत्ता आदि क्या मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये लागू विभागीय नियमानुसार मिलता है?

(6) क्या यह सही है कि इस स्कूल में अन्य स्कूलों में अनुतीर्ण हुए छात्रों को ऊंची कक्षाओं में भरती करने की, जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं अन्यत्र रहते हैं उनकी स्कूल में फर्जी हाजरी लगाने की, परीक्षा में बिना उपस्थित हुए ही परीक्षा में पास कर देने की अध्यापकों अथवा अन्य लोगों द्वारा प्रश्नोत्तर लिखवाने की, यह संस्था छोड़कर जाने वाले छात्रों को साल भर तक की टी० सी० नहीं दी जाने की, अध्यापकों को झूठे नाम रख कर बिना अध्यापक हुए ही खर्च में दिखाकर राजकीय सहायता प्राप्त करने की, अध्यापकों को वेतन कम दिया जाने और रसीद पूरी करवाने की तथा झूठा परीक्षा परिणाम पैसे लेकर तैयार करने की शिकायतें निरीक्षक चूरू, शिक्षा निदेशक, बीकानेर, उप-निदेशक शिक्षा, जोधपुर, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग आदि को दिनांक 4-5-68, 27-6-68, 8-7-68 को रजिस्टर्ड लैटर द्वारा प्रमाण में नामों की सूचियां देते हुए सरदारशहर से भेजी गई हैं?

(7) क्या यह भी सही है कि इतनी गम्भीर शिकायतें होते हुए भी और प्रमाण के तौर पर पूरा विवरण प्रस्तुत करने पर भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई जांच या कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां तो क्यों नहीं की गई। यदि की गई तो क्या, किसके द्वारा और क्या शिकायतकर्त्ता को पूछा गया? क्या उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की जानकारी की गई?

(8) राज्य सरकार इस संबंध में जिन अधिकारियों ने लिखित शिकायत मिलने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सरदारशहर में महावीर उ० प्रा० पाठशाला मान्यता व सहायता प्राप्त संस्था है। यह पाठशाला दिनांक 3-5-62 से उच्च प्राथमिक स्तर हेतु स्थाई मान्यता है। इसे इस वर्ष 68-69 के लिए रुपया 3,913) का अनुदान स्वीकृत किया है।

(2) अनुदान नियमों में प्रभावित समस्त नियमों के पालन करने पर ही ग्रान्ट दी जाती है अन्यथा नहीं।

(3) संस्था का भवन किराये का है। स्टॉफ की संख्या एक मिडिल स्कूल के लिये छात्र संख्या देखते हुए ही निश्चित की जाती है। इस पर अलग से नियम नहीं हैं। विभाग

Page No 66

(शिक्षा मन्त्री)

नियमानुसार केवल योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की मय नियुक्ति पर ही अनुदान देता है। 1965 के बाद के अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन स्वीकार नहीं होता है।

(4) इसके हेड मास्टर श्री सांवरराम मिश्र हैं जो योग्यता में भाषा रत्न व प्रथमा हैं। जिन अध्यापकों का वेतनम न किया गया है, उनके योग्यता के विवरण दिये जा रहे हैं।

नाम	योग्यता
1. श्री सावलराम मिश्र, प्रधानाध्यापक	भाषारत्न, प्रथमा
2. श्री सच्चिदानन्दसिंह, सहायक अध्यापक	बी० ए०
3. श्री सूरजमल शर्मा, सहायक अध्यापक	विशारद, मैट्रिक
4. श्री किशनलाल स्वामी, सहायक अध्यापक	मैट्रिक, एस० टी० सी०
5. श्री राम सहाय, सहायक अध्यापक	एस० टी० सी०
6. श्री बजरंगलाल भोजक, सहायक अध्यापक	मैट्रिक
7. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, सहायक अध्यापक	मैट्रिक (विज्ञान)
8. श्री शिवशंकर त्रिवेदी, सहायक अध्यापक	बी० एससी०

(5) अनुदान राजकीय नियमानुसार वेतन महंगाई व अन्य भत्ते पर देते हैं।

(6) इस प्रकार की दो एक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी जांच के लिये विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, चूरू को कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) शिकायत पर तुरन्त जांच करने के आदेश दिनांक 10-6-68 व 11-10-68 को इस कार्यालय द्वारा विद्यालय निरीक्षक, चूरू को दिये हैं। सभी तथ्यों पर जांच होने पर ही कार्यवाही की जावेगी।

(8) जांच पूरी होने पर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना ही सम्भव होगा।

हाई स्कूल, मन्डाना का भवन

536. **श्री बृज बल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंडाना, तहसील लाडपुरा में सन् 61-62 से हाई स्कूल खुला हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उस स्कूल के कमरे अधूरे होने से बच्चे दूसरी जगह पढते हैं?

(3) यदि हां, तो सरकार उस अधूरे स्कूल की इमारत को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सत्य नहीं है। शाला भवन पूर्ण है केवल 6 कमरों में किवाड़ व खिडकियां लगनी बाकी हैं जिसको पूरा कराने का भार जनता पर है क्योंकि शाला को क्रमोन्नत करते समय यह भी एक शर्त थी कि शाला भवन

(शिक्षा मन्त्री)

जनता द्वारा निर्माण कराया जायगा। इस समय शाला में 175 छात्र हैं जिनको देखते हुए भवन पर्याप्त है। बोर्ड की शर्त के अनुसार एक सामान्य विज्ञान का कमरा 20×25 व एक पुस्तकालय का कमरा 40×25 की आवश्यकता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

तरुण कलाकार परिषद्, जयपुर को अनुदान

537. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तरुण कलाकार परिषद, जयपुर के कितने वर्षों का ऑडिट नहीं हुआ और क्यों ?

(2) इस संस्था को संगीत नाटक एकेडमी द्वारा किस किस वर्ष में कितना कितना अनुदान दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

संगीत नाटक एकेडमी द्वारा संस्थाओं को अनुदान

538. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संगीत नाटक एकेडमी द्वारा किस किस वर्ष में किस किस संस्था को कितना कितना अनुदान दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अनुदान प्राप्त संस्थाओं में किस किस संस्था का किस किस वर्ष तक के हिसाब का ऑडिट हुआ है ?

(3) ऑडिट कराने के संबंध में नियमानुसार क्या व्यवस्था है ?

(स्थगित किया गया)

बूंदी जिले के स्कूल

539. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में सन् 1947 में कितने मिडिल स्कूल थे और कहां कहां पर थे ?

(2) उनमें से कितने मिडिल स्कूल हायर सेकेन्ड्री कब बनाये गये और किस आधार पर ?

(3) जो हायर सेकेन्ड्री बने उनमें से किस किस के लिये नई इमारत बनवाई गई ? प्रत्येक स्कूल में कितने कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(4) हर हायर सेकेन्ड्री की इमारत में जन सहयोग क्या दिया गया और सरकार ने कितनी रकम दी ?

(5) कहां कहां की इमारतें पूर्ण हो चुकी हैं और कहां कहां की अभी अधूरी पड़ी हैं और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी में सन् 1947 में 5 मिडिल स्कूल थे जो निम्न स्थानों पर हैं :—

(1) कापरेन, (2) केशोरायपाटन, (3) लाखेरी, (4) देई (5) हिण्डोली।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) राजकीय मिडिल स्कूल, हिण्डोली सन् 1960 में हायर सेकेन्ड्री स्कूल में गुणावगुण के आधार पर उन्नत किया गया।

(3) सन् 1960-61 में हायर सेकेन्ड्री स्कूल, हिण्डोली मिडिल से क्रमोन्नत हुआ उस समय इस स्थान पर स्टेट बूंदी द्वारा मिडिल स्कूल की जो इमारत बनाई हुई थी उसी इमारत में हायर सेकेन्ड्री स्कूल चालू हुआ था। वर्तमान समय में यहां 314 छात्र पढ़ते हैं।

(4) इस स्कूल की इमारत में जनता ने सन् 1964 में ग्राम पंचायत के जरिये 2 कमरे बनवाये हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 600 रुपया इमारत की मरम्मत हेतु गत वर्ष दिये हैं।

(5) हायर सेकेन्ड्री, हिण्डोली में वर्तमान शाला भवन अपर्याप्त है। विद्यालय में 10 खण्ड हैं जिनमें से 5 खण्ड बरामदों के नीचे अध्ययन करते हैं और 5 खण्ड कमरों में बैठते हैं।

पब्लिक बोर्डिंग हाउस, केकड़ी

540. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी—सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर में पब्लिक बोर्डिंग हाउस चलता था ? अगर हां, तो वह कहां पर चलता था और कब से बन्द है ?

(2) उक्त बोर्डिंग हाउस किसके आदेश से क्यों बन्द किया गया ?

(3) क्या उक्त बोर्डिंग हाउस में पब्लिक की ओर से चन्दा करके कमरे बनाये गये थे ? अगर हां, तो कितने ? क्या किसी एक व्यक्ति ने भी दान स्वरूप छात्रावास में कमरे बनाये थे ?

(4) क्या सरकार केकड़ी नगर की जनसंख्या व बाहर के छात्रों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए वहां पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा जारी किये गये फौजदारी वारन्ट

541. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री पनेचन्द सिंघवी, एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के कार्यालय में कितने वारंट दफा 100, जाब्ता फौजदारी के जारी किये गये ? उनमें से कितने वारंट प्राइवेट इस्तगासा में जारी हुए ?

(2) उक्त वारंट में से कितने वारन्ट लडकियों अथवा औरतों को उनके पति अथवा माता पिता अथवा बहिन अथवा नाना के यहां से बरामद कराने के थे ?

(3) क्या दफा 100, जाब्ता फौजदारी के इतने अधिक वारन्ट किसी अन्य मजिस्ट्रेट की अदालत से इतने अर्से में जारी किये गये ?

(4) क्या श्री पी० सी० सिंघवी के तबादले के बाद एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट,

Page No 69

(श्री रामाकिशन)

बीकानेर द्वारा जारी किये जाने वाले दफा 100, जाब्ता फौजदारी के वारन्टों की संख्या अत्यधिक कम हो गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) श्री पनेचन्द सिंघवी के कार्यालय में दफा 100, जाब्ता फौजदारी की दरख्वास्तों पर 62 सर्च वारन्ट जारी किये गये तथा तीन प्राइवेट इस्तगासों में जारी किये गये। इनमें से तीस मुकदमें अदम पैरवी व दस्तबरदारी से दाखिल दफ्तर किये गये।

(2) उक्त वारन्ट के तहत एक लड़की अपनी माता के यहां से, 12 औरतें पति के यहां से तथा 20 औरतें पिता के यहां से, एक औरत ससुर के घर से तथा एक भाई के घर से बरामद की गई।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) श्री सिंघवी के तबादले के बाद एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने दिनांक 30-9-67 से 14-9-68 तक 7 सर्च वारन्ट जारी किये हैं।

नागौर डिग्री कॉलेज का भवन

542. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर शहर में जिस डिग्री कॉलेज भवन का शिलान्यास तारीख 24-7-68 को मुख्य मंत्रीजी ने किया उस भवन में कॉलेज सरकार कब से चालू करेगी ?

(2) इस कॉलेज में क्या क्या विषय सरकार आगामी सत्र से चालू करेगी एवं कौन कौन सी कक्षा में प्रवेश देगी ?

(3) नागौर शिक्षा विकास समिति जो भवन तैयार करवा रही है, उस भवन के अलावा क्या भवन पूर्ण डिग्री कॉलेज (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाओं सहित) के लिए चाहिए, जो भवन इस निर्माणाधीन भवन के अलावा चाहिये, उनका नक्शा व नाप भी बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जन सहयोग से भवन निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर राज्य सरकार इस भवन में महाविद्यालय आरम्भ करने का विचार आर्थिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए करेगी।

(2) भवन की व्यवस्था एवं छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समय पर इस पर विचार किया जावेगा।

(3) भवन निर्माण कार्य नागौर शिक्षा विकास समिति द्वारा ही कराया जा रहा है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्लान के अतिरिक्त पूर्ण डिग्री कॉलेज के लिये और क्या क्या भवन की आवश्यकता है यह उक्त समिति द्वारा ही बताया जा सकता है।

सरकारी वकीलों एवं पब्लिक प्रोसीक्यूटरों की नियुक्ति के नियम

543. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गवर्नमेंट एडवोकेट्स व पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की तैनाती वगैरा की बाबत रूल्स बनाने का जो आश्वासन हाउस में माननीय विधि मंत्री ने दिया था वो कब तक क्रियात्मक रूप में परिणित हो जावेगा ?

(विधि मंत्री)

उत्तर

आश्वासनों को क्रियात्मक रूप देने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष में संशोधन हो जावेंगे। पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्ति संबंधी नियम तो पहले से ही बने हुए हैं।

स्थगित प्रश्न

(27-2-69 व 20-3-69)

कोटा जिले में अपराधों की घटनायें

26. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर व जिले में वर्ष सन् 68 में कितनी घटनाऐं चोरी, अपहरण, कत्ल, मारपीट की घटित हुई ? कृपया थानेवार बताने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त में से कितने अपराधी पकड़े गए कितने के चालान हुए व कितनों को सजा हुई व कितनी बरामदगियां हुई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में सन् 68 में अपराधों की घटनाय राज्य के अन्य इलाकों की अपेक्षा सबसे अधिक हुई हैं ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) कोटा नगर व जिले में सन् 1968 में 1,470 चोरी, 94 अपहरण, 33 कत्ल और 478 मारपीट की घटनाएं घटित हुई थीं। थानेवार सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त अपराधों से संबंधित 1,808 अपराधी पकड़े गए जिनमें से 1,605 अपराधियों का चालान अदालत में हुआ और 42 सजायाब हो चुके हैं। कुल बरामदगी 2,11,126 रु० 15 पैसे की हुई है।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए प्रिवेन्टिव कार्यवाहियां की जाती हैं व अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20-3-69)

झालरा तालाब (मकराना) की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

159. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना स्थित झालरा तालाब की काफी भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके कम्पनियां स्थापित करली हैं ? यदि हां तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

(2) यदि यह सरकार की जानकारी में नहीं है तो क्या सरकार खुफिया विभाग द्वारा जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलवाने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

Page No 71

स्थगित प्रश्न

(19-3-69 व 25-3-69)

बीकानेर शहर में मेन सड़क की मरम्मत

251. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में जो बाईलेन फोर्ट डिस्पेन्सरी के पास से सूरसागर तालाब के ऊपर से होती हुई धोबीधोरा बास, हनुमान हत्ता बास में होती हुई कोठी नं० 3 से आगे मेन सड़क जो स्टेडियम व लालगढ़ पैलेस की ग्राउन्ड से मिलती है उसका निर्माण कब हुआ था व उसकी मरम्मत किस-किस साल में हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस वक्त वहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और जमीन ऊबड़-खाबड़ है व खड्डे पड़े हुए हैं जिन पर मोटरों का तो क्या आदमियों का भी चलना दुश्वार है ?

(3) क्या इस बाईलेन की मरम्मत इसलिये नहीं की जा रही कि बीकानेर के विधायक इसकी मरम्मत होने के खिलाफ हैं ?

(4) अब इस सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) इस नाम की सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है अतः इस विभाग को इस सड़क के निर्माण के बारे में जानकारी नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

राजस्थान राज्य समाज कल्याण मण्डल

267. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल को अब तक कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा किस-किस रूप में किस वर्ष में दी गई है, और किस-किस काम के लिये दी गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें यह भी उल्लेख हो कि उक्त धनराशि उस काम में ली गई या नहीं ? और ली गई तो कितनी और नहीं ली गई तो उसका क्या हुआ ?

(2) केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा दी गई धनराशि का विवरण खण्ड 1 के अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस राज्य मण्डल के हिसाब-किताब का अंकेक्षण कितनी सालों का नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है ? जिन वर्षों का हो चुका है उस अंकेक्षण प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) इस मण्डल के पदाधिकारियों की सूची जो अब तक रहे हैं सदन की मेज पर

Page No 72

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रखने की कृपा करें, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि कौन-कौन कितने दिन तक रहा ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-3-69)

सरपंचों की गिरफ्तारी संबंधी नीति

277. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह कोई नीति निर्धारित की है कि सरपंचों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी ? यदि हां, तो कब से और यह नीति निर्धारित करने के बाद किन-किन मामलों में कब-कब पुलिस ने स्वीकृति सरकार से मांगी और किन-किन मामलों में कब-कब सरकार ने स्वीकृति दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कुछ मामलों में पुलिस ने नीति का पालन नहीं किया और बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के कुछ सरपंचों को गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस प्रकार के आदेशों के खिलाफ पुलिस द्वारा सरपंचों को गिरफ्तार करने के मामलों में राज्य सरकार ने उक्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-3-69)

ग्रामीण जल वितरण योजना

297. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 68-69 में ग्रामीण जल वितरण योजना बनाई गई थी और उनके लिये एल० आई० सी० से ऋण भी प्राप्त किया गया था ? यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन से ग्राम थे और इन पर कितनी-कितनी धनराशि मांगी गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 69-70 के लिए भी कुछ और ग्राम जल वितरण योजना के लिए चुन लिए गए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उनियारा नगरपालिका क्षेत्र, जिला टोंक को भी वर्ष 69-70 के लिए चुना गया है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में ऐसी कोई ग्रामीण जल वितरण योजना नहीं बनी थी जिसके अन्तर्गत एल० आई० सी० (जीवन बीमा निगम) से ऋण मांगा गया था । जीवन बीमा निगम ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत नहीं करती ।

Page No 73

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) वर्ष 1969-70 के लिए भी किसी भी योजना के अधीन किन्हीं ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण नहीं मांगा गया है। राज्य सरकार के बजट के अन्तर्गत नयी ग्रामीण जल वितरण योजनाओं पर वर्ष 1969-70 में कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है।

नाम	जिला
1. देवली	पाली
2. खैरवाड़ा	उदयपुर
3. मांडल	भीलवाड़ा
4. भाखर	झुंझुनूं
5. सुवाणा	भीलवाड़ा
6. चौमुहला	झालावाड़
7. झवाली	पाली
8. अन्ता	कोटा
9. अचरोल	जयपुर
10. लालगढ़	चूरू
11. सायला	उदयपुर
12. इटून्डा	भीलवाड़ा
13. भांडारेज	जयपुर

(3) कस्बा उनियारा में वर्ष 1969-70 में 2.85 लाख रुपया लागत की जल प्रदाय योजना शुरू करने की स्वीकृति हो चुकी है। योजना की औपचारिक प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति वर्ष 69-70 में ही जारी की जावेगी और तभी काम भी चालू किया जावेगा दो-तीन महीने में कार्य चालू हो जाने की आशा है। वर्ष 69-70 में इस योजना के लिए कुल 75,000) रु० का प्रावधान किया गया है। रु० 50,000) का ऋण जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने की आशा है तथा शेष रु० 25,000) राज्य के बजट में से व्यय होगा।

स्थगित प्रश्न

(21-3-69)

सैनिकों को भूमि का अलाटमेंट

314. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सरकार द्वारा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कितने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को जमीन आवंटित की गई व कहां-कहां पर ?

(2) जिला बून्दी में तहसीलवार किस-किस सैनिक व भूतपूर्व सैनिक को कहां-कहां पर भूमि आवंटित की गई और कब-कब ?

(3) सैनिकों को सिंचित व असिंचित भूमि कितनी-कितनी देने की योजना है ?

(4) क्या यह सत्य है कि सैनिकों की बेवाओं या उनकी माताओं के बार-बार आवेदन करने पर भी तहसीलदार कोई ध्यान नहीं देते ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सरकार द्वारा कुल 5,680 सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न जिलों में भूमि आवंटित की गई है। सूची संलग्न है।

(2) जिला बूंदी में जिन-जिन सैनिकों को जहां 2 भूमि आवंटित की गई है उसकी सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री

(3) ऐसी कोई योजना नहीं है। सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम, 1957 एवं राजस्थान विकलांग सैनिक तथा मृत सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायतार्थ भूमि आवंटन नियम, 1963 के अन्तर्गत आवंटन किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-3-69)

जिला जालोर में चोरियां, लूट, डकैतियां एवं कत्ल के मामले

326. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन सालों में जिला जालोर में कितनी चोरियां, लूट, डकैती एवं कत्ल के मामले पुलिस द्वारा दर्ज किये गये ? उनमें से कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी गई एवं कितनों में पुलिस द्वारा अदालतों में चालान पेश किये गये ? फाइनल रिपोर्ट देने के क्या-क्या कारण थे ?

(2) चालान शुदा मुकदमात में से कितने फैसल हुए एवं कितने अदालतों में किस किस जगह पर जैर तजवीज हैं ? फैसल हुए मुकदमात में से कितनों में क्या सजायें हुई एवं कितने मुकदमात में मुलजिमान बरी या रिहा किये गये ? बरी या रिहा होने के क्या कारण थे ?

(3) उपरोक्त मामलों में से कितनों में पुलिस द्वारा कितना माल बरामद किया गया कितने मामलों में माल बरामद नहीं हो सका एवं दूसरे क्या कारण थे ? अब तक कितने मामलों में माल बरामद होने की पुलिस को आशा है ?

(4) क्या यह सत्य है कि मुलजिमान की पैरोकारी के मुकाबले पुलिस की पैरोकारी शाखा अनुभवी न होने के कारण पुलिस के बहुत संगीन केसेज अदालतों में असफल होते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसा होने से संगीन जुर्म भी ज्यादा बढ़ते हैं ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार इस शाखा के सुधार के बारे में क्या विचार रखती है ? ऐसा सुधार कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में आपसी पार्टी बन्दी होने से संगीन जुर्मों में लोगों की झूठे मुलजिमान रिपोर्ट में दर्ज करने की आदतें ज्यादा पड़ गई हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इससे संगीन जुर्मों में मुलजिमान ज्यादा बरी होते हैं, और मुकदमे आगे जाकर अदालतों में ज्यादा असफल होते हैं ? अगर हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

उत्तर

(1) पिछले तीन सालों में मण्डल जालोर में हत्या, डकैती, लूट व चोरियों के जो अभियोग पंजीबद्ध हुए व उनमें कितनों का चालान हुआ व एफ० आर० दी है समस्त सूचना संलग्न तालिका में दर्ज की गई है। जब किसी मुकदमे में माल मुलजिमान का पता नहीं चलता है या किसी मुकदमे में सबूत का

(गृह मंत्री)

अभाव होता है तो ऐसी परिस्थितियों में एफ० आर० अदम सबूत व अदम पता में दी जाती है या मुकदमा झूठा साबित होता है तो एफ० आर० अदम वकूब में दी जाती है। जितने मुकदमों में एफ० आर० दी गई है उनके यही मुख्य कारण हैं ।

(2) चालान शुदा मुकदमात में से-जिन-जिन में फैसले होगये हैं एवं जो अभी तक न्यायालय में विचाराधीन हैं उनकी तालिका संलग्न है। जिन-जिन में सजा हुई या बरी व रिहा हुए हैं वो भी तालिका में दर्ज किये गये हैं। बरी व रिहा होने के निम्न कारण हैं:—

(1) न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमात का काफी समय तक निपटारा न होने से गवाहान तंग हो जाते हैं जिससे वे होस्टाइल हो जाते हैं या मुलजिम व फरियादी राजीनामा कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप मुलजिम बरी हो जाते हैं।

(2) क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा गवाहान एवं मुस्तगीसों पर अनुचित दबाव डालते रहते हैं ।

(3) जनता का सहयोग पूर्ण रूप से पुलिस को उपलब्ध न होने के कारण मुकदमा सच्चा होते हुए भी शहादत कम होने से मुलजिम रिहा हो जाता है हालांकि पुलिस मुलजिम को दण्डित करवाने हेतु काफी प्रयत्नशील रहती है ।

(3) जिन-जिन अपराधों में जो माल बरामद हुआ है तालिका संलग्न है। बावजूद कोशिश पुलिस के मुलजिमान का पता नहीं चलता या माल का सुराग नहीं लगता है तो बरामदगी नहीं हो सकती है । भविष्य में कितने मामलों में माल बरामदगी की आशा है इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन पुलिस बरामदगी के लिये प्रयत्नशील रहती है।

(4) जी नहीं । मण्डल जालोर में पैरोकारी शाखा में चार अधिकारी हैं जिनमें से दो Law Graduates हैं जिनका कार्य मण्डल के वकीलों के समक्ष ही नहीं है बल्कि उनसे अच्छा है । एक अभियोजक उप-निरीक्षक हालांकि Law Graduates नहीं हैं किन्तु उनका इस कार्य का अनुभव संतोषजनक है । आईन्दा जो भी पी० एस० आई० भर्ती किये जाते हैं वो Law Graduates ही किए जाते हैं ।

(5) जी हां। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आपसी पार्टीबाजी होने के कारण संगीन जुर्मों की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की आदतें ज्यादा पड़ गई हैं किन्तु इस प्रकार की परीपाटी की रोकथाम के लिए धारा 182। 211 ता० हि० के अन्तर्गत कार्यवाही अधिक तादाद में की गई है। फलस्वरूप कुछ सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। यह सत्य नहीं है कि गंभीर अभियोगों में मुलजिमान ज्यादा बरी हो रहें हैं ।

स्थगित प्रश्न

(22-3-69)

तख्तगढ़-चान्द्राई सड़क

347. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तख्तगढ़ से चान्द्राई, जिला जालोर में जो सड़क बनी हुई थी उसे पक्की न बनवाकर दूसरी सड़क

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नहर के किनारे जो किसी दूसरे गांव से होकर नहीं जाती है नई सड़क बनाई गई है। यदि हां, तो कब उस पर कितने रुपये खर्च हुए और पहिले वाली सड़क कब बनाई गई थी और उस पर कितने रुपये खर्च हुए थे ? पहिले वाली और अब नई बनाई गई सड़कों पर अब बीच में कौन-कौन से गांव आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि संबंधित उप-मंत्री महोदय का खुद का फार्म होने के कारण यह सड़क बनाई गई है ?

(3) उपरोक्त दोनों सड़कों की योजनाएं कब किस के द्वारा बनाई गई थीं ?

(4) इस संबंध में राज्य सरकार को कोई शिकायतें किसी की ओर से प्राप्त हुई हों तो, क्या-क्या और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस सड़क के संबंध में पी० डब्ल्यू० डी० के इंजिनियरों ने क्या रिपोर्ट दी थी ?

उत्तर

(1) नवीन सड़क निर्माण नहीं कराया गया है—प्रश्न नहीं उठता। तख्तगढ़ से चान्द्राई रोड पुरानी है निर्माण वर्ष व सड़क की लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(2) सार्वजनिक हित में सड़क मरम्मत कराई गई है।

(3) केवल तख्तगढ़ से चान्द्राई रोड की मरम्मत कराई गई है अन्य योजना का प्रश्न नहीं उठता।

(4) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) वर्षा में टूटी रोड के मरम्मत हेतु धनराशि की रिपोर्ट की थी जिसकी स्वीकृति दी गई है।

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

तहसील नोहर की बारानी क्षेत्र की भूमि का रजिस्टर

413. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में बारानी क्षेत्र की आराजी काश्त भूमि का रजिस्टर अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बारानी क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में 1 साला अलॉटमेंट का नवीनीकरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि अलॉटमेंट नियम की धारा 14 के तहत 10 साला अलॉटमेंट करने का नियम है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को 10 साला एलॉटकी जाकर पट्टे दिये गये ? यदि नहीं दिये गये तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि एक साला अलॉटमेंट करने से 5 रु० पट्टा फीस व 1 रु० गैर-खातेदारी के इन्तकाल फीस नहीं ली जा सकती जिससे सरकार को बड़ा नुकसान होता रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि रिपोर्ट लेखा आराजी अलॉटमेंट सरकारी भूमि संवत्

(श्री रामचन्द्र आर्य):

2022-23 के रिकार्ड में सही नहीं होना बताकर ऐतराज तारीख 25-11-67 को जिलाधीश, श्रीगंगानगर को दिया है ?

(6) क्या यह सही है कि निरीक्षक, राजस्व लेखा द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आराजी अलॉटमेंट के रजिस्टर तैयार नहीं किये जाते हैं और 5 रु० पट्टा फीस व 1 रु० गैर-खातेदारी इन्तकाल फीस वसूल नहीं करने से सरकार को काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर जवाब तलब किया गया है ?

(7) तहसील नोहर में कुल कितने अलॉटी हैं और कितने सालों से एक साला नवीनीकरण किये जाते हैं ?

(8) क्या निरीक्षक, राजस्व लेखा, जिला गंगानगर ने जो ऐतराजात किये हैं, वह सही हैं ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील नोहर में आराजी काश्त का रजिस्टर इसलिए अधूरा था कि पहले फार्म ओ० 14 नहीं थे अब उपलब्ध हो चुके हैं और रजिस्टर पूरा किया जा चुका है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । इन नियमों में 10 वर्ष पश्चात् आवंटन की शर्त पूरी की जाने पर आवंटति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रावधान हैं ।

(4) एक साला आवंटन करते समय पट्टा फीस नहीं ली गई । चूंकि आवंटन आरजी तौर पर किया गया था । अब नियमानुसार आवंटन किया जा कर पट्टा फीस वसूल की जा रही है ।

(5) जी हां, निरीक्षक, राजस्व लेखा के ऐतराजात की पूर्ति की जा चुकी है ।

(6) निरीक्षक, राजस्व लेखा द्वारा उठाये गये एतराजात की पूर्ति की जा चुकी है । एक साला आवंटन आरजी तौर पर किये जाने के कारण पट्टा फीस व इन्तकाल फीस की हानि का प्रश्न नहीं उठता अब नियमानुसार आवंटन किया जा कर उक्त पट्टा फीस वसूल की जा रही है ।

(7) तहसील नोहर में रु० 6,553 एलॉटीज जिनको एक साला नवीनीकरण सन् 58-59 से सन् 67-68 तक किया गया था । सन् 68-69 में अब पांच साला आवंटन किया गया है ।

(8) निरीक्षक, राजस्व लेखा, जिला गंगानगर द्वारा जो ऐतराज उठाये गये थे उनकी पूर्ति की जा चुकी है ।

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

काश्तकारों से वृक्षों की कीमत वसूल करने का आदेश-पत्र

416. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 15 के तहत काश्तकारों से वृक्षों की कीमत वसूल नहीं करने का आदेश राज्य सरकार ने 1965 में जारी किया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद भी तहसील लाडनूं के बहुत से गांवों में दरख्तों की कीमत पटवारियों ने वसूल की ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किस-किस काश्तकार से कितने कितने रुपये कब-कब वसूल किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गलत रूप से की गई वसूली की रकम को वापिस दिलाने के लिए आसामियों ने तहसील कार्यालय, लाडनूं में प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो किस-किस आसामी ने कब-कब दिये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) गलत रूप से वसूल की गई राशि वापिस दिलाने में इतने लम्बे समय तक आसामियों को प्रतीक्षा करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(26-3-69)

बारां नगर में स्कूलें

430. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां नगर में कितनी प्राथमिक स्कूलें एवं माध्यमिक स्कूलें हैं और प्रत्येक स्कूल में छात्र-छात्राओं की कितनी-कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक स्कूल, बारां में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण स्कूल में छात्रों की दो पाली (शिफ्ट) चलती हैं और इसके उपरान्त भी छात्रों को बैठने का स्थान पर्याप्त नहीं है ?

(3) क्या सरकार छात्रों की बढ़ती हुई संख्या एवं मिडिल स्कूल भवन में स्थानभाव को मद्देनजर रखते हुए एवं नगर की व आसपास के गांवों की आबादी की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए नगर में दूसरी माध्यमिक स्कूल खोले जाने का विचार कर रही है ?

(4) यदि हां, तो दूसरी माध्यमिक स्कूल कब तक खुल जावेगी ?

उत्तर

(1) बारां नगर में कुल 6 प्राथमिक एवं 1 उच्च प्राथमिक शाला है । जिनमें निम्न प्रकार छात्र संख्या है :—

			छात्र	छात्राएं
1. प्राथमिक शाला बारां				
	नं०	1	389	59
2. "	नं०	2	349	56
3. "	नं०	3	251	28
4. "	नं०	4	336	68
5. "	नं०	5	232	27
6. "	नं०	6	57	14
7. उच्च प्राथमिक विद्यालय, बारां			951	45

(2) जी हां । बैठने में स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए ही शाला 2 पारियों में चलाई जाती है ।

(3) जी हां ।

(शिक्षा मंत्री)

(4) अगले वर्ष किसी नई शाला को खोलने का प्रावधान नहीं है फिर भी जब कभी नई शालायें खुलेंगी, बारां में शाला खोलने के लिए औचित्य के अनुसार विचार किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

सादड़ी सैकेन्ड्री स्कूल में बॉयज फण्ड का उपयोग

432. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सादड़ी जिला पाली की सैकेन्ड्री स्कूल में कोई बॉयज फंड नाम का कोई फंड है क्या? यदि हां, तो इसे खर्च करने के शीर्षक क्या-क्या हैं और इस फंड के खर्च करने के नियम क्या-क्या हैं तथा इस फंड को खर्च करने का अधिकार किसे है?

(2) सादड़ी, जिला पाली की राजकीय सैकेन्ड्री स्कूल के बॉयज फंड में से पिछले तीन वर्षों में किस-किस कार्य हेतु किस-किस को किस-किस तारीख को कितनी-कितनी रकम उधार दी गई? उधार दी हुई रकम किस-किस तारीख को किस-किस से कितनी कितनी वापिस प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) सादड़ी, जिला पाली की सैकेन्ड्री स्कूल में बॉयज फण्ड नाम का फण्ड है। इस फण्ड को खर्च करने के शीर्षक निम्न हैं :—

खेल, परीक्षा, वाचनालय, पुस्तकालय, छात्र संघ, पत्रिका, मनोरंजन, उद्योग, निर्धन छात्रों की सहायता, विद्यालय विकास, कृषि (उद्योग)। इस फण्ड को खर्च करने के नियम इस प्रकार हैं :—

(1) प्रधानाध्यापक को रु० 500) प्रति मद खर्च करने का अधिकार है।

(2) 500) रु० से अधिक राशि खर्च करने के लिये प्रधानाध्यापक तथा छात्र संसद के प्रस्ताव पर विद्यालय निरीक्षक से स्वीकृति लेनी पड़ती है इसी प्रकार 2,000) रु० से 5,000) रु० तक विद्यालय निरीक्षक की सिफारिश पर उप-निदेशक से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है तथा इसके ऊपर की रकम के लिए निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है।

(3) इस फण्ड को खर्च करने के लिए शाला की छात्र संसद में पूर्ण मदों का बजट पारित करवाने के पश्चात् ही रकम खर्च की जाती है।

इस फण्ड को खर्च करने का अधिकार छात्र संसद के पारित होने पर प्रधानाध्यापक को ही है।

(2) आवश्यक प्रपत्र में सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

रामगंज मण्डी में असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट

435. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा, झालावाड़ एवं बूंदी के एस० डी० ओ० "हैड क्वार्टर्स" पर सिविल

(श्री जुझारसिंह)

एवं क्रिमिनल केसेज को निपटाने हेतु कितने कितने अफसर लगाये हुए हैं ? अलग-अलग बताने का कष्ट करें ।

(2) इन क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर कितने-कितने मुकदमे अदालतों में निर्णय हेतु विचाराधीन हैं ? पुराने से पुराने मुकदमे कितने सालों से सुनवाई नहीं किये गये हैं ?

(3) रामगंज मन्डी में मुकदमों को बड़ी तादाद के बावजूद एस० डी० एम० के अतिरिक्त असिस्टेन्ट कलेक्टर की नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण है ?

(4) रामगंज मण्डी में असिस्टेन्ट कलेक्टर कोर्ट कब तक खोल दी जावेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

(11.39 म० प०)

विरोधी दलों को धरना उठाने के बारे में अनुरोध

श्री अध्यक्ष : मैंने गत सप्ताह में माननीय विरोधी दलों द्वारा दिये गये धरने के संबंध में अपनी व्यवस्था दी थी, दुख भी मैंने प्रकट किया था और साथ ही इस धरने के प्रश्न पर मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि यह हमारी प्रजातांत्रिक परिपाटी, मान्यताओं, संविधान और हमारी व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है । मैंने यह आशा प्रकट की थी कि माननीय विरोधी दल के सदस्य इस प्रश्न पर विचार करें और इस संवैधानिक व्यक्ति को, जो इस संविधान के आसन पर बैठता है, उसको बाध्य न करें संविधान के अनुसार किसी कदम को लेने के लिए । मैं इस प्रश्न पर कुछ मौन, कुछ धैर्य स्वयं की उद्विग्नता, उग्रता होते हुए भी प्रजातांत्रिक परिपाटी के संरक्षण हेतु किसी कदम को लेने के प्रश्न पर जो कदम बड़ा स्पष्ट है—मैं सोचता ही रहा । ज्यों-ज्यों सदन का कार्य, बिजनैस ऑफ दी हाउस सम्पन्न होने जा रहा है त्यों-त्यों यह संवैधानिक प्रश्न मेरे लिए दुरूह होता जा रहा है... विरोधी दल के विशिष्ट दलों — का सहयोग सदन की कार्यवाही में—न होने से, जनमत, सदन एवं प्रशासन की हानि हुई है । जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, विरोधी दल का इस प्रजातांत्रिक परिपाटी में एक महत्वपूर्ण स्थान है । जब सत्ताधारी दल नौकरशाही के घोड़े पर सवार होकर प्रशासन करता है तब विरोधी दल का एक कर्त्तव्य होता है उस प्रशासन को शुद्ध करने का, नियंत्रिक करने का एवं सुझाव देने का एवं उसको ठीक ढंग से चलाने का । विरोधी दल के इसमें भाग न लेने से, मैंने जैसा निवेदन किया, बहुत कुछ सदन को भी उनके सुझावों को लाभ लेने से वंचित रहना पड़ा । मेरे सम्मुख यह दुरूह और दायित्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर मैं यदि निर्णय नहीं लेता हूं तो सम्भवतः यह प्रजातांत्रिक परिपाटी, हमारी मान्यतायें और हमारी परम्परायें भविष्य और वर्तमान में इस संवैधानिक व्यक्ति को अभिशप्त कर सकती हैं, दोषी ठहरा सकती हैं । ऐसी परिस्थिति में संविधान का कर्त्तव्य क्या हो जाता है ? —यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है । बड़ा ही स्पष्ट निर्णय है । मैं यदि विरोधी दल के माननीय सदस्यों के अलग अलग दल के स्तर पर इस धरने की संवैधानिक स्थिति के प्रश्न पर उनका निर्णय लेऊं, अगर वे चिन्तनशील, मननशील

(श्री अध्यक्ष)

और कुछ दुराग्रहों से परे होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि निर्णय इस धरने के विपरीत निश्चय रूप से जाता । जहां तक जनसंघ दल का प्रश्न है उनकी मान्यतायें बड़ी स्पष्ट हैं इस प्रश्न पर । अभी-अभी महानगर परिषद्, दिल्ली की परिषद में, ऐसा ही धरने का प्रश्न उपस्थित हुआ था जहां एक माननीय सदस्य ने धरना दिया, उनके निष्कासन का आदेश वहां के सत्ताधारी दल ने दिया । निष्कासन का आदेश इसलिए दिया गया कि धरना संवैधानिक नहीं समझा गया । इससे एवं इस विशिष्ट दल की नीतिरीति और मान्यताओं के आधार पर यह बड़ा प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी रूप से इस धरने को संविधान के अनुरूप नहीं कहा जा सकता । यही स्थिति स्वतंत्र पार्टी की भी है । कुछ रोज पूर्व स्वतंत्र पार्टी के नेता से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, उस बातचीत का उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहता । सिर्फ इतना ही निष्कर्ष मैं निकाल सका हूं कि स्वतंत्र पार्टी की रीति-नीति भी ऐसे कदम जो, संवैधानिक मान्यताओं और परम्पराओं के विपरीत हैं, लिये जाने के अनुकूल नहीं है । मेरे सम्मुख प्रश्न रहता है कि ऐसी विषम घड़ी और विषम स्थिति में इस संवैधानिक व्यक्ति का क्या दायित्व रहता है ?

दो बातें बड़ी स्पष्ट इससे प्रकट होती हैं प्रथम तो मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से पहले निवेदन, आवेदन सब किसी न किसी रूप से कर चुका हूं और जब उसका कोई फल नहीं हुआ तो दूसरा कदम बड़ा स्पष्ट है। इस आसन, इस संविधान के व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं इसके अनुसार निर्णय मुझको लेना चाहिए वह निर्णय क्या है उसको समझ लिया जाना चाहिए। निर्णय को मैं उल्लेखित करूं। वह निर्णय यह है कि मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों को यह कहूं कि वे इस सदन के प्रांगण से बाहर चले जायें। ऐसा कहने के पूर्व मुझमें संतुलन है, मैं सजग हूं इस प्रश्न पर भी कि परम्परायें खराब होने के अतिरिक्त भी वह आगे चलकर वापिस सम्भल जायं। इसलिए मैंने अपने धैर्य को अब तक रखा। अब मेरे दायित्व के अन्तर्गत दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न कि मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि वह प्रांगण को छोड़ दें, सदन का त्याग करें। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो दूसरा प्रश्न मेरे सम्बन्ध में, रह जाता है, यदि मैं यह कहने में और यह करने में अशक्त हूं, मुझमें मानवीय दृष्टिकोण से कमजोरी है तो मुझको स्वयं को कहना चाहिए, इस संविधान के व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, कहना चाहिए जो इस पद पर बैठता है कि वह इस पद को त्याग दे, हट जाय यहां से, ताकि यह प्रश्न हल हो सके। इन दोनों प्रश्नों के द्वन्द के बाहर मैं अब तक नहीं निकल पा रहा हूं। निकलना तो बड़ा सरल है। मेरे बजाय इस आसन पर विरोधी दल में से कोई माननीय सदस्य होते, विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य इस आसन को सुशोभित करते तो निश्चय ही जिस निर्णय की ओर मैं संकेत दे रहा हूं—उस निर्णय के अतिरिक्त उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। मैं इस पद को त्याग करूं अथवा विरोधी दल के माननीय सदस्यों को सदन त्याग करने के लिए कहूं। ये प्रश्न अब मुझको उद्विग्न नहीं करते; सिर्फ निर्णय की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य करते हैं। मैं यह समझता हूं, यह प्रश्न, जिनका संकेत मैंने दिया, इसका महत्व है। इसलिए माननीय विरोधी दल के सदस्यों से अपेक्षा है कि उनका सहयोग इसमें वांछनीय है, इसलिये वह ध्यान देवें।

(श्री अध्यक्ष)

में यदि कुछ कदम लेता हूं तो आगे के प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि फिर से मैं चेष्टा करूं। इसलिए मैं कुछ समय लेना चाहता हूं इस प्रश्न पर। मैंने उचित समझा कि एक बार मैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं, और माननीय सदस्यों को संकेत करूं। वह अगला कदम कुछ भी हो सकता है, वह कदम जो माननीय सदस्यों ने अपने मन में संविधान के अनुरूप और हमारी परम्पराओं के अनुरूप संवैधानिक जिसको समझा है। यह प्रश्न हल होने वाला था, हल होने की सम्भावना है इन सम्भावनाओं के आधार पर ही मैं कोई कदम लेने के लिए थोड़ा समय लेना चाहता हूं ताकि अपने को, अपने कर्त्तव्य को, और अपने दायित्व को विरोधी दल भी सम्भाले हुए रहें। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी भावनाओं को समझेंगे। जहां कहीं भी विरोधी दल सत्ता में रहा है, वहां अपनी ओर से उन्होंने प्रजातांत्रिक परिपाटी में जो मान्यतायें कायम की हैं उन मान्यताओं के अनुरूप ही यह व्यवहार होना चाहिए। मैंने एक बार और माननीय सदस्यों को संकेत दिया अपनी भावनाओं का। भावनाओं में जो कदम अवशेष हैं, उसके संबंध में मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे कर्त्तव्य को, स्वयं के कर्त्तव्य को, मेरी भावनाओं को और स्वयं की मान्यताओं को इस विषम स्थिति में भी समझेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, आपने इस सदन में कुछ दिन पहले भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। और बेरी कमीशन को लेकर जो एक स्थिति पैदा हुई है उसके सम्बन्ध में हमने समय-समय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और यह आशा थी कि विरोधी दल के माननीय सदस्य हमारी भावनाओं को समझते हुए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और इस सदन को, राजस्थान को लाभ पहुंचायेंगे। माननीय अध्यक्षजी, कल गृह मंत्रिजी ने राजस्थान सरकार के द्वारा जो निर्णय मंत्रिमण्डल में लिया गया उसको यहां पर पढ़कर सुनाया, कमेटी के पर्सनल्स के बारे में भी उसमें उल्लेख था। मैं ऐसा समझता था कि उस आदेश से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती थी और मैं यह आशा करके चलता था कि उसके बाद विरोधी दल के माननीय सदस्य अपने इस धरने को समाप्त कर देंगे और आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। माननीय अध्यक्षजी, जो यह कमेटी बनाई गई है वह बेरी कमीशन की फाइन्डिंग पर जजमेन्ट देने के लिए नहीं है। इस कमेटी को जो बनाया गया है, इस उद्देश्य से बनाया गया है कि वह रिकार्ड और रिपोर्ट इन सारे का अध्ययन करके और सरकार को एप्रोप्रियेट एक्शन के लिए सलाह दे। मैं समझता हूं कि स्थिति इससे काफी स्पष्ट हो जाती है और मैं अब भी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी भावनाओं को, जो शब्द इस कमेटी को बनाने में काम में लाये गये हैं उनको लक्ष्य में रखते हुए स्पष्ट तौर से समझें और समझ करके आगे की कार्यवाही में हिस्सा लें। इन शब्दों के साथ में मैं आशा करता हूं कि आपका भी द्वन्द दूर करना चाहिए और हमारी तरफ से भी जो कुछ अब तक स्थिति रही है उसमें भी आगे की कार्यवाही के लिए नहीं कहें। मैं यह आशा करता रहा हूं और अब भी आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष के, विरोधी दल के माननीय सदस्य इन बातों को समझते हुए आगे की कार्यवाही में सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने जैसी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, माननीय नेता सदन के ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैं आगे का विधायी कार्य लेना चाहता हूं लेकिन इसके पूर्व मैं यह चाहता हूं कि एक बार कुछ और समय लिया जाये ताकि मैं भी माननीय नेता महोदय से बात कर सकूं, माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं से भी बात कर सकूं और यह अन्तिम रूप से कोई प्रयास यदि सफल हो सकता हो तो उसका एक बार प्रयत्न किया जाये। इस दृष्टिकोण से मैं सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए..

श्री रघुनाथ विश्नोई: कितने समय के लिए?

श्री अध्यक्ष:....जो समय एक घण्टे से अधिक नहीं हो, बीच में उसके कार्यवाही को स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पूर्व 11.45 बजे एक घण्टे तक के लिए स्थगित हुई)

(सदन की बैठक म० प० 1.13 बजे प्रारम्भ हुई)

(1.13 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 1 घन्टे के लिए और स्थगित की जाती है।

सदन की बैठक म० प० 2.17 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(2.17 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (सभापति, प्राक्कलन समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, 1968-69 के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

विधायी कार्य

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969—पुरस्थापन एवं प्रवर समिति के सुपुर्द

श्री रामप्रसाद लडढ़ा (उपनिवेशन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लडढ़ा: मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969 एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रस्तुत कर दे।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रवर समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तुत की जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में घोषित कर दिया जायेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

1. राणा प्रतापसागर बांध की डूब में आई भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष: श्री रामकुमार नन्दवाना।

श्री रामकुमार नन्दवाना: अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रतापसागर बांध के निर्माण में डब में आई भूमि के विस्थपितों को मुआवजा तथा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने से सम्बन्धित था लेकिन मुझे सूचना मिली है कि विस्थापितों के लिये सरकार द्वारा भूमि आवंटित करदी गई ह इसलिये मैं प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री रामकुमार नन्दवाना: मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

2. खिदमतगारी एवं बेगार प्रथा के सम्बन्ध में थोड़े समय की चर्चा

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सुझाव है वह यह है कि राजस्थान में काफी समय पहले से यह खिदमतगारी प्रथा चालू थी। खास तौर से बीकानेर स्टेट के वक्त में जो नियम था उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

बीकानेर रियासत के समय कुछ लोगों से खिदमत ली जाती थी जिनमें मुख्य तौर से नाई, कोतवाल और बेगारी आते थे। इससे आगे चलकर बेगार एक सामन्ती युग का शब्द बन गया। लोग इससे परेशान थे। यह बेगार जबरन ली जाती थी। काफी समय तक जबरन ली जाती रही। लोग देते रहे। कोई बस उनका नहीं चलता था। यह कहावत है कि

ठाड़ो मारे रोवण कोनी दे,
चारपाई खोश ले सोवण कोनी दे
खेत खोशले बोवण कोनी दे,
आंख बान्धे रजोवण कोनी दे।

जिस गांव में उनको बसना होता था, वहां बेगार देनी पड़ती थी। तो इस तरह वे खिदमतगार बेगार देते रहे, सामन्त लोग लेते रहे। यह सिलसिला चलता रहा। आखिर काफी समय बाद दबी जबान से कहा जाने लगा कि बेगार ली जाती है तो उसके एवज में कुछ उनको मिलना चाहिए। इस पर उस समय के शासकों ने पूछा उन्हींसे कि तुम्हें क्या मिलना चाहिये। उन्होंने कहा हमारा काम तो बेगार करने का है। हम बेगार देते हैं। आप उचित समझें वह दे दीजियेगा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी भूमि का लगान माफ करने की सोच रहे हैं। काफी समय तक इसकी भी इन्तजारी होती रही, पर लगान माफ नहीं हुआ। फिर कहते रहे, चलते रहे, बेगार देते रहे, बहुत वर्षों के बाद जाकर बीकानेर रियासत में निर्णय हुआ कि नाई, कोतवाल और बेगारी जो खिदमत

(श्री हंसराज आर्य)

करते हैं उनकी कुछ भूमि का लगान माफ किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि उस समय जिन्होंने खिदमत स्वीकार की तो उस वक्त भी उनके अधिकार में जमीन थी। यह नहीं था कि खिदमत के एवज में कोई जमीन दी गई हो। बीकानेर रियासत में सिवाय गंग कैनाल के और किसी भी तहसील में ऐसा नहीं था।

(2.22 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कोतवाल का काम गांवों में लोगों को बुलवाना और आने वाले अहलकार की लोगों को सूचना देना करना आदि था। पटवारी के साथ रहकर लगान वसूली में भी वह मदद करता था लोगों को बुलाने करने का काम करता था। रात को ऊंट पर रात को पहरा देने का काम भी उसका था। लकड़ी लाना, छाणे लाना आदि काम करता था और नाई का काम था खाना बनाना, उनकी धोतियां धोना, उनकी चरापाई बिछाना, रात को मालिश करना, यह काम नाई का था। और इसी तरह कई तरह की बेगार देना खिदमतगारों का काम था। तो इन तीन लोगों से तीन तरह की सेवाएं ली जाती थीं। यह काफी समय तक चलता रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 53 में आज के हमारे मुख्य मन्त्रीजी उस समय राजस्व मन्त्रीजी थे, उन्होंने बीकानेर के इलाके का दौरा किया था और उस समय बार बार यह ऐलान किया था कि बेगार सामन्ती युग का शब्द है। प्रजातन्त्री शासन में इसको हम रखना नहीं चाहते जल्दी से जल्दी इस बेगार प्रथा को समाप्त कर देंगे और भूमि पर खातेदारी हक देंगे-जिन खिदमतगारों के पास अपनी भूमि है उनसे लगान लेंगे। बेगार उनकी खतम कर देंगे। यह ऐलान सन् 53 में किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐलान करने के बाद आज 15-16 साल होने आये, पर हुआ कुछ नहीं। यों ही मामला चलता रहा। इन पन्द्रह सोलह सालों तक यह चर्चा सदन में भी होती रही। सरकार कहती रही कि कुछ करेंगे पर आज दिन तक इन खिदमतगारों को खातेदारी हक नहीं दिये गये। बहुत लम्बे समय के बाद सन् 65 में पहली बार आदेश हुआ कि जिन खिदमतगारों के व.ब्जे में भूमि है, उनको खातेदारी अधिकार दे दिये जावें और उस भूमि का लगान उनसे ले लिया जावे और इस प्रकार बेगार प्रथा समाप्त करदी जावे। सन् 65 में आदेश हुआ, और आज 69 है, पांच साल हो गये, पर आज तक भी उनकी भूमि का निर्णय नहीं हुआ। आज भी उन खिदमतगारों से बेगार ली जाती है। हालांकि वे लगान देने को तैयार हैं। बेगार देने को तैयार नहीं हैं, पर फिर भी बेगार ली जाती है।

इस पर मेरा निवेदन है कि काफी लम्बे समय तक यह चर्चा चली है। इसका अब तो अन्त हो जाना चाहिये। कुछ दिनो पहले भाखरा नहरी क्षेत्र में आदेश हुआ कि वहां के खिदमतगारों को खातेदारी हक दे दिये जावें। 65 के आदेश आज तक खड़े हैं। निर्णय नहीं हुआ और जिनके कुछ के निर्णय हुए भी हैं तो तीन चार साल से अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। फैसले होने बाकी हैं। नये बन्दोबस्त में, उपाध्यक्षजी, आपको

(श्री हंसराज आर्य)

सुनकर ताज्जुब होगा कि उनकी अधिकांश भूमि खाद करदी गई है, खालसा कर ली गई। सन् 65 के बन्दोवस्त में उनके कब्जे में जमीन है, 2006 की पैमाइश के नीचे जो भूमि थी अब उनके हाथ से खालसा (खाद) की जाती है यह कह कर कि यह भूमि तो तुम्हारे बाप के नाम थी । बाप गुजर चुका है । पर तुम्हारे नाम से इन्द्राराज नहीं हुआ इसलिये खाद (खालसा) की जाती है बेटा मौजूद है। पर जमीन खालसा करते हैं। इन्तकाल अगर दर्ज नहीं हुआ तो यह नाई, कोतवाल और बेगारी का कसूर नहीं है। यह तो आपके रेवन्यू विभाग का काम था। तो आप उनके लिये आदेश दें कि ऐसी जमीन उनको वापिस लौटाई जावे और इन्तकाल दर्ज करके उनकी जमीन उनको वापिस बहाल की जावे। यह जल्दी से जल्दी हो।

इसी तरह बारानी क्षेत्र के लिये भी आज तक सरकार के आप के आदेशों की पालना नहीं हुई है। भाखरा क्षेत्र में कितनी कठिनाइयां हो सकती थीं, वहां तो आदेश हो गये। पर बारानी क्षेत्र में जहां कठिनाई नहीं है तो इसके लिये शीघ्र से शीघ्र आदेश जारी करें और आदेशों में यह स्पष्ट करदें कि जिनके पास जमीनें हैं, खातेदारी की हैं, वे तो हैं ही हैं पर जिन्होंने इन्तकाल दर्ज करा दिया हो और उसे तस्दीक करा लें और फिर उनको खातेदारी दे दें। वह तो वैसे भी टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 के मुताबिक जो बारानी क्षेत्र में हैं जिनके कब्जे में थी वह ऑटोमेटिक्ली खातेदार हैं। पर महज विभाग की लापरवाही और सुस्ती से तकलीफ पा रहे हैं तो उनको सरकार जल्दी से जल्दी आदेश देकर ठीक करा दें।

अन्त में संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन खिदमतगारों की भूमि खारिज करदी गई है उनको बहाल करके इन्तकाल दर्ज करा दें। बारानी क्षेत्र में भी खातेदारी में दर्ज करावेंगे ।

आज वे कहते हैं :

जाट कहे री जाटणी ई गांव में रेणो
ऊंट बिलाई ले गई, हां जी हां जी कहणो।

बेगार के उस जमाने में एक जाट के घर से चोर ऊंट चुराकर ले गया। जाट जागीरदार के पास गया और अर्ज की कि गांव के मालिक मेरा ऊंट चोरी चला गया। गांव के जागीरदार ने कहा: "अच्छा कल आना, कल जवाब देंगे"। कल पहुंचा। तो जागीरदार साहब ने कहा कि भाई तेरा ऊंट तो बिलाई ले गई। जाट ने कहा गरीबनिवाज, बिलाई तो छोटी होती हैं, ऊंट बहुत मोटा होता है बिलाई कैसे ले गई ? जागीरदार ने कहा कि भाई हमारा हाजरिया कह रहा था। जाट समझ गया। भागा भागा घर आया। कहा जाटनी से कि ऊंट का तो फैसला हो गया। इस गांव में रहना हो तो हों में हां मिलानी पड़ेगी। जाटनी बोली क्यों ? तो जाटने सारा किस्सी सुनाते हुए कहा "जाट कहेए जाटणी ई गांव में रेणो, ऊंट बिलाई ले गई, हां जी हां जी कहणो" पर आज तो हमारी सरकार है। हमारे वोटों से बनी है। अब यह कहावत आगे न चलने दीजिये। यह तो जन कल्याणकारी राज है। सामन्त युग के चिन्ह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहियें ।

हर तहसील में खिदमतदारों के रजिस्टर मौजूद हैं। सारी हालत उसमें दर्ज है। एस०

(श्री हंसराज आर्य)

डी॰ एम॰ को कहिये कि रजिस्टर साथ लें, पटवारियों को बुलालें और मौके पर जाकर इन्तकाल दर्ज कर लें। अगर जैसा पहले आदेश हुआ वैसा ही आदेश आपने अब भी दिया तो जैसा पहले हुआ वैसे पांच चार साल और चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं इसका अन्त हो जावे।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी खिदमतदारी और बेगार ली जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्य ने बीकानेर रियासत के समय से बेगार ली जाने के बारे में इतिहास बताया है। यह ठीक है बीकानेर रियासत के समय में इस प्रकार की बेगार ली जाने की रिवाज थी और जब तक राजस्थान बना उस वक्त तक वह रिवाज चालू रहा था। विशेषतौर से गंग नहर के इलाके में चार तरह की बेगार थी– कोतवाल, खाती, नाई और पुजारी व ग्रन्थी थे। इन सभी बेगार देने वालों को जो काश्त की भूमि अलॉट की गई थी या बीकानेर रियासत के समय में दी गई थी उसका लगान माफ था और अलग अलग तरह से लोगों से कार्य लिया जाता था। जबसे राजस्थान टेनेन्सी एक्ट बना– 1955 में लागू हुआ तबसे तथा उसके बाद राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ उससे और उसके पहले से बेगार के सम्बन्ध में कानून बने हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने बताया उस तरह की बेगार राजस्थान बनते ही कानून बनाकर खत्म कर दी गई थी, उसको गैरकानूनी करार दे दिया गया था। विलेज सर्विस ग्रान्ट में ऐसे लोग जो गांव के अन्दर प्रशासन में या गांव के लोगों के लिये काम करते थे उन्हें काश्त की भूमि बिना लगान दी गई थी। खातेदारी कानून में कुछ प्रावधान किया गया है और उसमें इस प्रकार विलेज सर्विस ग्रान्ट को चालू रखा गया है और करीब वैसा ही प्रावधान जो लोग इस प्रकार की सेवाऐं देंगे उन्हें काश्त की भूमि बिना लगान दी जायगी? लेकिन उनके अधिकार हेरीटेबिल और ट्रान्सफरेबल नहीं होंगे – इस प्रकार का प्रावधान था। कुछ और प्रावधान इस चेप्टर में किया गया है और उनके अन्तर्गत ऐसा प्रवधान रखा गया है कि अगर विलेज सर्विस ग्रान्ट धारी किसी शर्त का उल्लंघन करेगा तो उसकी ग्रान्ट जब्त कर ली जायगी, या कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करेगा या किसी प्रकार सेवायें नहीं देगा – सेवायें उनकी भंग कर दी जायगी तो वह भूमि राज्य सरकार में निहित होगी – इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई इस प्रकार का विलेज सर्विस ग्रान्टी मनाही कर देता है तो उसकी भूमि का खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रवधान है। अगर किसी जिले में कलेक्टर घोषणा कर दे कि विलेज सर्विस की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वे ग्रान्ट खत्म कर दी जायगीं और जिन विलेज सबन्ट्स के पास इस प्रकार की भूमि है वे उस भूमि को खातेदार मान लिये जायेंगे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत अभी तक जिला गंगानगर से विशेष तौर से कोई डिक्लेरेशन जिलाधीश द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह अवश्य है कि वहां की यूनियन के लोगों द्वारा एक रिप्रेजेन्टेशन मुख्यमंत्री जी के समक्ष बहुत पहले 61 में दिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने विचार करके यह निर्णय लिया था कि

(श्री गंगाराम चौधरी)

गंग केनाल एरिया में जो इस प्रकार की विलेज सर्विस ग्रान्ट हैं वे समाप्त कर दी जायं। और उनमें दो प्रकार के ग्रान्टी के लिये अलग अलग आदेश दिये गये थे। ऐसे खिदमतदार या ऐसी विलेज सर्विस के लोगों को जो कॉलोनी घोषित होने से पहले काबिज थे उनको अपनी भूमि पर उनसे लगान लेकर खातेदारी अधिकार दे दिये जायं। ऐसी विलेज सर्विस जिनको कॉलोनी घोषित होने के बाद भूमि आवंटित की गई है उन्हें मुआवजा ले कर खातेदारी अधिकार दे दिये जायं।

बारानी क्षेत्र और राजस्थान नहर क्षेत्र में इस प्रकार का कोई आदेश उस वक्त नहीं दिया गया था, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन ही था। इधर राजस्थान केनाल क्षेत्र में और क्षेत्रों में इस प्रकार के विलेज सर्विस ग्रान्ट लगभग सारी स्वतः समाप्त हो चुकी है। बीकानेर रियासत के क्षेत्र के सम्बन्ध में चूरू, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर जिले और दूसरे जिलों में इस प्रकार के खिदमतदारी या विलेज सर्विस ग्रान्ट सारी खत्म कर दी गई है और खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं। कुछ जिलों में कोतवाल से सेवक का काम लिया जा रहा रहा है जैसा मैंने निवेदन किया खाती, नाई, पुजारी या ग्रन्थी से ली जाती थी, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है और केवल कोतवाल से क्योंकि वह पटवारी को लगान की सेवायें देता है – ऐसी सेवायें देने वालों को लगान माफ है तो इस प्रकार की प्रणाली और जगह चल रही है। राज्य सरकार ने यह विचार किया है जैसा माननीय सदस्य ने कहा राजस्थान नहर क्षेत्र में बारानी भूमि या राजस्थान के दूसरे जिलों में जहां पर इस प्रकार की विलेज सर्विस ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं है धारा 193 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत नोटिस निकालकर कलेक्टर सेवाओं को खतम कर देगा इतना ही नहीं है राजस्व विभाग की ओर से....

श्री हंसराज आर्य : यदि कलेक्टर ऐसे आदेश नहीं निकालेगा तो।

श्री गंगाराम चौधरी : निर्णय लिया जायगा और निर्णय लिया जाकर सम्बन्धित जिलाधीश को इस सम्बन्धन्ध में निर्देश दे दिया जायेंगे कि विलेज सर्विस ग्रान्ट कायम नहीं रखी जाय। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इससे सन्तोष होगा।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्य के लिये मंत्री महोदय कोई तारीख निश्चित करें कि अमुक अमुक तारीख को निर्णय कर दिया जायगा। जिलाधीश सरकार के आदेशों को जल्दी से जल्दी लोगों में पहुंचा दें इसमें भी मुझे सन्देह है। तारीख मुकर्रर कर दें। यह काम सन् 53 से लेकर आज तक चलता रहा है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें। कलेक्टर लोग चाहते हैं कि यह बेगार कायम रहे। वे लगान देने को तैयार हैं। खातेदारी का काम ऊंट बिलाई के धक्का मुक्की के समान हो रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य को विश्वास रखना चाहिये। कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि कॉलोनाईजेशन विभाग से सलाह करना है। लेकिन जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी। मैं माननीय सदस्य को फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री हंसराज आर्य: भाखरा क्षेत्र में जैसा मैंने कहा है लोगों ने प्रार्थना की है। एक

(श्री हंसराज आर्य)

दरख्वास्त है जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे बाप के नाम बेगार है, बाप मर गया इसलिये तुम बेगार दो। इस तरह के 5-10-केसेज हैं। यह बारानी क्षेत्र का है राजस्थान केनाल का नहीं है, भाखरा का नहीं है। उनके खातेदारी हकों के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वलेज सर्विस ग्रान्ट्स की कुछ शर्तों में उनके राइट्स हेरीटेबिल भी नहीं हैं और ट्रान्सफरेबिल भी नहीं है इसलिये मुझे सन्देह है। विलेज सर्विस ग्रान्ट में मृत्यु के बाद में यानी जिस व्यक्ति ने हेरिट किया है उसकी विलेज सर्विस ग्रान्ट चालू नहीं रखी गई है। हो सकता है इन्टरप्रिटेशन में मजिस्ट्रेट ने कुछ धारणा रखी हो लेकिन ऐसे बहुत कम केसेज़ हुये हैं जिनमें राईट्स मर गये हों और बाद में हेरिट हुये हों। इस मामले में भी विचार किया जावेगा और इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं आने दी जावेंगी।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, टेनेन्सी एक्ट 15 अक्टूबर, 1955 में अमल में आया और उसके बाद में जो बेगारी हैं उनके लिए विचार कर सकते हैं लेकिन जिनके पास शताब्दियों पुरानी जमीन खाते में थी और गोठवाल लोग जो नहरी जमीन पर काम करते थे उनके आदेश में साफ है कि अमुक आदमी को खिदमत की अदायगी में इतनी भूमि का लगान माफ होगा और अगर कोई खिदमत नहीं करेगा तो उससे भूमि छीन ली जायेगी–ऐसा नहीं है इसके बारे में मंत्रीजी क्या कहते हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : इस मामले को एग्जामिन करवा लिया जायेगा। यह इन्टरप्रिटेशन का मामला है इसलिये मैं इस संबंध में विशेष निवेदन नहीं कर सकता।

श्री हंसराज आर्य : इस संबंध में कब आदेश जारी कर देंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : इस संबंध में तिथि निश्चित नहीं की जा सकती लेकिन जल्दी ही किया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करता हूं कि सरकार का आदेश शिव की जटा में न रह जाये, कहीं कर्मचारियों की फाइल में न रह जाये। अमल होना चाहिए इस पर?

श्री गंगाराम चौधरी : अमल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में आपको गलत सिद्ध नहीं करना चाहते।

विधायी कार्य

राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता (संशोधन) विधेयक, 1968–विचारार्थ

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संशोधन

(श्री मूलचन्द डागा)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

जो छोटे उद्योगों की सीमायें बढ़ा रहे हैं उसके बारे में मैंने दो बातें कहीं थीं और मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाली के अन्दर जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनको आप लाइसेंस देते हैं या परमीशन देते हैं उसके क्या नियम होते हैं? मैंने कई बार कहा है कि बस्तियों के अन्दर जहां छोटे-छोटे उद्योग चलते हैं उन बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको दुविधा में रहना पड़ता है। या तो जो उद्योगों के लिए प्लॉट्स दिये जाते हैं उनको बाहर दिये जायें अन्यथा यह होता है कि आप बिना सोचे समझे उनको बस्तियों के बीच में कर देते हैं उससे नागरिकों को नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़ें लेकिन इसके बारे में मेरी राय है कि उद्योग एक पर्टीक्यूलर स्थान पर–म्युनिसिपल एरिया में या कहीं पंचायतें हैं तो उसके एरिया में एक जगह पर एक स्थान पर होने चाहिए अन्यथा शहरों के बीच में जगह जगह उद्योग लगा देते हैं इससे आप नागरिकों को उनकी सुविधाओं से वंचित करते हैं। मैंने देखा है पाली में कई उद्योग आपने इन्डस्ट्रियल एरिया में न लगाकर शहर में जगह जगह पर लगा दिये हैं और इससे यह होता है कि सारे मोहल्ले वालों को, सारी बस्ती वालों को समय समय पर बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।

दूसरी बात मैंने देखा है कि आपके जो फेक्ट्री इन्सपेक्टर्स हैं मेरे ख्याल से जो लेबर लॉज हैं और जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उनकी अनुपालना नहीं कराते हैं। उद्योग बढ़ें यह हम चाहते हैं लेकिन जो मजदूर उनमें काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है और वह 8 घन्टे से भी ज्यादा काम करते हैं। उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत पैसा नहीं मिलता है। तो जो उद्योग आपके हैं उनमें लेबर लॉज हैं उनकी अनुपालना नहीं होती है और उसके कारण मजदूरों को नुकसान होता है।

तीसरे आप छोटे उद्योगों की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7।। लाख कर रहे हैं और उनको आप छोटे उद्योगों की संज्ञा में लेंगे। मैं चाहता हूं कि उन छोटे उद्योगों को जो छोटा बताते हैं आप अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स ओपीनियन देने के लिये तैयार नहीं रहते हैं। जब कोई सरकार के दरवाजे पर उद्योग लगाने वाले लोग आते हैं तो उन्हें इतना सहयोग नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। इसलिये देखा गया है कि हमारे मंत्रीगण बाहर जाते हैं और उनका स्वागत होता है तो बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि राजस्थान सरकार आपका स्वागत करती है लेकिन जब आप दूसरी जगहों पर जाते हैं और राजस्थानियों को आने के लिए कहते हैं लेकिन उद्योग विभाग की तरफ से उनको जो उत्तर मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। आजकल के समय में इसीलिए कई बार हमारे उद्योग नहीं पनपते हैं क्योंकि आपका विभाग, कर्मचारी और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वह व्यवहारिक दृष्टि से नहीं सोचते और इस कारण ठीक सलाह नहीं दे पाते हैं और फिर राजस्थान में उद्योग चलाने के लिए उनको विद्युत नहीं मिलती है। तो इससे उद्योगों का विकास नहीं होता है। मैंने सुना है कि पंजाब के अन्दर उद्योग क्यों बढ़े? वह इसलिए बढ़े हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैरों थे वह एक जगह बठकर उद्योग लगाने

(श्री मूलचन्द डागा)

वाले को बुलाते थे, उद्योग विभाग के अधिकारियों को बुलाते थे, साथ जाकर जगह दिखाते थे, लाइसेंस देने वाले को साथ बैठाते और महीनों का काम दिनों में होता था और घन्टों में होता था। यह कदम इस प्रकार से उठाने चाहिए। यह जो आपके काम करने का तरीका है उससे उद्योगों का विकास नहीं होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उद्योगों के स्थान जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं महरबानी करके नागरिक सुविधाओं के अन्दर चाहे म्युनिसिपल एक्ट में हों चाहे आपके कानून में हो, बस्तियों में उद्योग नहीं लगने चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह जो आपके उद्योग हैं यह वहीं होने चाहिए जहां बस्तियां नहीं हों और वस्तियों के बाहर हों अलग एरिया में। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थित)

उद्योग मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन विधेयक पर विचार प्रकट किये हैं आपने देखा होगा कि यह बिल के स्कोप के बिलकुल बाहर की बातें कही हैं। जहां तक इस संशोधन का मकसद है वह बहुत ही सीमित है और दो संशोधन इस विधेयक के द्वारा चाहे गये हैं। एक तो यह है कि अब तक ग्रान्ट-इन-एड अथवा लोन अथवा सबसिडी किसी उद्योग को सीधे अथवा किसी व्यक्ति को दी जाती थी अब अगर कोई स्वयंसेवी संगठन भी इस प्रकार का काम करना चाहता है और उद्योग को असिस्ट करने के लिहाज से काम करता है तो उसको भी कोई ग्रान्ट-इन-एड दी जा सके अथवा सबसिडी दी जा सके यह प्रावधान किया गया है और दूसरा सीमित संशोधन इसके अन्दर है वह है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की परिभाषा के अन्दर क्या है कि कीमतें बढ़ जाने के कारण जो इनवेस्टमेन्ट होता है वह बढ़ गया है इसलिये अब जो 5 लाख के बदले 7½ लाख तक का ब्लॉक्ड इनवेस्टमेंट है उसको स्माल स्केल इन्डस्ट्री की परिभाषा में माना गया है। यह दो ही सीमित चीजें इस संशोधन विधेयक के द्वारा चाही गई हैं। इसलिए माननीय सदस्य की बातों का कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने उद्योग कहां लगने चाहियें, कैसे लगने चाहिए, कौन उसका इन्सपेक्शन करे, क्या करे इन सबके बारे में अपने रूल्स बना रखे हैं। जहां उद्योगों के लगाने का सवाल है जगह जगह पर इन्डस्ट्रियल एरिया बनाये हुए हैं किन्तु कोई अमुक प्रकार का उद्योग किसी आबादी में नहीं लग सकता है इस प्रकार की चीज नहीं हैं, लेकिन कोई पब्लिक न्यूसेंस है तो म्युनिसिपैलिटी या काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के द्वारा उसके लिए एक्शन लेने का अधिकार है। जहां तक उद्योग विभाग का सवाल है, यह उसके परव्यू में नहीं आता। रहा सवाल लेबर डिपार्टमेंट का तो इसमें क्या मिनिमम वेजेज मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए–जो मिनिमम वेजेज का सवाल है, मिनिमम वेजेज वगैरह का सवाल लेबर डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है, इस डिपार्टमेंट के परव्यू में नहीं आता है कि क्या वेजेज मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए यह इस बिल के स्कोप के बाहर की चीज है। मैं निवेदन

(श्री हरिदेव जोशी)
करूंगा कि इस बिल के ऊपर, जो कि विचारार्थ रखा गया है, उसी सीमा में विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं इस पर विचार...

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसको विथड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापिस लेने की इजाजत दे दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसको वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

उद्योग मंत्री !

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : विचारार्थ पर मैं बोलूंगा ।

श्री हरिदेव जोशी : ऐं ?

श्री पी० के० चौधरी : विचारार्थ पर मैं बोलूंगा, क्लॉज के ऊपर । क्लाज 3 के ऊपर ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्री को डिफाइन किया गया है साढ़े सात लाख तक......

श्री हरिदेव जोशी : ऐं ?

श्री पी० के० चौधरी : स्माल स्केल इन्डस्ट्री को डिफाइन किया गया है साढ़े सात लाख तक जबकि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्माल स्केल इन्डस्ट्री को पच्चीस लाख..

श्री हरिदेव जोशी : यही डेफीनेशन है । यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफीनेशन है । This is not mine.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्री को हैल्प करने का सवाल आता है, साढ़े सात लाख तक तो आप हैल्प देते हैं, साढ़े सात लाख जिनका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक की पॉलिसी है उसके अनुसार शिड्यूल्ड बैंक्स से भी स्माल स्केल इन्डस्ट्री को करीब करीब पच्चीस पर्सेन्ट, जो उनका लोन अमाउन्ट है, वह देना पड़ता है । परन्तु आज तक कितनी इन्डस्ट्री हैं, जिन्हें क्लॉज 3 में एन्सीलियरी इन्डस्ट्री कहा है, जो इन्डस्ट्रियल गुड्स बनाती हैं– यह कहां हैं, साढ़े सात लाख में कहां इन्डस्ट्री बनती है जो अफेक्टिव वर्क कर सके । जो इन्डस्ट्री काफी बड़ी है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है और जो सेमी-इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी गवर्नमेन्ट की तरफ से उन्हें लोन देने की बात है, लेकिन जो शिडयूल्ड बैंक हैं उनको पच्चीस पर्सेन्ट लोन स्माल स्केल इन्डस्ट्री को देना पड़ता है । अच्छा, जब पच्चीस पर्सेन्ट लोन

(श्री पी० के० चौधरी)

उनको देना पड़ता है तो आपने स्माल स्केल इन्डस्ट्री को डिफाइन कर दिया साढ़े सात लाख लेकिन जो साढ़े सात लाख से पच्चीस लाख की इन्डस्ट्री है, उसकी न स्टेट गवर्नमेंट मां-बाप है, न सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसको कन्सीडर, करती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, विग इन्डस्ट्री होती है, जिनका पच्चीस लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वहां अलग व्यवस्था है, अलग इन्डस्ट्री सेल है, अलग इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट है–सब कुछ है। जबकि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्री में है, उनमें साढे सात लाख तक स्टेट गवर्नमेंट हमदर्दी रखती है और पच्चीस लाख से ऊपर की इन्डस्ट्री है जो लाइसेन्स्ड इन्डस्ट्री है, उनको फैसिलिटी इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से मिलती है। इससे आज कई स्माल स्केल इन्डस्ट्री हैं, उनको इन्सेन्टिव खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पांच लाख, सात लाख के अन्दर कोई माडर्न मशीनरी लेकर इन्डस्ट्री बनती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट है वह भले ही साढ़े सात लाख तक की इन्डस्ट्री को मदद दे, साढ़े सात लाख तक आप मदद दीजिये लेकिन साढ़े सात लाख से पच्चीस लाख तक की इन्वेस्टमेंट की इन्डस्ट्री हैं उनको शिड्यूल्ड बैंक से लोन देना चाहिए। मैं देखता हूं कि पच्चीस पर्सेन्ट जो स्माल स्केल इन्डस्ट्री को लोन दिया जाता है, उसमें उनको दिया जाता है जिनको आप डिफाइन करते हैं स्माल स्केल इन्डस्ट्री में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री की डेफीनेशन को रिवाइज किया जाय, या फिर आप रिजर्व बैंक की पॉलिसी को रिवाइज कराइये। अभी जो लोन देने की पॉलिसी रखी है उसमें साढ़े सात लाख नहीं है, उसमें पच्चीस लाख तक की इन्डस्ट्री है वह आती है। इसलिए उसमें यह प्रोवीजन होना चाहिए कि साढ़े सात लाख की इन्डस्ट्री को भी देंगे। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार की एनोमोली है, यह शब्द की एक प्रकार की मारा मारी चलती है। मैंने देखा है कि शिड्यूल्ड बैंक में भी आज स्माल स्केल इन्डस्ट्री को लोन देने के लिए आदमी नहीं हैं। लोन देने के लिए आदमी नहीं होते हैं इसलिये जैसा रिजर्व बैंक का नियम है कि पच्चीस पर्सेन्ट शिड्यूल्ड बैंक लोन नहीं देगी तो उसको रुपया वापिस रिजर्व बैंक को डिपोजिट कराना पड़ेगा जिस पर फोर पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रिजर्व बैंक देगी। उनको रिजर्व बैंक से फोर पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट मिलता है। आज यह हो रहा है कि पांच लाख की इन्डस्ट्री है वह एडीक्वेटली नहीं चल सकती इसलिए जो शिड्यूल्ड बैंक्स को लोन रिलीज हुआ है उसको वह यूज नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत सी बैंक हैं उनको पैसा रिजर्व बैंक को रिडिपॉजिट करना पड़ता है और उनको फोर पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी फाइनेन्शियल केपिटल है पांच लाख, या चार लाख वह इसका लाभ नहीं उठा पाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जिस पर्पज के लिए रखा है, इसमें आप चाहें मदद के लिए रख दें कि स्टेट गवर्नमेंट साढ़े सात लाख की इन्डस्ट्री को मदद देगी लेकिन पच्चीस लाख की जो लाइसेन्स्ड इन्डस्ट्री होती है, जिसको गवर्नमेंट इन्डस्ट्री मानती है, और जिसको कम से कम शिड्यूल्ड बैंक के लोन कोटे से फाइनेंशियल लोन या ऐड मिलती है, उसकी डेफीनेशन में हमें कुछ परिवर्तन करना है तो यह उचित होगा कि उस पर विचार करके उसमें कुछ करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय, जो बात मैंने पहले कही थी उससे अधिक मेरे पास कहने को नहीं है। माननीय सदस्य, बिल के पेज तीन पर देख लेते और उसको पढ़ लेते तो उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें यह लिखा हुआ है :

"The bill provides for the revised definition of small scale industries on the lines decided by the Government of India."

लार्ज स्केल इन्डस्ट्री क्या है, मीडियम स्केल इन्डस्ट्री क्या है, स्माल स्केल इन्डस्ट्री क्या है, इसकी डेफीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है और उसीके अनुसार पूरे भारतवर्ष में, स्माल स्केल इन्डस्ट्री, मीडियम इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री, लार्ज स्केल इन्डस्ट्री किसको कहा जाय—यह डेफीनेशन प्रचलित है। इसलिए जहां पर बल्क इन्वेस्टमेंट साढ़े सात लाख का है उसे स्माल स्केल इन्डस्ट्री कहा जाता है, पच्चीस लाख की उसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह नहीं आती है। इसलिय जहां तक साढे सात लाख का कहते हैं और पच्चीस लाख का कहते हैं उसमें और उसमें फर्क किया है। लार्ज स्केल इन्डस्ट्री के लिए लाइसेन्स लेने की जरूरत है जबकि मीडियम स्केल इन्डस्ट्री और स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिए लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं होती। अगर पच्चीस लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको डी० जी० एस० डी० के पास रजिस्टर कराना होता है, बाकी स्माल स्केल इन्डस्ट्री और मीडियम इन्डस्ट्री में कोई भेद नहीं है। इसलिये जहां तक आपने जो बतलाया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जो अनुदान और सहायता देने का प्रश्न है उसमें कोई विचार मतभेद नहीं है लेकिन....

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह नहीं कह रहा हूं। जो रिजर्व बैंक ने शिड्यूल्ड बैंक के लिए पच्चीस पर्सेन्ट का कोटा रखा है, वह...

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसमें क्या हैल्प कर सकता हूं ?

श्री पी० के० चौधरी : ···मैंने उसके लिए कहा था।

श्री हरिदेव जोशी : Can I help it ? I cannot help execept to accept Govt. of India's change in definition.

श्री पी० के० चौधरी : मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

यातायात मंत्रीजी ।

2. मोटर-गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969 पुरःस्थापन एवं धारण

श्री रामप्रसाद लड्ढा (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, में मोटर-गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दी गई।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर-गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जल्दी जल्दी बिल पास होते हैं तो....

श्री राम प्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसकी दो मिनट में स्कीम बता दूं।

श्री मूलचन्द डागा : 24 घन्टे पहले कापी देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव पढ़कर सुना देता हूं। "मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर-गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969, को एक मास के लिए जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय"।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो मिनट में इन सारे संशोधनों का जो मकसद है....

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें संशोधन दिये हैं वह सर्क्यूलेट नहीं हुए। एक महीने पहले दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सर्क्यूलेट नहीं हुआ इसमें।

श्री मूलचन्द डागा : 10 दिन पहले तो आप यातायात मंत्री हुए हैं। सारी बात कैसे कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो संशोधन दिये हैं इस बिल पर और आज से महीने भर पहले दिये वे सर्क्यूलेट नहीं हुए हैं। पहले वे आजायं उसके बाद बहस होगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : वैसे ही कह दें।

श्री पी० के० चौधरी : वैसे ही याद थोड़े ही है। लिखकर दिये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में इसकी स्कीम बता दूं तो माननीय सदस्यों को सन्तुष्टि हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है कि जो पहले ट्रैक्टर के साथ ट्रॉलीज होती थीं उन ट्रोलीज के ऊपर यह टैक्स लगता था 40 रुपये और फिटनेस सर्टिफिकेट 60 रुपये देने पर उनको मिलता था। फिटनैस सर्टिफिकेट लेने में किसानों को बहुत तकलीफ पड़ती थी और कई बार आना-जाना पड़ता था और काफी खर्चा हो जाता था। इसलिए एग्रीकलचरिस्ट्स की तरफ से गवर्नमेंट के सामने यह कहा गया कि इसमें आप 60 रुपये फिटनेस का लेते हैं और 40 रुपया इसका लेते हैं तो 100 रुपये लेलें, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं आये, क्योंकि इससे ख्वामख्वाह परेशानी होती है, और एग्रीकल्चर परपजेज के लिए ट्रेलर काम में आता है तो फिटनेस की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहती है। इसलिए हमने इस एमेंडमेंट के जरिये जो फिटनैस सर्टिफिकेट ट्रेक्टर के पीछे ट्रॉली का लेना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पड़ता था वह बन्द कर दिया, उसको एक्जेम्प्ट कर दिया और दोनों को मिलाकर 60 और 40 जो रखा गया था वह 100 रख दिया। जो किसान ट्रेक्टर ट्रॉली काम में लाते हैं तो उनकी सहूलियत की दृष्टि से यह किया गया है।

दूसरी इसमें तरमीम यह की गई है कि जो एक्ट के अन्दर इसमें अपील या रिवीजन या रिव्यू या दूसरी प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट फी लेवी करने का अधिकार गवर्नमट का नहीं था इसलिए इसको रेगुलेराइज करने के लिये और रूल मैकिंग पावर में कोर्ट फीस को लगा सकते हैं इस चीज को दूर करने की दृष्टि से प्रोवीजन कर दिया है कि इसको कोर्ट फी प्रेस्क्राइब करने का अधिकार होगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड।

और तीसरा एमेन्डमेंट यह है कि जो प्रोवीजो पहले 50 के कानून में था और 65 के अन्दर वह एक्स्प्लेनेशन के रूप में था और 65 में बाद इस प्रकार से रेट स्ट्रक्चर के बदलने का था तो रेट स्ट्रक्चर बदलने के साथ साथ उस एक्स्प्लेनेशन को भी डिलीट कर दिया जिसकी कि मन्शा नहीं थी। इसलिए वापस वह जो एक्स्प्लेनेशन जो पहले कानून में था उसको वापस इनकार्पोरेट किया है।

इस तरह से यह आम जनता की सहूलियत की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं। यह एक हार्मलेस इनोसेन्ट लेजिस्लेशन है। यही सोचकर मैंने दरख्वास्त की थी कि इसको आज ही ले लिया जाय। तो मेरे ख्याल से इस सम्बन्ध में इसके पीछे क्या आइडिया है उससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट हुए होंगे, और इसको विचारार्थ लेकर इसको पारित करने के अन्दर सहयोग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री शंकरलाल : याद नहीं है कि अभी तक कि क्या चल रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन जो था वह 100 रुपये की जगह 40 रुपये यथावत् करने का था। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स में कहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट का माफ कर दिया है और इसलिए 40 रुपये की जगह पर 100 रुपया कर देते हैं। जहां तक फिटनेस सर्टिफिकेट और मैकेनिकल इन्सपेक्टर का जो रवैया है और तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय वह यदि कोई कन्डेम्ड ऑफिस है ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट का तो वह मेकेनिकल इन्सपेक्टर का है। मैकेनिकल इन्सपेक्टर के नाम से न तो फिटनेस का कोई काम होता है और न उसके उस सर्टिफिकेट की कोई एक पाई की भी कद्र है। इसके नाम से करप्शन होता है, उपाध्यक्ष महोदय, फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से। इसकी जरूरत क्या है ? आप मॉडल पर रखिये। ब्रेक ढीला हो जाता है चैकिंग पर तो एक्शन लें। आज तक बताइये कि फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ी को कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ हो। आप यह बताइये कि एक्सीडेन्ट होने के बाद दुबारा मैकेनिकल इन्सपेक्टर क्यों देखता है ? यह यूजलेस ऑफिस है मैकेनिकल इन्सपेक्टर का। यह जो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का देता है यह किसी मतलब का नहीं होता है और न किसी काम में

(श्री पी० के० चौधरी)

आता है। यह इस तरह से इसकी यूजलेस, वर्थलेस पोस्ट क्रिएट की गई है जो कि करप्शन को बढ़ावा देती है। आप कहीं भी जाकर पूछलें कि यह जो मैकेनिकल इन्सपेक्टर आपका है और जो यह फिटनेस सर्टिफिकेट देता है वह क्या यूजफूल परपज सर्व करता है। किसी एक व्यक्ति से भी आप पूछलें या किसी भी मोटर-ऑनर से पूछलें।

इसलिए आपने यह जो कहा है तो मैं चाहता हूं कि उसका ही फिटनेस सर्टिफिकेट माफ कर दिया गया तो सबके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट माफ कर दो। किसी वेहीकल में लाइट नहीं होती है तो ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ सकती है। यदि विदआउट लाइट गाड़ी जाती है, बगर हार्न के गाड़ी जाती है बगैर ब्रेक के गाड़ी होती है तो ट्रैफिक पुलिस उसको हमेशा पकड़ सकती है। उसका हार्न नहीं होता है, बैक लाइट नहीं होती है, किसी गाड़ी में ओवर लाइट नहीं होती है, कोई डेमर नहीं होता है तो गाड़ी का चालान होता है, और सब कुछ होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या परपज सर्व करता है? यह मेरी समझ में नहीं आता है। उसकी यूटिलिटी क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैकेनिकल इन्सपेक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देता है तो माननीय मंत्रीजी हलफ लेकर कह दें कि वह जो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है तो बाकायदा इन्सपेक्टर गाड़ी चलाकर और देखकर देता है? वह कुछ नहीं करता है। यह फालतू का है। मैकेनिकल इन्सपेक्टर जो पोस्ट है, इसकी शिकायत, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जगह से आती हैं। सभी लोग इसको कन्डेम करते हैं। पैसा बनाने के सिवाय वहां पर कुछ काम नहीं होता है।

फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं और यदि मानलें कि फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया है फिर भी अगर बक लाइट नहीं जल रही है तो क्या ट्रैफिक पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी फिटनेस सर्टिफिकेट बताने पर? यदि ब्रेक वर्क नहीं करते हैं या हार्न वर्क नहीं करता है, या दूसरी चीज वर्क नहीं करती है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं करेगी, उसको चैक नहीं करेगी? फिर डबल चैकिंग की क्या जरूरत है? फिटनेस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? यह मेरी समझ में नहीं आता है। इससे ख्वामख्वाह करपशन बढ़ता है।

दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर के ऊपर महरबानी क्यों की? यह प्रोवीजन क्यों लगाया? ट्रैक्टर एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज होगा यह अन्डरटेकिंग एग्रीकल्चरिस्ट को देना पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट ट्रैक्टर लेता है तो अन्डरटेकिंग किस बात का कि होल्डिंग जो आपने की है वह 20 स्टैण्डर्ड एकड़ की होल्डिंग है उसमें क्या वह एक ट्रैक्टर रख सकता है और 12 महीने ट्रैक्टर को उसके यहां आक्यूपेशन होता है क्या? बाकी के पीरियड में दूसरा धन्धा करेगा और अगर दूसरा धन्धा करेगा तो करपशन बढ़ेगा और पुलिस वाले उसको पकड़ सकते हैं। उनका महीना बन्धा हुआ रहता है, किसी का 10 रुपया और किसी का 20 रुपये और सब जगह देना पड़ता है। यहां जयपुर शहर में देना पड़ता है। सारी जगह बन्धा हुआ है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट का ट्रैक्टर होता तो यह माना ही जाना चाहिए कि ट्रैक्टर खेती के काम के लिए है और ट्रॉली भी इसी काम के लिए है। माननीय मंत्रीजी क्या इस बात को मानते हैं कि 12 महीना ट्रैक्टर खेती के काम में आक्यूपाइड रहता है?

(श्री पी० के० चौधरी)

किसी का नहीं रहता है । तीन महीने तक वह काम करता है यानी आक्यूपाइड माना जाता है और फिर बाकी के समय में दूसरा काम करता है । मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रैक्टर में 25 हजार रुपया इन्वेस्ट करेगा तो वह तीन महीने उसे खेती का काम करेगा और बाकी के समय उससे वह दूसरा काम करेगा, पत्थर ढोयेगा और दूसरा काम करेगा । आप एक तरफ तो कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट्स को फायदा पहुंचाने का, फिर यह क्लाज लगाते हैं करप्शन करने का । इस करप्शन का एक पैसा भी आपको नहीं मिलता, सरकार की तिजोरी में एक पैसा भी इससे नहीं आता, इससे नाजायज पैसा बहुत बनाते हैं । तो इस संबंध में आप कोई कानून, कायदा बनाते हैं तो इस चीज को सामने रखना चाहिए । एक काश्तकार ने 25,000 रुपया लगा कर ट्रैक्टर खरीदा, और आप यह प्रावधान करते हैं कि एग्रीकल्चर परपज के लिए होगा तो 3 महीने से ज्यादा ट्रैक्टर खेती के काम में आता नहीं है तो क्या वह 9 महीने ट्रैक्टर की पूजा करेगा ? मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का करप्शन फैलाने का कायदा-कानून आप क्यों बनाते हैं ? कम्पेरेटिव दृष्टि से गवर्नमेंट देखे कि एक ट्रैक्टर को काश्तकार कैसे निभा सकता है । वह सब फालतू बातें हैं । आप उसूल की बातें करते हैं पर प्रेक्टिकल में क्या होता यह नहीं देखते । आप प्रेक्टिस में नहीं जाते यह क्लॉज बनाते हैं कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर परपज के लिए ही है तो पुलिस वालों को 10 रुपया देना पड़ेगा । नहीं तो वे ट्रैक्टर को देखते ही पकड़ लेंगे । यह सारी बातें इसलिये होती हैं कि हम गलत कायदे बनाते हैं, सोचते नहीं हैं, अन्धे की माफिक कानून पास करते हैं । इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि न तो फिटनेस का रखना चाहिये और न यह रखना चाहिये कि टैक्टर एग्रीकल्चर परपज के लिये है । इस तरह का कायदा रखना कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर परपज के लिये है, यह गलत है । कौनसा इन्डस्ट्रियलिस्ट ऐसा मिलेगा जो कि अपनी बड़ी पूंजी लगाकर तीन महीने उससे काम लेगा और 9 महीने यों ही पड़ा रखेगा? कौनसा ऐसा दुकानदार है जो 3 महीने दुकान खोलेगा और 9 महीने तक उसे बन्द पड़ी रखेगा ? पर आपने काश्तकारों के लिए कानून बना दिया कि 3 महीने वह ट्रैक्टर से खेती का काम लेगा और 9 महीने ट्रैक्टर को पड़ा रखेगा । अगर पड़ा नहीं रखे तो पुलिस वालों को पैसा दे । काश्तकार के पास जमीन है, उसको ट्रैक्टर दो, जिसके पास 100 बीघा या 50 बीघा जमीन है उसको ट्रैक्टर दो । ऐसा कुछ भी रख दो फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होनी चाहिये, चाहे खेती के काम में वह अपना ट्रैक्टर चलाये, चाहे और किसी काम में अपना ट्रैक्टर काम में ले । यह करें तब तो करप्शन को रोक सकते हैं । आपकी ब्यूरोक्रेसी बनाती है कानून, आप जाकर किसी को पूछो कि क्या ट्रैक्टर खेती के काम में 12 महीने या 9 महीने चलता है क्या ? गंगानगर में चलता होगा, और कहीं नहीं चलता ।

तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसके पास, जमीन है उसको ट्रैक्टर मिलना चाहिये और खेती का तीन महीने ट्रैक्टर से काम करने के बाद वह और कोई भी काम कर सकता है । इस तरह का प्रावधान रखना चाहिये । यह करके आप करप्शन को मिटा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीरघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है, यह तो स्वागत योग्य है, यह काश्तकारों की बड़ी मांग थी कि ट्रेक्टर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, ट्रेलर्स के बारे में जो कठिनाइयां काश्तकारों के सामने उपस्थित होती हैं, वे बड़ी भयंकर हैं। जब मुख्य मंत्रीजी गुड़ा बिश्नोइयान में पधारे थे तो अनेकों ट्रेक्टर वाले वहां इकट्ठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने अपनी समस्याएं उपस्थित की थीं। सदन में भी अनेकों बार मांग की गई थी कि मैकेनिकल इन्स्पेक्टर्स, ट्रान्सपोर्ट वाले, पुलिस वाले ट्रेक्टर वालों को बहुत तंग करते हैं, जहां देखा उनको पकड़ लेते हैं। ट्रेक्टर वाले शहरों में तो जाते हुए ही डरते है। शहर में जाने के लिए पुलिस वालों के, ट्रान्सपोर्ट वालों के पैसे बंधे हुए होते हैं। शहर में जाते हैं तो कहते हैं कि ट्रेक्टर में भार उठा कर क्यों लाये? जो लोग ट्रेक्टर रखते हैं वे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए खाद, आइल वगैरह ट्रेक्टर में शहरों से नहीं लायें तो किसमें लायें ? वे अपनी प्रोडक्शन को बेचने के लिए शहरों में यदि ट्रेक्टर में नहीं लायें तो किसमें लायें ? जब ट्रेक्टर किसान के पास है तो शहर से सामान लाना भी पड़ता है और शहर को सामान ले जाना भी पड़ता है, जब उसके घर में ट्रेक्टर है तो वह उससे काम लेगा ही। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यह छोटा-सा संशोधन रखा है, यह आपने बड़ी महरबानी कसानों पर की है इसके लिए धन्यवाद। पर शहरों में काश्तकार ट्रेक्टर लाते हैं तो ट्रान्सपोर्ट वाले, पुलिस वाले उनको देखते ही पकड़ लेते हैं और उनको पैसा देने पर ही उनका पिंड छोड़ते हैं। इस बारे में रूल्स, कानून इतना डिफेक्टिव है कि पैसे देकर उनको अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। एग्रीकल्चर परपज् के लिए ट्रेक्टर यूज होगा, यह एक ऐसा प्रोविजो है कि कोई भी काश्तकार ट्रेक्टर से सामान लेकर गया तो फौरन पकड़ेंगे और कहेंगे कि आप तो व्यापार करते हैं, ट्रेक्टर को ट्रक की तरह काम में लेते हैं। तो इस बारे में आपको विचार करना चाहिए। ट्रेक्टर्स की फिटनेस के बारे में आपने यह बात कही है, संशोधन रखा है, इसके लिये धन्यवाद पर ट्रेक्टर वालों की और भी कठिनाइयां हैं, उन्होंने अपनी कठिनाइयां रखी थीं कि मेकेनिकल इन्स्पेक्टर्स तो उनको हैरान करते ही हैं साथ ही पुलिस वाले और ट्रान्सपोर्ट वाले उनको देखते ही उनके पीछे भागते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो काश्तकारों को यह सब दिक्कतें हैं। इनके बारे में भी देखना चाहिए था, इसके बारे में आपने प्रोविजन रखा है "यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज एलोन" यह प्रोविजो जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह बड़ा खतरनाक प्रोविजो है। काश्तकार ट्रेक्टर रखता है तो उससे वह अपना काम लेगा। एक काश्तकार ट्रेक्टर खरीदता है तो पांच, सात हजार रुपया ब्लैक का देना पड़ता है। राज्य सरकार और कृषि विभाग काश्तकारों को रीजनेबल रेट्स पर ट्रेक्टर्स दिलाने में असमर्थ रहा है, काश्तकार पांच, सात हजार रुपया ब्लैक का दे कर ट्रेक्टर लाते हैं, उसके बाद में आपकी तरफ से यह प्रावधान रख दिया जाता है कि केवल कृषि के काम में ही ट्रेक्टर लिया जाय, इससे करप्शन फैलता है। मैं गंगानगर गया तो वहां लोग कहते हैं कि आप ट्रेक्टर पर फीस भले ही आज जो लेते हैं उसके बजाय 200 रुपया कर दो, पर यह मत रखो कि केवल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एग्रीकल्चर परपज के लिए हैं, ताकि पुलिस वाले परेशान तो नहीं करें। परेशान इसलिये करते हैं कि आज आपके कानून में डिफेक्ट है। ट्रेक्टर्स पर फीस बढ़ा कर उन्हें ट्रेक्टर दें तो इससे एग्रीकल्चरिस्ट्स को ज्यादा पैसा देने में कठिनाई नहीं होगी। जमा कराने में उनको पैसा देना पड़ता है, कोई सामान लायें तो रिश्वत देनी पड़ती है, यह इसलिये देनी पड़ती है कि कानून में डिफेक्ट है। कोई न कोई बात आप कानून में लगा देते हैं जिससे काश्तकारों को परेशानी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने यह छोटासा संशोधन रखा है, यह महरबानी की है, इसके लिये तो आपको धन्यवाद मिलेगा पर और भी कठिनाइयां ट्रेक्टर वालों की हैं, वे कठिनाइयां आपके सामने आई हैं, उनकी ओर भी आप ध्यान दें और उन कठिनाइयों को ध्यान में रख कर उन कठिनाइयों को हल करते हुए संशोधन लाना चाहिये। मंत्री महोदय से दरख्वास्त है कि और भी संशोधन ट्रेक्टर वालों के लिये हों, सारे आवश्यक संशोधन लायें, कि काश्तकार अपने ट्रेक्टर को ढुवाई के लिये काम में लावें या काश्त के लिये काम में लें, इसके लिये उनको पूरी छूट हो, तभी आपको यश मिलेगा। इसलिये आप थोड़े समय के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी में रख कर इसमें जो आवश्यक संशोधन हैं, वे किये जायं। ट्रेक्टर वालों के जो मेमोरेन्डम आये हैं, जो काश्तकारों के बारें में जानकारी रखते हैं, ट्रेक्टर वाले काश्तकार हैं, उनकी एक छोटी सी कमेटी बना कर जितने भी संशोधन आवश्यक हैं, वे सब एक साथ पेश कर दीजिये। ट्रेक्टर वालों की और भी कठिनाइयां बहुत हैं, ट्रेक्टर वालों ने इस मामले को गहराई से लिया और उन्होंने अपनी कठिनाई आपके सामने रखी तो यह आपके दिमाग में आया और आपने यह संशोधन रखा। काश्तकार ट्रेक्टर को अपने काम में लायें, इसके लिये उनको छूट होनी चाहिये। यह करप्शन का जरिया क्यों फैला रखा है ? आप फीस ज्यादा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए पर करप्शन का जरिया नहीं रखना चाहिए। जहां ट्रेक्टर वाले को देखा थाने में रोक लेते हैं और कहते हैं लाइय सर्टिफिकेट और काश्तकार को कुछ पैसा देकर अपना पिण्ड छुड़ाना पड़ता है। इसलिये इस बारे में सोच कर महत्वपूर्ण ठोस संशोधन लायें ताकि काश्तकार जमकर उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, उस कार्य को और अच्छी तरह से कर सकें। यह करेंगे तो आपको काश्तकार यश देगें और करप्शन बन्द होगा।

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : ट्रेक्टर किसानों के लिए जैसे उसकी गाड़ी भार ढ़ोने की होती है उस तरह भार ढ़ोने के लिए है। जैसे काश्तकार गाड़ियों से अपना फसल का सामान इकट्ठा करता है, शहरों में ले जा कर अपना गल्ला बेचता है, जरूरी सामान शहरों से लाता है। इसी तरह से ट्रेक्टर भी काश्त करने के साथ-साथ भार ढ़ोने के काम का है, इसलिए ट्रेक्टर पर कोई इस तरह का कानून लागू नहीं होना चाहिए। ट्रेक्टर ड्राइवर जैसे मोटर ड्राइवर होता है उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता। मामूली किसान का बच्चा हल को हाथ में ले कर, बैलों की रास पकड़ कर चलाता है, उसी तरह से ट्रेक्टर से खूड़ लगा कर फसल करता है। इसलिए ट्रेक्टर पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इसके अंदर संशोधन लाया गया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं मगर इसमें जो दिक्कत है, किसानों को ट्रेक्टर्स खरीदने में उसके बाद में क्या दिक्कत आती है अगर मंत्री महोदय के घर में ट्रेक्टर होता, वह इस पोजीशन में होते तो उनको मालूम होता कि ट्रेक्टर के बारे में किसान को कितनी दिक्कतें आती हैं ? मैकेनिकल इन्सपेक्टर तो साल में सिर्फ दो बार फिटनेस करता है, उसमें किसान 40) देकर छूट जाता है लेकिन उसके बाद में दूसरे लफड़े-झगड़े लगे रहते हैं वे बहुत कुछ किसान को तंग करने वाले हैं। खेती तो हमारे यहां डेजर्ट में सिर्फ तीन-चार दिन होती है और 5 दिन के बाद किसान ट्रेक्टर को दूसरे काम में लेता है। जितना उत्पादन डेजर्ट के अन्दर बढ़ा है वह सिर्फ इस ट्रेक्टर के जरिए बढ़ा है, क्योंकि रात-दिन ट्रेक्टर काम करता है, उससे उत्पादन बढ़ता है और किसान को एक ट्रेक्टर खरीदने में करीब 35-40 हजार खर्च करने पड़ते हैं। 40 हजार का कितना ब्याज होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वह अपना काम चलाता है। वह शहर में अपना माल बेचने आता है और माल बेचने के बाद जाता है तो ट्रेक्टर खाली जाय तो परता नहीं पड़ता। इसलिये जब वापस जाता है तो अपने घरू काम के लिए, मकान बनवाने के लिए पत्थर भी ले जाता है। अब सवाल आता है कि यदि ट्रेक्टर ढुलाई के काम में आएगा तो इससे ट्रकों को नुकसान होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि ट्रेक्टर और ट्रक का मुकाबला नहीं होता है। ट्रेक्टर मुश्किल से 40 मन ढोता है और मर्सीडीज ट्रक 400-400, 500-500 मन वजन ढोते हैं। डीजल का खर्चा तो बराबर है ट्रेक्टर का और दूसरी गाड़ियों का और ढुलाई बहुत कम है। इसलिए यह मानना कि दूसरी गाड़ियों का नुकसान हो जायगा, यह कतई नहीं है। आपने ट्रेक्टर पर पाबन्दी लगाई है कि किसान सिर्फ खेती के परपजेज के लिए काम में लेगा और तीन महीने के बाद उसको घर में बन्द कर दो। आप यह पाबन्दी हटाकर यह कहें कि वह अपने घर के काम में ले सकता।

अभी माननीय श्री पी० के० चौधरी ने फरमाया कि ट्रेक्टर वाले के पीछे पुलिस वाले, ट्रान्सपोर्ट वाले, सब लगे हुए रहते हैं। अगर ट्रेक्टर वाला कहीं पर भी खेती करता है तो रात को जहां-जहां ट्रक्टर चलता है, तो जहां लाइट पड़ती है ट्रान्सपोर्ट वाले टैक्सी लेकर पहुंचते हैं और किसान को कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यह जो लफड़ा है ट्रेक्टर पर किसी तरह की पाबन्दी ट्रान्सपोर्ट विभाग की या पुलिस की नहीं रहनी चाहिए। अगर यह पाबन्दी हटाई जाय तो किसान का भला हो सकता है, नहीं तो किसान का भला नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन के साथ में जो दूसरा संशोधन है, जो किसान की कठिनाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए सब-कमेटी बनाई जाय और उसके द्वारा जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए संशोधन लाते तो उचित होता। वर्ना ठीक है, यह एक थोड़ा सा मामूली संशोधन किया है, इससे ज्यादा राहत नहीं मिली है, सिर्फ फिटनेस की राहत मिली है, यह अच्छा है कि मकेनिकल इन्सपेक्टर से उसका पीछा छूटा लेकिन वह तो साल में दो बार होता और दूसरे काम तो रात-दिन पड़ते हैं, संशोधन लाते तो उचित रहता। इसलिए और संशोधन को भी लायें।

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर-गाड़ी करारोपण विधेयक में जो संशोधन लाया गया है और जिसके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। वास्तव में जैसा इस सदन में माननीय सदस्यों ने कहा है, आज के प्रगतिशील युग में प्रत्येक किसान के लिए एक नैसेसिटी, अनिवार्य वस्तु हो गई है और अधिकतर किसान आजकल ट्रैक्टरों द्वारा खेती करने लगे हैं। इन काश्तकारों को इस ट्रैक्टर के कारण उनको असुविधा न हो, उनको किसी सरकारी मशीनरी चाहे पुलिस की हो या दूसरी हो, कोई दिक्कत पेश न आए, उसके लिए मंत्री महोदय ने बताया कि यह संशोधन लाया गया है। वास्तव में यह संशोधन तो ठीक है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लेना पड़ेगा लेकिन जैसे कहा गया, इसके अन्दर प्रोविजो दिया गया है, वह बहुत ही एम्बीगुअस है जिसके लिए प्रवर समिति में विचार किया जाना चाहिए, और साथ ही जो दूसरी दिक्कतें हैं, उन पर भी प्रवर समिति में विचार करना आवश्यक है। जैसे कहा गया, इसमें लिखा है:

"Tractor and trailer shall not be used for comercial purposes."

न तो इसके अन्दर कॉमर्शियल परपजेज को डिफाइन किया गया है और अगर यूज में लिया गया तो उसकी क्या पैनल्टी होगी और कॉमर्शियल पर्पजेज क्या क्या हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमने विधेयक पास किए हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, मान लो उसकी कोई चीज बेचनी हो, उसको भी कॉमर्शियल पर्पजेज में गिन लोगे? यह नहीं बताया गया है कि क्या पैनल्टी होगी और न इसमें कॉमर्शियल पर्पज़ेज डिफाइन किए गए हैं। इसका मकसद बताया जाता है कि यह प्रावधान इसलिए रखा है कि काश्तकार इसके सिवा दूसरे काम में न लें। लेकिन न तो यह मकसद हल होने वाले हैं, न इससे किसानों को राहत मिलने वाली है, न सरकार का फायदा होने वाला है, क्योंकि किसानों के लिए अगर इस प्रकार का प्रावधान हो, जैसे काश्तकार अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर को खरीदता है, खरीदने के बाद अगर बिलकुल खेती में न लें और बिलकुल कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए किसी ठेकेदार को दे दें और नाम मात्र के लिए खरीदे ताकि एग्रीकल्चरल बेनिफिट मान लिया जाय तो उस पर चैक लगनी चाहिए लेकिन इस प्रोविजो से वह चैक नहीं लगेगी, क्योंकि आज जो भी काश्तकार मानलो ट्रैक्टर खरीद ले और उसको बिलकुल औद्योगिक पर्पजेज के लिए दे दे तो उस पर चैक लगाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि वह एक्सक्लूजिवली उसको औद्योगिक पर्पजेज के लिए काम में नहीं लाये यह बात तो ठीक है, रोकना जरूरी है क्योंकि बहुत से काश्तकार जिनके पास खातेदारी की जमीन है, वह ट्रैक्टर को खरीदते हैं, और खरीदने के लिए वह अपने को काश्तकार बनायेगा, उसके बाद अगर वह खातेदारी जमीन को ट्रैक्टर से काम में नहीं लेता है काश्त के लिए, इधर से खरीदे और उधर से किसी इंडस्ट्री वाले को ठेके पर दे दे तो वास्तव में उसको भी चैक करना चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने के लिए केवल काश्तकार बने और उसका उपयोग काश्तकारी के लिए न हो, यह बात ठीक है लेकिन पार्टली अगर काश्तकारी के काम में लाता है और पार्टली जरूरत पड़ने पर दूसरे काम में लाया जाय, तो उस पर रोक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा गया खेती के काम में 12

(श्री शंकरलाल)

महीने तो वह चलता नहीं और उसकी जो कीमत है और जो एग्रो-इंडस्ट्री है, यह सेमी-कॉमर्शियल इंडस्ट्री हो गई है। इसके अन्दर आदमी काश्त करता है उसको कॉमर्शियल भी होना पड़ता है, बोझ ढोने के लिए, कृषि-उपज मंडी तक लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो इसको जो पार्टली कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए काम में लायें, उस पर कोई चैक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं, इसमें ऐसे शब्द जोड़ने पड़ेंगे कि एक्स-क्लूजिवली कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए काम में लाते हैं और एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए बिलकुल काम में नहीं लायें तो चैक लगनी चाहिए। इसलिये इस बात पर गंभीरता से विचार करने के लिए और कॉमर्शियल शब्द को डिफाइन करने के लिए दूसरी क्या क्या चीजें हैं जो ट्रेक्टर से संबंधित हैं, इसका प्रावधान रखा जाय। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करना निहायत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया और जिस प्रकार है उसी तरह पारित किया गया तो वास्तव में एक तरफ किसानों को आपने फिटनेस सर्टीफिकेट से एग्जेम्प्ट करके राहत दी है और दूसरी तरफ फिर दिक्कत पैदा हो जायगी और फिर ये लोग चिल्लायेंगे कि पुलिस वाले और दूसरे लोग दिक्कतें पैदा करेंगे कि कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए काम में लेते हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिये, एम्बीगुइटी को मिटाने के लिये, इसको स्पष्ट करने एवं इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को माननीय मंत्री-जी को मान लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम।

श्री शीशराम पूनिया (सदूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेंट लाया गया है उसमें मुझे सिर्फ दो ही बातें कहनी हैं। एक तो फिटनेस की बीमारी है, और दूसरी ट्रेक्टरों से काश्तकार द्वारा बोझा ढोने के संबंध में लगाई फीस से छुटकारे के लिये। काश्तकारों को छूट होगी यह पहिचान करने में दिक्कत है। किसी किसान के पास ट्रेक्टर है, वह अनाज बेचने के लिये बाजार में जाता है और मकान बनाने के लिये अपने घर पर बाजार से सामान लाता है तो ट्रान्सपोर्ट और पुलिस वालों की नजर उस पर गरम हो गयी तो ट्रेक्टर वाला उसकी महरबानी पर ही जिन्दा रहेगा। ट्रान्सपोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है कि ट्रेक्टर के द्वारा कोई चीज घर के काम में लायी जाती है तो वे लोग उसको भी नहीं मानेंगे और रेगुलर तौर से ट्रान्सपोर्ट के लिये 250) चार्ज करते हैं वह उससे भी वसूल कर लेंगे। इसलिये इसमें खास तौर से पहिचान रखनी चाहिए कि यह एग्रीकल्च-रिस्ट का है और यह नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट का है। इस संबंध में सुझाव आवें इसके लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है। ताकि वहां इस पर माइन्यूटली विचार होकर इसमें इस प्रकार की धारायें रखी जा सकें जिससे काश्तकारों को जो रिश्वत देनी पड़ती है वह उससे महरूम रह सकें।

फिटनेस के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसका मुझे काफी अनुभव है। दस-पन्द्रह साल से ट्रान्सपोर्ट का ही धन्धा है। मेकेनिकल इन्स्पेक्टर की मर्जी पर है वह चाहे तो महीने का दे दे या छः महीने का दे दे या साल भर का दे दे। जो फीस लगाई गई है

(श्री शीशराम पूनियां)

और जिस नीयत से लगाई गई है वह पूरी नहीं मिलती है। मेकेनिकल इन्स्पेक्टर पहले ही मिलकर तय कर लेता है 60) दे देंगे तो साल भर का दे देंगे नहीं तो एक महीने का 60) लगा देता है। इसलिये कमेटी इस पर विचार करके फिटनेस के लिये प्रोविजन रख सकती है कि बारह महीने के लिये हो या छः महीने के लिये हो।

ट्रान्सपोर्ट वालों ने और पुलिस वालों ने जो एक धन्धा बना रखा है कि तनख्वाह तो मिलती है सवा सौ रुपया और जो सब-इन्सपेक्टर है ट्रान्सपोर्ट का वह जहां कहीं भी रहता है उसके वहां जाकर जांच की जाय तो मालूम होगा कि उसके पास पांच-पांच, दस-दस लाख की जायदाद है। सवा सौ रुपये पाने वाला कर्मचारी पांच-पांच, दस-दस लाख की जायदाद रखे यह कहां से आता है? यह ट्रान्सपोर्ट से आता है। भिन्न 2 तरीकों से वसूल करते हैं। बहुत किस्म के तरीके हैं। अगर उनको आपके सामने और हाउस के सामने रखे जायें तो सब लोग महसूस करेंगे कि इसके लिये एक प्रवर समिति बिठा कर उसमें असली रूप से विचार किया जा सकता है। इसके साथ-साथ सौ रुपये की फीस रखी है। एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा देना चाहते हैं। हम जिस रूप में रहते हैं चाहे कोई व्यापार में हो, चाहे राज्य में हो, कहीं हो, दुहाई आप यह देते हैं कि हम किसान के लिए यह फायदा कर रहे हैं। नीयत क्या होती यह नजदीक जाकर देखें तो पता लगेगा। यह तो नाम मात्र का बहाना है कि किसानों के लिए हम यह कर रहे हैं। फैसिलिटीज देना चाहते हैं तो सौ रुपया फीस क्यों होना चाहिए, इसको तो फ्री करना चाहिए। जिस प्रकार बैल गाड़ी किसान के काम में आती है उसी प्रकार उसके लिए ट्रेक्टर चलता है। वह उसके काम में आता है। इस पर आपको फीस नहीं लगानी चाहिए। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सुझाव रखे हैं इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए ताकि वहां पर गम्भीरता पूर्वक विचार होकर एक अच्छा बिल सदन के सामने आ सके और किसानों को फैसिलीटीज मिल सकें। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हंसराज!

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टरों के संबंध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि किसान को ट्रेक्टर वास्तव में मिलता नहीं है। इसके लिये सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। भूमि विकास बैंक, राजस्थान में किसानों को ट्रेक्टर खरीदने के लिए लोन देता है और लोन लिये हुए किसान घूम रहे हैं लेकिन उनको ट्रेक्टर नहीं मिल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मिल रहे हैं उनके बारे में भी मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में गंगानगर जिले में कई ट्रेक्टर्स कम्पनियों से गये वे ट्रेक्टर्स क्या गंगानगर जिले में नहीं हैं। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो गंगानगर के इलाके के बाहर के हैं। ट्रेक्टरों के आने पर कुछ लोग फरजी नाम लिखवा कर ट्रेक्टर खरीद लेते हैं और पंजाब में चले गये। इसकी भी जांच की जाय 60 परसेंट ट्रेक्टर गंगानगर जिले के नाम से खरीदे गये हैं वे आज पंजाब और हरियाणा में हैं और राजस्थान में नहीं हैं। यह बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी जांच करो। कम्पनी वाले भी

(हंसराज आर्य)

मन माने तरीके से दे देते हैं। ट्रेक्टरों पर जो भी आपने फीस लगा रखी है उसको फौरन हटा दी जाय। सरकार का यह नारा है कि किसान को सहूलियत दी जाय जिससे अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। एक ओर उत्पादन बढ़ाने का सवाल है और दूसरी ओर ट्रेक्टरों पर फीस ली जाती है। जो किसान जमीन को चीर कर टीलों में अनाज पैदा करता है उसको तो और सहूलियत दी जानी चाहिए थी। किसान हर तरह से घाटे में ही रहता है। भूमि का लगान माफ कर दिया जाय तो खेती करने वाला किसान घाटे में रहता है, ट्रेक्टर फ्री दे दिया जाय तो किसान जो खेती करने वाला है वह घाटे में रहता है, पानी का पैसा उससे नहीं लिया जाय तब भी वह घाटे में रहता है। पूरी फसल पकने के बाद ओले पड़ जाय, हवा चल गई, अनावृष्टि अतिवृष्टि हो गई। किसान तो वैसे ही घाटे में है। सरकार ने ट्रेक्टर दिया, लगान माफ भी कर दिया, पानी दिया और 11 महीने परिश्रम किया जिस किसान ने वह तो घाटे में ही रहता है। इसलिए उस ट्रेक्टर पर फीस लगाना न्यायोचित नहीं है। जो किसान खेती के काम में लाता है उस पर किसी प्रकार की फीस नहीं होनी चाहिए। बार-बार फीस देनी पड़ती है किसान को। मंत्री महोदय, हम इस बीमारी से बड़े तंग हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ट्रेक्टर के लिये किसान को फीस देनी पड़ती है वह तो बन्द होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): माननीय उपाध्यक्षजी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल पर बहस करते हुए कुछ बातें सामने रखीं। एक बात तो यह रखी कि किसान को कई बार अपनी प्रोड्यूस को या दूसरे सामान को मंडी में ले जाना पड़ता है और वहां से खरीद कर गांव पर भी लाना पड़ता है आया यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनिशन में आवेगा, नॉन-कॉमर्शियल पर्पज की डेफिनिशन में आवेगा या नहीं या उससे टैक्स ले लिया जावेगा और यह शंका प्रकट की ऐसे मामले में टैक्स उससे न ले लिया जाय। मैं सदन की जानकारी के लिये स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो पैदावार की स्टेज है, बाहर ले जाने की, बीज लाने ले जाने की, बाजार से लगाकर खेत की फसल को लाने-ले जाने और फसल को मार्केटिंग के लिये ले जाने सामान को वापिस लाने, लेजाने और वापस लाने के लिये, यह सारा जो ट्रान्जेक्शन है, वह नॉन-कॉमर्शियल बिजनैस माना जायेगा और उससे इसके लिये कोई अन्य टैक्स नहीं लिये जायेंगे। इसका इस कानून में स्पष्ट मतलब निकलता है और नियमों में हमने स्पष्टतया प्रावधान कर दिया है जिससे कि किसी भी काश्तकार को इस तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा।

दूसरी तकलीफ यह बतायी गई कि मैकेनिकल इन्स्पेक्टर से काफी परेशानी है। इसलिये फिटनैस सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें नहीं है और इसे इस जगह से हटाया जाना चाहिये। कुछ दिक्कतें फिटनेस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बारे में महसूस की गईं। इन दिक्कतों के बारे में यह फैसला किया गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रेक्टर्स, ट्रेलर्स का जो फिटनैस सर्टिफिकेट देना आवश्यक है, उससे उनको एग्जेम्पट कर दिया जाय इसलिये आइन्दा इन्हें यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो 60 रुपया पहले लेते थे फिटनैस सर्टिफिकेट का, वह 60 रुपया फिटनैस सर्टिफिकेट के लिये देने की जरूरत नहीं है। 60 रुपया और 40 रुपया पहले देते थे। वहां अब 100) रुपया रखा है और एग्जेम्पशन फिटनैस सर्टिफिकेट का रख दिया। इससे एग्रीकल्चरिस्ट को सहूलियत होगी।

श्री हंसराज आर्य : पंचायत समितियों को सिर्फ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप पहले बात सुन लें। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कॉमर्शियल और एग्रीकल्चरिस्ट्स, इन दोनों के टैक्सेज में बहुत फर्क है। फिटनेस सर्टिफिकेट के पैसे में बहुत फर्क है। जहां हम इनसे 60) रुपया लेते हैं वहां कामर्शियल वालों से 782) रु० लेते हैं। इतना बड़ा फर्क है इनकी फीस में। कहां 60) रुपया लेते हैं और कहां 782) रुपया लेते हैं। यह नॉन-कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर पर्पज के लिये हैं। एग्रीकल्चर पर्पज में उसके खुद के लिये सामान लाना, ले जाना, उसे अपने खेत की जो जरूरतमंद चीजें हैं, लाने ले जाने में छूट है। वह अपने मकान के लिये पत्थर ढो सकता है। अपना मकान बनाने के लिये सामान खरीद कर ला सकता है। पैदावार को बेचने के लिये ले जा सकता है। इसके लिये अलग से कोई टैक्स नहीं है और न फिटनैस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अगर कामर्शियल, किराया चलाने का धन्धा करते हैं, उसको इसमें इन्क्लूड नहीं किया और उसकी फीस 782) रुपया रखी है। इसमें सरकार को घाटा होता है। फिटनैस सर्टिफिकेट एग्रिकल्चरिस्ट को माफ कर देंगे, परन्तु आम तौर पर माफ नहीं किया जा सकता। ट्रैक्टर, ट्रोली, ट्रेलर के लिये लिया जा सकता वैसे ही बसेज और जितने चलते हैं, उनके लिये लिया जाता है। चूंकि इनमें पब्लिक की सेफ्टी और लाइफ इन्वाल्वड होती है, वे उसमें बैठते हैं, जाते हैं वगैरह। चूंकि लाने, ले जाने का सवाल है और लाइफ का उसमें इन्वाल्वमेंट है इसलिये उस पर टैक्स लगाया है और एग्रीकल्चरिस्ट को इसलिये फ्री कर दिया है कि उसमें लाइफ और सेफ्टी का कम इन्वाल्वमेंट रहता है। दूसरे ट्रैक्टरों द्वारा आम तौर पर बिजिनैस के जरिये मुनाफा कमाया जाता है इसलिये उनको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा करप्शन की जो शिकायत की गई है, तो वह शिकायत सामने आनी चाहिये और उस पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री पी० के० चाधरी : आपके सामने फेक्ट है। इट इज एन ओपन सीक्रेट।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो शिकायत आप देंगे, वे तरीके से देखेंगे **We will try to improve it.** लेकिन यह कहा गया है कि चूंकि करप्शन है इसलिये जो अच्छा कानून है, उसको लागू होने से रोका जाय। इसको बंद कर दिया जाय। लेकिन इस दलील में ज्यादा वजन नहीं है। बीमारी को दूर करना चाहिये। बीमारी को दूर न करके दूसरा रास्ता शुरू कर दें, यह अच्छा रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह इस बिल के स्कोप में नहीं है। इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर देते हैं तो सिलेक्ट कमेटी ऐसा कोई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मामला इसमें नहीं जोड़ सकती। यह इसके स्कोप में नहीं आता। इसलिये इस बिल को कमेटी को रेफर करना मेरे ख्याल से उपयोगी नहीं होगा। जो सहूलियतें दी गई हैं, उसका लाभ जनता को उठाना चाहिये और इसमें कोई दिक्कत आयेगी तो हम सब बैठकर एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बाद में ला सकते हैं। इसके लिये इसको रोकना न्यायसंगत नहीं है। मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि..

श्री पी० के० चौधरी : ट्रेलर का फिटनैस क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ट्रेलर, ट्राली, ट्रैक्टर सबका अलग अलग पुर्जों का फिटनैस होता है। It is considered a single unit, परन्तु अब तो हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूं अब आप इस विधेयक को पारित करने की कृपा करेंगे और जो दिक्कतें हैं उनको अलग से बैठकर फिर उस पर लेजिस्लेशन ले आयेंगे।

श्री शंकरलाल : आप यह प्रोवीजो हटा दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोवीजो नहीं हटा सकते हैं। अगर इसको हटा देते हैं तो लाखों रुपयों का सरकार को घाटा होता है। पी० डब्ल्यू० डी०, इर्रीगेशन में, प्रोजेक्ट्स में सब जगह ट्रैक्टर, ट्रोली काम कर रहे हैं। उनका क्या होगा ? वे सब कौमर्शियल हैं और पैसा कमाते हैं। कौमर्शियल पर 782) रुपये और नॉन-कामर्शियल पर 60) रु० हैं। फिर हटा लेने के बाद उनसे भी 60) रुपया ही लें। यह ठीक नहीं है। सबसे 782) रुपया भी नहीं ले सकते।

श्री शंकरलाल : इसमें एक्सक्लूजिवली शब्द जोड़ दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैंने इसमें नया अमेंडमेंट कोई नहीं किया है। यह कानून तो पहले से है। फिटनैस सर्टिफिकेट को हटाना है। 60) रुपये पुराने के पुराने वर्डस् हैं और नया आज कोई नहीं लगाया जा रहा है। केवल रेट बढ़ी है। 40) रुपया और बढ़ा कर 100) रुपया कर दिया है और रूल्स में एक्जेम्पशन का प्रोवीजन कर दिया है। एक्स्प्लेनेशन में भूल पहले से रह गई थी। वह अब करदी गई है और कोई नई चीज अब नहीं की गई है। इसलिये इस बिल को आप कृपा करके पास कर दें।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। किसान पर हम किस प्रकार का टैक्स लगावें ? टैक्स लगावें यह आपकी इच्छा है ? परन्तु किसान का व्यापारी से मुकाबला न किया जावे। व्यापारी के सामने किसान की दलील न दें। व्यापारी का पैसा उंगली के इशारे से आता है। उंगली हिलाते ही पैसा आता है। किसान अपना खून-पसीना बहाकर, खुद नंगे आस्मान के नीचे रह कर पैसा कमाता है, उस किसान की तुलना व्यापारी से करते हैं तो न्याय नहीं है। एक कहावत भी है।

जिसके न पैर में फाटे बिवाई,
वो क्या जाने पीर पराई ॥

किसी को उसके काम से वास्ता ही नहीं है, उसे क्या पता है कि यह क्या काम है।

(श्री हंसराज आर्य)

सबे सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय।
पवन जगावत आग को, दीपक देत बुझाय ॥

अंत में मैं मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे ट्रैक्टरों पर यह पाबन्दी लगा दें कि ट्रेक्टर किसानों के लिये हैं, खेती का काम करने वालों के लिये हैं। दूसरे कामों के लिये नहीं मिलेगा और व्यापार के लिये नहीं मिलेगा। व्यापारी को व्यापार के लिए केवल ट्रक दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्व मन्त्रीजी।

राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1969 पुरःस्थापन—प्रवर समिति के सुपुर्द।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1969 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करें। प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

श्री विधि मंत्री।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1969—विचारार्थ पारित।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कई माननीय सदस्यों ने संकल्प प्रस्तुत किये हैं कि इस

(श्री उपाध्यक्ष)

अध्यादेश को अस्वीकृत कर दिया जाये। उनके नाम हैं :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।
(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।
(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।
(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।
(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता।
(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।
(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल।
(अनुपस्थित)

श्री केशरीसिंह हाडा।
(अनुपस्थित)

संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा।
(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।
(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।
(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास ईशरदास शास्त्री।
(अनुपस्थित)

श्री मुकुटविहारीलाल।
(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1969 जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ उस संबन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखूं उससे पहले मेरा प्रस्ताव है कि:—

यह "राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी"।

जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसके ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि इलेक्शन पिटिशन नंबर 16,1967 जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पेशल गवर्नमेन्ट प्लीडर को ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करने से यह स्थिति पैदा हुई है, इसके बारे में पहले तो मैं इस केस के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

(3.54 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

इस इलेक्शन पिटिशन में जो इस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रोफिट मानकर हाई कोर्ट ने निर्णय दियाहै। उसने कहा है कि यह पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रोफिट है और इसलियेकान्ता कथूरिया ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करने के कारण इनको डिसक्वालिफाई किया जाय।

अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में कान्ता कथूरिया जो राज्य सरकार की ओर से सिर्फ एक मुकदमें में आर्बिट्रेशन प्रोसिडिंग्स में पैरवी करती थीं वह पद ऑफिस ऑफ प्रोफिट था या नहीं? गवर्नमेन्ट की गलती के कारण गलत ऑर्डर देने के कारण कि उन्हें गवर्नमेंट स्पेशल प्लीडर मुकर्रर किया जाता है इस कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और हाई-कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया जबकि गवर्नमेन्ट को खुद को पावर्स हासिल हैं वह इनकरेक्ट

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आॅर्डर को करेक्ट कर सकती है। वह प्रोवीजन कोन्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत है। संविधान के 191 के सब-क्लॉज (ए) में इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकारों को दिये हैं कि राज्य सरकार ऑफिस ऑफ प्रोफिट पद के डिसक्वालिफिकेशन को हटा सकती है। इस प्रकार पार्लियामेंन्ट को भी अधिकार है यह संविधान के आर्टिकल 102 (1) (ए) में दिये हुए हैं कि पार्लियामेन्ट जो भी लाभ के पद हों जिससे डिसक्वालिफिकेशन पैदा होती हो, उसको रिमूव कर सकती है।

अब प्रश्न उठता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है पार्लियामेन्ट को पावर है लेकिन अब देखना यह है कि उनको रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट के पावर्स हैं या नहीं। इस प्रकार का कानून नागालैण्ड एक्ट नंबर 1 ऑफ 1964 जो पास हुआ, उसमें है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 4 ऑफ 1952, एक्ट नं० 23 ऑफ 1954, एक्ट नंबर 35 ऑफ 1956 और इसी प्रकार आर्डिनेन्स 1967 में यू० पी०. में भी लागू किया है। जिसमें डिसक्वालिफिकेशन का प्रिवेन्शन किया गया है। इसी प्रकार आसाम एक्ट नं० 13 ऑफ 1950, एम० पी० एक्ट नं० 1 ऑफ 1957, नागालैण्ड एक्ट नं० 1 ऑफ 1964 उसमें पब्लिक प्रोसीक्यूटर और गवर्नमेण्ट प्लीडर के आफिस होल्ड करते हैं उस डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिये प्रोवीजन रखा गया है और वह भी रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से रखा गया हैं। इस तरह से राज्य विधान सभाओं को ऑफिस ऑफ प्रोफिट के पद की डिसक्वलिफिकेशन के प्रिवेन्शन के अधिकार हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो उचित समझते हैं। इस केस की तो बहुत साधारण स्थिति है। इसमें गवर्नमेन्ट के इनकरेक्ट ऑर्डर के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसमें स्पेशल आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग का केस था पर्टीकूलर केस की हैल्प के लिये इन्हें रखा गया था जोकि पावर ऑफ अटार्नी देकर किया जा सकता था। लेकिन इसमें गवर्नमेन्ट के गलत प्रैक्टिस अख्तियार की उनको स्पेशल आर्डर दिया गया कि इनको स्पेशल गवर्नमेन्ट प्लीडर मुर्करर किया जाता है इससे डिफीकल्टी पैदा हो गई। गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि वह इस स्पेशल गलत ऑर्डर को केन्सल करें। वह कैंसिल इन कानून की रूह से किया जा सकता है। इसलिये यह गवर्नमेन्ट यह कानून पेश कर रही है, इसके लिये जो बिल रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा न हो कि एक मेम्बर, जिसका कोई फाल्ट नहीं हो, उसके कारण असेम्बली सदस्यता की अयोग्यता प्राप्त करले, और इस टैक्निकल गलती के कारण उसको हार्डशिप उठानी पड़े, वह भी गवर्नमेन्ट की मिस्टेक के कारण। तो मैं विशेष तौर से सदन से यह निवेदन करता हूं कि यह बिल जो है, इसे पास किया जावे।

यह मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि ऑर्डिनेन्स का हर चीज के लिये सहारा नहीं लेना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिये कि ऐसे बिल सदन में रखे जावें और फिर बाद में उसको पास करने की कोशिश की जानी चाहिए। इससे जनतन्त्र के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभानेत्री महोदया, इसमें मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इस विधेयक को एक माह के लिए जनमंत जानने हेतु परिचालित किया जाय। लोकतन्त्र के हित में जहां नियमों में काननों में परिवर्तन लाना जरूरी हो, वहां लाना चाहिए। नियम कानून, संविधान में मार्ग निर्देशन करते हैं। पर इनके कारण अगर लोकतन्त्र के वहन में बाधा आती है तो इनको भी अनुकूल बनाना चाहिए।

एक सवाल यह था कि एक वकील या पैरोकार को सरकार अपने काम में मुकर्रर करे तो आप यह समझते हैं कि उसे और सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जावे। यह एक सबका सवाल है, केवल श्रीमती कान्ता कथूरिया का ही नहीं है।

उसने नॉमीनेशन पेपर दाखिल किया, मन्जूर हुआ, मतदाताओं ने उसे वोट दिये और वह जीत गई। जीत जाने के बाद उसके चुनाव को चुनौती दी गई कि नॉमीनेशन फाइल करते समय वह ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड कर रही थी। मैं समझ नहीं सका कि इसका क्या मतलब है ? जो एडवोकेट हैं, पार्लियामेन्टेरियन हैं क्या उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है चुनावों में ? मैं एक बात कहना चाहता हूं एक ओर तो आप बाध्य करते हैं कि जो कानून से परिचित हैं माहिर हैं कानून के, एडवोकेट्स हैं, वे पार्लिया-मेन्ट में आवें, विधान सभाओं में आवें, पर आने के बाद आप यह कहते हैं कि यह डिस-क्वालिफिकेशन है उसकी, वह सरकार के किसी केस को प्लीड नहीं कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं वकीलों के प्रोफेशन के बारे में। जो इस तरह से स्टेट में स्टेट के केस लेते हैं, वे स्टेट के खिलाफ भी केस प्लीड कर चुके हैं। कान्ता कथूरिया भी कर चुकी हैं। वे कई मुकद्दमों में सरकार के खिलाफ एपियर हुई हैं और एज ए प्लीडर, एडवोकेट वे एपियर हुई हैं।

हाई कोर्ट अपना अर्थ करता है कानून का। उसको अधिकार है। पर लेजिस्लेचर के धरातल पर सोचने का काम भी हमारा है। तो हमें इस मामले में सजग होना चाहिए। जो सरकार यह बिल पाइलॉट कर रही है, मैं इसे ठीक समझता हूं। उन्होंने ठीक कदम उठाया है। मैं खुद अपना उदाहरण दे सकता हूं। मैंने सरकारी सीनियर वकील के साथ जूनियर के तौर पर काम किया और जूनियर की हैसियत से डिक्लेरेशन फाइल करते समय उस पर शंका उठाई गई। हाई कोर्ट के अलग अलग इन्टरप्रीटेशन अलग अलग मामलों पर हो जाते हैं। पर क्या मुझे सजा दी है ? क्या मैं सरकारी नौकर हो गया था ? रेगुलर एम्पलायी हो गया था ? क्या ऑफिस बियरर हो गया था ? केवल एक कॉन्ट्रेक्ट था कि एक केस में क्लाइन्ट के नाते इतना पैसा दिया जावेगा। तो इसी तरह श्रीमती कान्ता कथूरिया का मामला था। क्या उसे टी०ए०, डी० ए०. सरकार देती थी ? केवल सरकारी एडवोकेट को असिस्ट करने के लिए मुकर्रर कर दी गई थीं। तो इससे मालूम होता है कि आपके कहने की मंशा यह नहीं थी। कोई रूलिंग्स और कोई फैसला हाई कोर्ट ने दिया है उसको इस लाइट में सोचना चाहिए। जो दिमाग रखता है, जिसका पेशा वकालत करना है, उसको अगर सरकार ने भी किसी केस में एन्गेज कर लिया, कॉन्ट्रेक्ट पर रख लिया किसी एक केस

(श्री मूलचन्द डागा)

के बारे में तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि वह इलेक्शन में डिबार हो जावेगा। तो इसके इन्टरप्रीटेशन को समझने की कोशिश करें।

फिर मैं इसी तरह के उन सब केसों के बारे में बताना चाहता हूं :

यूनाइटेड स्टेट में सुप्रिम कोर्ट Harold I. Cammer *v.* U. S. A. का एक केस था। उसमें फैसला हुआ है। पेज नम्बर 474 पर है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है:—

"The attorney of an individual retained for a single suit is not his employee. It is true he is engaged to render services, but his engagement is rather that of a contractor than that of an employee."

तो मैंने एक आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया। दूसरा मैं जो फैसला पढ़ रहा हूं उसमें भी आप पावेंगे कि:

"The term embraces the idea of tenure, duration, emoluments and duties and in that case it said, the latter were continuing and permanent, not occasional or temporary."

पेज नम्बर 482 पर लिखा है। (U.S. A. *v.* Julius F. Hartwell)

अब मैं आपको लेटर पढ़कर सुनाता हूं:

"I am directed to convey sanction of the Governor to the payment of daily fee of Rs. 330.00 to Shri M. M. Vyas, Government Advocate, Jodhpur, and daily fee of Rs. 150.00 to Shri Manak Lal Mathur for days of actual hearing, i. e., when there are arguments or evidence, and also for payment of half fees on other dates, i. e., dates spent on journey, preparation, adjournment dates and the like, for appearing on behalf of the Government in the arbitration proceedings between M/s. Modern Construction Co. and the Chief Engineer, Rana Pratap Sagar, Chambal Project, Kota."

आप इसमें क्या समझते हैं ? केवल कान्ता कथूरिया केस में प्लीड करने जाती थी तो 150) मिलता था। उसके अलावा यह जरूरी नहीं था कि वह उस केस को लड़ती थीं, वह यह भी कह सकती थीं कि आई एम नाट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस केस। तो इसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि कहीं अगर सरकार के आर्डर की भाषा गलत हो गई तो यह सरकार ठीक भी कर सकती है उसे। सरकार ने श्रीमती कान्ता कथूरिया को यह कहा कि उनको फीस के रुपये 150) दिये जावेंगे। यू आर डेपूटेड एज एन एडवोकेट। लेकिन वह लैटर मैं पढ़ना चाहता हूं :—

"Shrimati Kanta Khaturia, who has been appointed to assist the Government Advocate in the absence of Shri Mathur, will get her share of fees in proportion to the assistance rendered by her, out of the daily fee of Rs.150.00 to Shri Mank Lal"

(श्री मूलचन्द डागा)

यह रिलेटिंग पोर्शन है। तो मैं नहीं समझ सका कि केवल आपने कुछ शब्दों को पकड़ लिया और कुछ कह दिया।

(4.10 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष,पदासीन)

तो इस पर से मेरी मान्यता बिलकुल स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो लेजिस्लेशन है वह बिलकुल ठीक है। इस पर अगर आप यह समझते हैं कि हाई कोर्ट कानून का एक इन्टरप्रिटेशन करता है और उसको उसके बाद लेजिस्लेशन ठीक नहीं कर सकता, तो यह गलत है। लेजिस्लेचर को उसे ठीक करने का अधिकार है। वकील के नाते अगर वह एज ए क्लाइन्ट उसका मुकदमा नहीं लेता है तो उपाध्यक्ष महोदय यह प्रोफ़ेशनल मिसकन्डक्ट है- If we say that we refuse to fight your case, then it is professional misconduct.

यह भी मेरे ख्याल से मिसकन्डक्ट में आता है। हम लागों को जो वकील हैं, ऐडवोकेट हैं, जो अपनी पैरवी करना जानते हैं कोई पर्टीक्यूलर केस ले लेते हैं और कहते हैं यह डिसक्वालीफाइड है तो गलत है। 5-10 हजार रुपया किसी कॉन्ट्रेक्ट का देते हैं तो हमें जो चुनाव लड़ने का अधिकार है उससे वंचित करना चाहते हैं। जो कुछ विधान सभाओं में कन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनको आप डिबार करना चाहते हैं, पंचायत समितियों से डिबार करना चाहते हैं और म्युनिसिपैलिटीज से डिबार करना चाहते हैं, मैं इस बात को नहीं समझ सका। इस मामले में मैं आपके सामने 1953 में बम्बई में जो कोट किया है वह बताता हूं :

"The person holding office, to which Article 16 (1) applies, is a person who stands to State as a subordinate would to a higher officer, or in other words, there must be a relationship of employer and employee between the person holding office and the State, or at least there must be an element of subordination to the State in the office contemplated by Article 16 (1)." (Dattaraya Motiram More *v.* State of Bombay).

मुझे समझ में नहीं आया कौन एम्पलॉयर है, किसने एम्पलाय कर दिया ? केवल एक कॉन्ट्रेक्ट है। इस कान्ट्रेक्ट में स्टेट क्लान्ईट हो गई। वकील के साथ कान्ट्रेक्ट हुआ है उसके लिए आप कहते हैं नौकर रख लिया, यह ज्यादती है। मेरे ख्याल से सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जायगा। जो कोई वकील बन गया मेरे समझ में नहीं आया कि वह लोकतन्त्र के अन्दर अपना फर्ज अदा नहीं कर सकता। मैंने कहा है लोकतन्त्र की धाराएं हैं, लोकतन्त्र बदलता है। हमारे नियम हैं, संविधान है, कानून है सारे कुछ हैं लेकिन लोकतन्त्र से वकील के अधिकारों का हनन होता हो, उनको लोकतन्त्र से वंचित किया जाता हो तो लेजिस्लेचर से, लेजिसलेटिव असेम्बली से नया परिवर्तन लाना चाहिए और कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिन अधिकारों से लोकतन्त्र को लाभ पहुंचता है उनमें परिवर्तन करने

(श्री मूलचन्द डागा)
का, संशोधन करने का हमें अधिकार है। मैंने यह बात आपके सामने रखी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो वकील लोग अपना मुकदमा नहीं लड़ते हैं तो वह प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट के नाम में आता है। ऐसा कौनसा वकील होगा जो केस लेने से इन्कार करे? आज मैं एम० एल० ए० का काम कर रहा हूं और मुझे अगर सरकार किसी केस में मुकर्रर करती है तो क्या मैं रिफ्यूज करूं? यह एक क्राइम है। इस हैसियत में मेरा आपके साथ नौकरी का रिश्ता नहीं है—नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं है केवल एक कॉन्ट्रेक्ट है और प्योरली इस कॉन्ट्रेक्ट को चाहे जब तोड़ सकते हैं। सेक्शन 11 राजस्थान पंचायत एक्ट को लीजिये। उस एक्ट में पहले यह था—

"Every person who is entitled to vote at an election is entitled for election for appointment as Panch unless such person is in the regular service of the State Government."

श्रीमती कान्ता कथूरिया रेगुलर सर्विस में नहीं थीं कोई राजकीय सेवायें की हों सवाल ही नहीं होता। केवल एक बात थी गवर्नमेंट एडवोकेट के पास बहुत बड़ा काम था ज्यादा काम की वजह से उनको असिस्ट करने के लिए उसको एम्पलॉय कर लिया। गवर्नमेंट ने एम्पलॉय करके पैरवी कराई है। इसमें आपने अमेन्डमेंट किया और अमेन्डमेंट यह किया कि जो सेलेरी पोस्ट को होल्ड करे, वह कोई सेलेरी का सवाल नहीं था। यह तो वह बात है जिस दिन श्रीमती कान्ता कथूरिया जायगी उस दिन का रुपया मिलेगा। इस तरह की बात थी उसके बाद कोई सवाल पैदा नहीं होता था इसलिये मेरा मतलब :—

"....holds a salaried post, whole-time or part-time under State or Central Government."

मेरे ख्याल से प्रोफेशनल का सवाल नहीं होता था। राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट को ले लीजिये—

"....who holds any place of profit in the gift or disposal of the Board, or holds a salaried post, whole-time or part time, under the Central or State Government or local authority."

आपका पंचायत एक्ट है, उसकी मंशा है, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट है राजस्थान का उसकी मंशा यह है। इन सारी बातों को देखते हुए सेलेरी पोस्ट नहीं मानी जा सकती है। श्रीमती कान्ता कथूरिया को कोई छुट्टी की इजाजत लेनी पड़ती हो, यह बात नहीं है। मुझे आज 5 दिन की छुट्टी दिलवा दें तो कोई नहीं दे सकता। मैं पूछता हूं क्या उनका ट्रान्सफर हो सकता है? केवल एक कॉन्ट्रेक्ट का रिश्ता है। मैं वकील के नाते कहना चाहता हूं। एक बड़ा अच्छा सिद्धान्त है। वकीलों के इस प्रकार के फैसले हो जायं। हाई कोर्ट ने जो इन्टरप्रीटेशन किया है वह गवर्नमेंट की गलती के कारण है वह तो उसको लिख देते हैं। गवर्नमेंट का आदमी जिस प्रकार रटा रटाया ड्राफ्ट लिखता है उसी प्रकार यह हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे अधिकारों को छीन लें यह बिलकुल गलत काम है। वकीलों को विधान सभाओं से वंचित करना मेरे ख्याल से विधान

(श्री मूलचन्द डागा)

सभाओं में जो लाभ पहुंचा सकते हैं उनसे विधान सभा वंचित हो जायगी। जो इस प्रकार का कानून बन रहा है यह बिलकुल ठीक है। गवर्नमेंट की सतर्कता है। मिनिमम वेजेज एक्ट में हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उसमें फिर संशोधन लाये हैं, लाना चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हमारी भी लेजिसलेटिव बॉडी है। यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। मुरारजी साहब मुख्य मंत्री थे बम्बई के और छागला साहब हाई कोर्ट के जज थे। मुझे याद है अगर वे कानून बनाते थे तो उस कानून के अन्दर संशोधन और अमेन्डमेंट करते थे। छागला साहब हमारे ऐज्यूकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। हाई कोर्ट के जज थे और मुरार जी साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप व्यक्ति विशेष का सवाल क्यों लेते हैं, यह केवल श्रीमती कान्ता कथूरिया का सवाल नहीं है, कई वकीलों का सवाल है। यह हाउस ऑफ प्राफिट है यह गलत है, गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिसेस कान्ता कथूरिया को जिस समय गवर्नमेंट स्पेशल प्लीडर बनाया गया था उस समय यह कॉमन प्रैक्टिस थी कि हम अपने लोगों को जिनको वकालतनामा नहीं देकर स्पेशल प्लीडर बना दिया करते थे इसलिये एक जनरल प्रैक्टिस के आधार पर यह ऑर्डर्स इश्यू कर दिये गये जिसका न तो यह मतलब था कि वह कोई डिस्क्वालीफिकेशन इनकर कर लें, न यह मतलब था कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट क्रियेट करें और न यह मतलब था कि उनको परमानेन्ट गवर्नमेंट की नौकरी दी जाय। लेकिन फिर भी जिस समय यह सवाल सामने आया और यह फैसला हुआ तो हम मोरेली बाउन्ड थे। इसलिए जब मिसेस कान्ता कथूरिया को हमने अपनी ब्रीफ ऑफर की और उन्होंने जब ब्रीफ एक्सेप्ट की तो उस समय कोई ऑफिस ऑफ प्रोफिट का कन्सीडरेशन नहीं था और न हम क्रियेट करना चाहते थे। Inadvertrently एक चीज हो गयी और उस पर हाई कोर्ट का फैसला हो गया और हम ईमानदारी से यह चाहते थे कि जो चीज हम नहीं करना चाहते थे वह चीज हो गई। इसलिए अगर हमारी पॉवर्स में है तो हम उसको करेक्ट करें। मैं एश्योर करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के डिसीजन को हम चेलेन्ज नहीं करते, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो कान्स्टीट्यूशन ने हमें रेमेडी दी है और जिसका अधिकार हमको है उसको इस्तेमाल करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है और मोरेली बाइन्डिंग हो जाता है। इसलिए यह कहना कि इससे पहले ऐसे वाकयात नहीं हुए ऐसी बात नहीं है। यह कहना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देना मुनासिब था या नहीं उसके बारे में मैं अभी अर्ज करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पेश करता हूं जिसमें उडीसा के केस में गजेन्द्र गड़कर ने इसको माना है कि यह अधिकार गवर्नमेंट को है और गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस फैसले को सुनाना चाहता हूं। ए० आई० आर० 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 945-इसके अन्दर एक जगह जजमेंट देते हुए यह होल्ड किया है:

"Besides, if the power to validate by promulgating an

(श्री बरकतुल्ला खां)

ordinance is conceded to the Governor under Article 213 (1), it would not be easy to appreciate why it was not open to the Governor to issue an ordinance dealing with the Cuttuck Municipal Elections themselves. The Cuttuck Municipal Elections had been set aside by the High Court, and if the Governor thought that in the public interest, having regard to the factors enumerated in the Preamble to the Ordinance, it was necessary to validate the said elections, it would not necessarily follow that the Ordinance suffers from the vice of contravening Article 14."

तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया कि इस तरीके का ऑर्डिनेन्स निकाला जा सकता है। हम आर्टीकल 48 को कान्ट्राविन नहीं करते। इसी तरह से राजस्थान के अन्दर ही नहीं बल्कि भारत सरकार के अन्दर भी इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स निकाले गये हैं और उनकी मिसाल कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं :

Current Indian Statutes, 1962 (page 73). Act No. 68 of 1951.

उसके अन्दर जो दिया गया है;

"Short title and commencement:—

" It shall be deemed to have come into force on 26th day of January, 1950."

और यह निकाला कब गया है ? यह निकाला गया है।

" The following Act of Parliament received the assent of the President on 31st October, 1951 and published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 1, dated 1st Nov., 1951."

और इसी के अन्दर कहा गया है :

"The office of the Assistant Government pleader held under the Government of Assam for any period not exceeding beyond the 8th day of November, 1950."

इसी तरीके से दूसरा स्टेच्यूट जिसको मैं रेफर कर रहा हूं वह 1954 का है। उसके अन्दर पेज 59 के ऊपर कहा गया है : "Prevention of Disqualification (Parliament and Part 'C' State Legislatures) Act, 1953."

इसके अन्दर है

"Removal and Prevention of Disqualification for membership of Parliament in certain cases.—It is hereby declared that the following offices shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as or for being members of the Parliament."

तो इसके अन्दर भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के के साथ इस चीज को कहा गया है। दूर का उदाहरण नहीं देकर मैं अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब नॉन-कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें मिस्टर अवस्थी के बारे में एक नहीं दो ऑर्डिनेन्स निकाले गये हैं और दोनों

(श्री बरकतुल्ला खां)

ऑर्डिनेन्स के अन्दर इस बात का ख्याल रखा गया है कि उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट दिया जाये :

U. P. State Legislature (Prevention of Disqualification) Ordinance, 1967.

इसके क्लाज 3 में दिया गया है:

"It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the State Government, shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as or being a member of the State Legislature."

इसी तरीके से 3 (डी) में दिया गया है: "The office of the Member of Home Guards constituted under the U. P. Home Guards Adhiniyam, 1963."

यह पहला ऑर्डिनेन्स निकला। उसके बाद दूसरा ऑर्डिनेन्स जो निकला वह था:

"It shall be deemed to have come into force on the date of commencement of the U. P. Legislature (Prevention of Disqualification) Ordinance, 1967."

इसको भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। इसी तरीके पर मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में फिर एक ऑर्डिनेन्स बना जो कि बिल के फार्म में आया है और उसके अन्दर भी कहा गया है। इसी तरीके से पंजाब के अन्दर भी जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया:—

"The following Ordinance of the Governor of Punjab promulgated under Section(1) of Article 213 of the Constitution of India on the 19th August, 1967, is hereby published for general information."

इसके अन्दर क्लाज 2 (बी) के अन्दर कहा गया है:—

"It is hereby further declared that the office of the Chairman of Panchayat Samiti or Zila Parishad shall be deemed never to have disqualified and shall not disqualify the holder thereof from being chosen as or from being a member of the Punjab Legislative Assembly."

यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो दिया गया है तो राजस्थान में नई बात नहीं है बल्कि पूरे भारत के अन्दर अलग-अलग स्टेट्स में, आसाम के अन्दर, नागालैन्ड के अन्दर और दूसरी जगह भी इस तरीके के ऑर्डिनेन्स निकाले हैं और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी बैठी थी जिसने लेटेस्ट रिपोर्ट दी है। उसने दो बातों का खयाल रखा है। एक तो यह रखा है कि प्लेस आफ पेट्रोनेज होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि किसी को नौकरी दे सके, किसी को ओबलाइज कर सके और किसी को किसी तरीके से फायदा दे सके तो वह प्लेस ऑफ पेट्रोनेज होना चाहिए। दूसरी चीज

(श्री बरकतुल्ला खां)

उसके अन्दर रखी गई है कि कम्पेन्सेशन, जो कम्पेन्सेट एलाउन्स देते हैं वह जरूरत से ज्यादा हो तो ऑफिस ऑफ प्रोफिट होता है, लेकिन जहां तक लायर्स की फी का ताल्लुक है तो लायर्स फी के अन्दर वह क्लाइन्ट और उसके बीच के अन्दर तय होती है, और जो पैसा होता है और जिस तरीके से वह क्लाइन्ट का काम करता है तो जैसा कि मेरे दोस्त पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वह क्लाइन्ट का एम्प्लाई नहीं होता है, बट दिस इज कान्ट्रेक्ट और कान्ट्रेक्चुअल ओब्लीगेशन जो कान्ट्रेक्टी की होती है उसको वह डिसचार्ज करता है इसलिए इससें हम हाई कोर्ट के डिसीजन की नलिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी समझते हैं कि इस बिल को आपके सामने लाया जाय । मैं आपसे दर्ख्वास्त करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों के जो संशोधन के प्रस्ताव हैं उनके संबंध में यदि उनका वापस लेने का इरादा हो तो...

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय के भाषण के बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय तो उसको उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन का जो संशोधन प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उसको उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार । खण्ड (2) माननीय श्री यशवन्तसिंह नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खण्ड (2) के संबंध में मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार हैः—

"विद्यमान खंड 2 को उसके उप-खंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-खंड (2) जोड़ा जाय, अर्थात्:—

(2) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी,

Page No 119

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उपरोक्त पद, उनके धारकों को राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिये निर्रहित नहीं करेंगे या कभी भी निर्रहित करने वाले रहे नहीं समझे जायेंगे मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जब ऐसे धारक ने राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिये अपना नाम निर्देशन-पत्र भरा था ।"

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तक जो विधेयक है उससे ऐसा लगता है कि हम राजस्थान हाई कोर्ट को जो निर्णय हुआ है उसके खयाल से यह विधेयक लाने जा रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को फ्लाउट करने की हमारी मन्शा है । इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है:-

"किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, उपरोक्त पद, उनके धारकों को राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए निर्रहित नहीं करेंगे या कभी भी निर्रहित करने वाले रहे नहीं समझे जायेंगे मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त थे जब ऐसे धारक ने राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए अपना नाम-निर्देशन-पत्र भरा था ।"

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि लाभ का पद हमारे संविधान की धारा 191 में दिया हुआ है और यह कह कर छोड़ दिया गया है कि ऑफिस 'ऑफ प्रॉफिट' हो उसका लेने वाला विधान सभा में नहीं चुना जा सकता है ।

"(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualifiy its holder; "

निवेदन यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वह पद कितनी तरह का होता है । इसके लिए अलग-अलग स्टेट्स ने और केन्द्रीय सरकार ने इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर तरह-तरह के नियम-अधिनियम बनाये हैं कि किन-किन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न माना जाय (अगली बैंचों पर विराजमान माननीय सदस्यों के आपस में जोरों से बात-चीत करने के कारण एवं माइक पर ध्वनि स्पस्ट न आने के कारण अश्रव्य) । उनकी योजना के अनुसार उन्होंने अलग-अलग डिस्क्वालिफिकेशन्स यहां पर दिये हैं और रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन्स के लिए एक्ट वगैरह बनाये हैं । इतना अधिकार कई स्टेट में है और केन्द्रीय सरकार में भी है और उन पदों की संख्या मैं समझता हूं कि लगभग 200, 150 के करीब है । तो इनके द्वारा यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट है या हाई कोर्ट के द्वारा या दूसरे अधिकरणों के द्वारा यह तय नहीं हो जाय कि ये ऑफिस ऑफ

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

प्राफिट है तो उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिए एक्ट बनाये हैं। यह बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि असेम्बली में डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर देते हैं तो वह डिस्क्वालिफिकेशन्स नहीं रहेगी ऑफिस ऑफ प्रोफिट की वजह से और गलत बना हुआ नहीं माना जा सकता है।

इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं कई स्टेट में कई तरह के रिमूवल एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन्स ऑफ मेम्बर्स एक्ट बने हुए है। (ध्वनि अस्पष्ट होने के कारण अश्रव्य) अभी-अभी 1967 के इलेक्शन के बाद पंजाब में गुरुनामसिंह मिनिस्ट्री में दरबारासिंह जिनको परिषद् का चैयरमेन बनाया गया था उस पर इलेक्शन पिटीशन लड़ी गई तो उसमें यह बिलकुल लिखा गया है कि चैयरमेन, पंचायत समिति का होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसलिए उनको डिस्क्वालिफाई समझा जाय। इस बीच में पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली ने एक आर्डिनेन्स के बाद एक्ट पास कर दिया कि पंचायत समिति का चैयरमेन किसी तरह का ऑफिस ऑफ प्रोफिट नहीं माना जायगा और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो मैं निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि तो किन-किन पदों को लाभ का पद माना जाय? तो दुनिया में न्यूमरस पद हैं और उन पदों के सम्बन्ध में जब ऐतराज आता है कोई या उसकी पहले कल्पना कर ली जाती है कि ये-ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे और इन-इन पदों के बारें में डिस्क्वालिफिकेशन हटाते हैं और राज्यकर्त्ता के द्वारा खत्म करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एमेंडमेंट की सब धाराओं को स्वीकार कर लिया जाय (ध्वनि अस्पष्ट होने के कारण अश्रव्य) दो जजमेंटों में यह तय किया है। एक जजमेंट में कटक म्युनिसिपल बोर्ड, उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट एसाइड कर दिया था, और उसके बाद में एक ऑर्डिनेन्स लागू किया गया और उससे यह तय किया गया कि कटक म्युनिसिपल बोर्ड के सभापति महोदय को लेजिस्लेशन के द्वारा पॉवर डेलिगेट किये गये हैं। वह डेलिगेशन संविधान के मुताबिक होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि क्या जजमेंट कान्स्टीट्यूशनल प्रोविजन है या सुप्रीम कोर्ट कानून को इन्टरप्रेट करता है और राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसलिये मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 1962 को जो पेज 945 के पैरा 17 में दिया है, पढ़ देता

"It is true that the judgment delivered by the High Court under Art. 226 must be respected but that is not to say that the legislature, is incompetent to deal with problems raised by the said judgment if the said problems and their proposed solutions are otherwise within their legislative competence."

कॉन्स्टीट्यूशन की दफा 191 के तहत लेजिस्लेचर काम्पीटेन्ट है। विधान सभा कानून बना सकती है:—

"It would, we think, be erroneous to equate the judgment of the High Court under Art. 226 with Art. 226 itself and confer upon it all the attributes of the said constitutional provisoin."

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुनाई नहीं दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : सुनाई नहीं दिया है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर ने माइक परिवर्तित किया)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जजमेंट हाई कोर्ट का जजमेंट है हम उसको मानते हुए इस आर्डिनेंस को लाना चाहते हैं, और मेरा यह एमेंडमेंट केवल इस बात का है कि हाई कोर्ट का जजमेंट रहे, और चूंकि यदि हमने यह कल्पना कर ली होती कि प्रमुख का पद, प्रधान का पद को किसी न किसी दिन चुनौती दी जाकर किसी मेम्बर के द्वारा और यह तय हो कि लाभ का पद है, और इसके द्वारा 191 की डिस्क्वालिफिकेशन इनकर होती है तो इसके पहले इलेक्शन हुआ था उसके बाद ला सकते ह। आज भी वह काम्पीटेन्स ह कि यह लेजिस्लेचर इस बिल को लाये। जब यह लॉ लाया जाता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या इसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से पारित करें हाई कोर्ट का जजमेंट होते हुए भी और उसके लिए ऐसा कहें कि राजस्थान को हाई कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह लेजिस्लेटिव प्रोविजन पहले लाया गया होता तो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट और होता। राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट हो और हम यह कहना चाहते हैं और आज कहते हैं कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाना चाहिए। न आज मानना चाहिए, न इसके पूर्व माना जाना चाहिए। इसलिए चूंकि 1956 में सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया कि अल्ट्रा आउट लेजिस्लेटिवकॉम्पीटेन्स है हर स्टेट लेजिस्लेचर कि हर तरह इनवेरीएबली कोर्ट के द्वारा कुछ तय हो जाय तो इसको लेजिस्लेचर द्वारा वेलीडेट कर दिया जाय। अपने यहां पर ही राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज वेलिडेटिंग एक्ट है, राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेटिंग एक्ट है, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी वेलिडेटिंग एक्ट है और उसके सम्बन्ध में निर्णय ज्यों का त्यों रहता है, निर्णय नहीं बदलता है। इसलिये मेरा निवेदन है, मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि मेरा अमेंडमेंट वह स्वीकार करें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में माननीय सदस्य का जो संशोधन प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो संशोधन के साथ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

संशोधित खण्ड दो स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)
प्रश्न यह है कि खण्ड एक स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड एक स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधि मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां : पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

[**श्री रामचन्द्र आर्य :** (बैठे बैठे) धिक्कार !]

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 4.45 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 3-4-69 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 123

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 442 की सूची)

वर्ष 1967 व 1968 में भूतपूर्व सैनिकों, मोर्चे पर तैनात सैनिकों व युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को मुफ्त दी गई भूमि की सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	आंवटित भूमि बीघा	आंवटित भूमि बिस्वा
1	अजमेर	1346	—
2	जयपुर	1758	—
3	सीकर	1967	19
4	भरतपुर	1768	13
5	सवाई माधोपुर	1502	10
6	झुंझुनू	908	—
7	टोंक	912	10
8	अलवर	3320	—
9	जोधपुर	1971	15
10	बाड़मेर	3158	7
11	जैसलमेर	1462	10
12	नागौर	1654	4
13	जालोर	727	10
14	सिरोही	346	—
15	पाली	3437	10
16	बीकानेर	—	—
17	चूरू	8735	—
18	गंगानगर	75	10
19	उदयपुर	418	—
20	बांसवाड़ा	15	—
21	चित्तौड़गढ़	272	10
22	भीलवाड़ा	1640	—
23	डूंगरपुर	151	—
24	कोटा	758	7
25	बूंदी	193	—
26	झालावड़ा	122	15
27	राजस्थान नहर परियोजना (आयुक्त उपनिवेशन)	14737	10
	योग ...	53512	17

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 128 की सूची)

नगरपालिका, पाली के वर्तमान बोर्ड द्वारा नगर की विभिन्न उप-बस्तियों में आवंटन व नीलाम द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का विवरण

क्र० सं०	बस्ती का नाम	कुल संख्या		प्राप्त धनराशि
1	विनय नगर	37		33,300.00
2	आदर्श नगर (विस्तार)	39		54,750.00
3	वीर दुर्गादास नगर (विस्तार)	28		21,381.00
4	तिलक नगर	107		85,797.25
		(76	प्लॉटों की पुरी कीमत	79,143.75
		31	प्लॉट किश्तों पर	6,554.00
5	वीर दुर्गादास नगर	22	प्लॉट आवंटन द्वारा	16,298.50
		30	प्लाट नीलाम द्वारा	1,08,998.00
	(अ) आय भूमि विक्रय			3,20,525.25
	(ब) अर्ध-सरकारी संस्थाओं को आवंटन की गई भूमि से प्राप्त रकम			42,780.00
	(स) नगर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रिप ऑफ लैण्ड व नीलाम की गई जमीन से प्राप्त रकम			1,18,510.10
		योग कुल आय ...		4,81,725.35

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 449 की सूची)

लिस्ट अनाधिकृत कब्जा नगरपालिका सीमा में कस्बा लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर

क्रमांक	नाम अतिक्रमी	खसरा नम्बर जिसमें अतिक्रमण किया है	तादाद रकबा अतिक्रमण	अतिक्रमण का किस्म	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोपाल नायक	33911	॥) बी०	बा ा	
2	श्री रामदेव नायक	"	।) बी०	"	
3	सर्वश्री इस्फ अलादीन व्यापारी	1094	) 2 बी०	"	
4	श्री जीवण क़ाजी	"	।) बी०	"	
5	श्री भोला खटीक	10451	) 3 बी०	आबादी	
6	श्री बजरंगलाल चेजारा	"	) 2 बी०	"	
7	श्री भूरा खटीक	374	) 3 बी०	"	
8	श्री कुरडा खटीक	"	।) 2 बि०	"	
9	श्री भौजा रैमा खटीक	"	।) 1 बि०	"	
10	श्री केसा भूरा हणमाना माली	1046	॥) 1 बि०	"	
11	श्री रामला दरजी	1045	) 2 बि०	"	
12	श्री हुसेन नाई	1094	॥) 2 बि०	बाड़ा	
13	श्री इब्राहिम काजी	"	) 3 बि०	"	
14	श्री चोथू खटीक	374	।॥) 2 बि०	आबादी बाड़ा	
15	श्री काना खटीक	1045	) 3 बि०	आबादी	
16	श्री जोधा खटीक	374	।) 1 बि०	"	
17	श्री सुभान कसाई	1094	।॥) 2 बि०	बाड़ा	
18	श्री मोती हरिजन	"	) 2 बि०	"	
19	श्री समदा व्यापारी	"	।) बि०	"	
20	श्री मूला हरिजन	"	) 2 बि०	"	
21	श्री चुन्नीलाल	"	1) 1 बि०	"	
22	श्री फतु कायमखानी	"	।) 1 बि०	"	
23	श्री निवाज़ नाई	"	) 3 बि०	"	
24	श्री घासी क़ायमखानी	"	॥) 4 बि०	"	

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 639 की सूची)

क्र० सं०	गांव का नाम	जन सहयोग धन राशि (प्रश्न नं० 2 का उत्तर)	कार्य की स्थिति (प्रश्न नं० 3 का उत्तर)
1.	आहोर	1,000)	कार्य पूर्ण हो चुका है व योजना
2.	सांचोर	2,300)	चालू है।
3.	जसवंतपुरा	—	"
4.	बागरा	5,000)	"
5.	माडवला	—	"
6.	उम्मेदाबाद	—	"
7.	खेतड़ा	—	"
8.	दासपा	4,545)	"
9.	सियाना	1,780)	"
10.	रामसीन	5,000)	"
11.	बालवाड़ा	10,260)	"
12.	थूर	—	"
13.	गुड़ाबालोतरा	—	"
14.	विशनगढ़	3,500)	"
15.	नरसाना	3,000)	"
16.	देवावास	2,610)	"
17.	पानवा	500)	कार्य चालू है।
18.	ओडवाड़ा	—	"
19.	भवरानी	—	"
20.	रायथल	1,000)	"
21.	सायला	4,850)	"
22.	हरजी	—	कार्य चालू नहीं हुआ।
23.	पथिरी	15,000)	कार्य पूर्ण हो चुका है व योजना चालू है।
24.	बाकरा	7,500)	स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
25.	लेटा	7,500)	कार्य चालू है।
26.	मोरसीन	11,350)	स्वीकृति नहीं है।
27.	जाब	—	"
28.	चीतलवाड़ा	—	"
29.	केरला	—	"
30.	बड़गांव	—	"
31.	मालवाड़ा	—	"
32.	रानीवाड़ा	—	"
33.	सांथू	—	"
34.	धनसा	—	"
35.	केशवाना	5,000)	"
36.	मोदरा	5,000)	"
37.	मुडी	1,500)	कार्य चालू होना है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 641 का सूची)

सूची : मांग-पत्र

1. सरकारी आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारियों को 25-1-50 की ग्रेड में फिक्स दिया जाकर एरियर्स का भुगतान किया जावे।

2. प्रत्येक सफाई कर्मचारी को वर्दियां निम्नप्रकार दी जावें:—

(अ) पुरुष:—(ठण्डी)—2 पैन्ट, 2 कमीज तथा 2 टोपी।
(गरम)—2 कोट, 2 पैन्ट तथा 2 साफे।

(ब) स्त्री:—(ठण्डी)—2 साड़ी, 2 ब्लाउज तथा 2 पेटीकोट।
(गरम)—2 जरसियां तथा 2 शाल।

3. (अ) झाडू व टोकरी का भत्ता 4) 50 पैसे प्रति माह प्रति कर्मचारी दिया जावे।

(ब) भिश्तियों को मश्क एलाउन्स व रस्सी-बाल्टी का भत्ता 15) रुपया माहवार दिया जावे।

4. सरकारी आदेशानुसार मेडिकल एलाउन्स प्रति कर्मचारी 7) रुपया माहवार दिया जावे।

5. मकान भत्ता प्रति कर्मचारी 10) रुपया माहवार दिया जावे।

6. समस्त सफाई कर्मचारियों को प्रति माह प्रति कर्मचारी 2 बट्टी लायफबॉय साबुन की दी जावें।

7. (अ) गन्दे नाले, टट्टियां, ट्रेंचिंग तथा ट्रेक्टर-ट्रौली पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को गम-बूट व दस्ताने दिये जावें।

(ब) समाज को भिश्तियों को चमड़े के कमर के पट्टे तथा चमड़े के हाथों के दस्ताने दिये जावें।

8. (अ) सफाई कर्मचारियों को 15 दिन का आकस्मिक, डेढ़ माह का रियायती तथा 45 दिन का मेडिकल अवकाश दिया जावे।

(ब) सरकार द्वारा स्वीकृत 10 राष्ट्रीय पर्व एवं सामाजिक त्यौहारों का सवैतनिक अवकाश दिया जावे।

(स) मातृत्व स्थान पर जाने वाली महिला कर्मचारियों को 3 माह का सवैतनिक अवकाश दिया जावे।

9. बारां शहर की मौजूदा आबादी और बढ़ती हुई आबादी के अनुसार नगरपालिका में कम से कम 125 सफाई कर्मचारी और नियुक्त किये जावें ताकि सफाई कर्मचारियों के काम का बोझा हल्का हो।

10. भैंसा एलाउन्स 45) रुपया माहवार दिया जावे।

11. (अ) पालिका सफाई कर्मचारियों के लिये कॉलोनी का निर्माण करें।

(ब) सफाई कर्मचारियों के लिये श्रमिक केन्द्र खोला जावे जिसमें श्रमिकों की शिक्षा व मनोरंजन की व्यवस्था हो।

12. जिस मोहल्ले में सफाई मजदूर रहते हैं वहां पक्के पटान, बिजली तथा शिक्षा की व्यवस्था की जावे।

13. टट्टी गाड़ी, पेशाब गाड़ी तथा टट्टियों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बालटियां दी जावें।

14. सफाई इन्सपेक्टर साहब एवं बाबू लोगों का व्यवहार सफाई मजदूरों के प्रति अशुद्ध व गालीगलोच पूर्ण है अतः उनसे शुद्ध व्यवहार रखने को कहा जावे।

15. योग्य सफाई कर्मचारियों का इजाफा करके सिफाई व अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किया जावे।

16. सफाई मजदूरों के परिवर्तन कार्यानुसार किये जावें।

17. विशेष अवसरों पर कर्मचारियों से अधिक समय काम लिया जाता है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त कार्य व समय का एलाउन्स भुगतान किया जावे।

18. कर्मचारियों का प्रोविडेण्ट फण्ड काटा जाव।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 654 की सूची)

सूची

क्र० सं०	तारीख	स्थान	कार्य
1.	20-3-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
2.	27-3-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
3.	5-4-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
4.	25-5-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
5.	7-6-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
6.	1-8-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
7.	7-8-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
8.	2-9-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
9.	6-9-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
10.	8-11-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
11.	21-11-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
12.	13-12-68	जयपुर	पालिका के कार्य से
13.	10-1-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
14.	16-1-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
15.	20-1-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
16.	28-1-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
17.	22-2-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
18.	8-3-69	जयपुर	पालिका के कार्य से
19.	14-3-69	जयपुर	पालिका के कार्य से

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 660 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

विषय :—अनधिकृत एवं अकृष्ट सरकारी भूमियों के प्रथम बार कृषि हेतु आवंटित होने पर लगान वसूल करने का प्रश्न।

अनधिकृत एवं अकृष्ट सरकारी भूमियों के प्रथम बार कृषि हेतु आवंटित होने पर लगान वसूल करने के प्रश्न पर कुछ समय पूर्व से सरकार का ध्यान लगा हुआ है। कुछ एक मामलों में ऐसी अनधिकृत एवं अकृष्ट भूमि का लगान निर्धारित है। जबकि अन्य में लगान निर्धारित नहीं है। यदि किसी भूमि का अभिलिखित भू-वर्ग अकृष्ट है तो भी यदि लगान निर्धारित है तो वह अकृष्ट भूमि की दर से ही निर्धारित है। अनधिकृत एवं अकृष्ट भूमियों का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा नियमानुसार वंटिती से बिना समय गंवाये भूमि पर कृषि करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे ही आवंटित अकृष्ट भूमि जोत के नीचे आती है, यह अकृष्ट भूमि समाप्त हो जाती है और कृष्ट भूमि हो जाती है। इसके ऐसा होने से, अकृष्ट भूमि पर लागू लगान दर आगे लागू नहीं होती तथा लगान कृष्ट भूमि के निम्नतम वर्ग की लगान दरों से वसूल किया जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि यदि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सर्वे रिकार्ड्स एवं सैटिलमेंट) गवर्नमेंट रूल्स, 1957 के नियम 39(1) के अनुसार वह असिंचित अकृष्ट (परत, बन्जर अथवा कोई स्थाई अनुरूप) भूमि थी तो बारानी भूमि के निम्नतम वर्ग की दर से, और यदि सिंचित अकृष्ट (उदाहरणार्थ, परत, चाही या परत नहरी जो कदाचित ही ऐसी हो) भूमि हो तो चाही या नहरी के निम्नतम वर्ग की दर से जो ऐसी ही निकटवर्ती कृष्ट भूमि पर लागू हो।

(2) कलेक्टरों से निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त तहसीलदारों को उपरोक्त दिशा में अनुदेश जारी करें कि भूमि आवंटन पर भूमि की किस्में तब्दीली कराने (राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स, 1957 के पैरा 86 तथा 164 पृष्ठ (99) और जैसे ही भूमि जोत के नीचे आये, तो अब किस कृष्ट वर्ग में भूमि आती हो, की लगान दर से लागू उपर्युक्त लगान वसूल करने के निर्देश दे। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैण्ड टू कोआपरेटिव सोसाईटीज) रूल्स, 1959 अथवा अन्य किन्हीं आवंटन नियमों के अधीन भविष्य में भूमि के आवंटन के मामलों में, इस स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

[संख्या एफ० 6 (34) राज/ग्र/नूर-1/63, दिनांक 12 नवम्बर, 1963]

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 662 की सूची)

सत्र 1968-69 म एक बार से अधिक स्थानान्तर हुए अध्यापकों की सूची

क्रमांक	नाम अध्यापक	स्थानान्तर कहां से	स्थानान्तर कहां का	स्थानान्तर का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री रिद्धचन्द जैन	उ०मा०वि०, आलनपुर	मा० वि० गाढखेड़ा,	15-12-68
		मा० वि० गढ़खेडा	उ०प्रा०वि०, न्यू कॉलोनी स० मा०	16-1-69
2.	श्री छैलबिहारी शर्मा	उ० प्रा० वि०, बगडी	उ० प्रा० वि०, तलावड़ा	11-1-69
		उ० प्रा० वि०, तलावड़ा	मा० वि० नं०, 5 गंगापुर	18-1-69
3.	श्री बजरंगलाल	उ० प्रा० वि०, न्यू कॉलोनी स० मा०	उ० प्रा० वि०, कुरतला	5-8-68
		उ० प्रा० वि०, कुरतला	उ० प्रा० वि०, न्यू कॉलोनी स० मा०	11-1-69
4.	श्री भगवत प्रसाद शर्मा	प्रा० वि०, केशवपुरा हिन्डौन	प्रा० वि० नं० 9, हिन्डौन	5-8-68
		मा० वि० नं० 9, हिन्डौन	मा० वि०, हिन्डौन	25-9-68
		प्रा० वि०, हिन्डौन	प्रा० वि०, केशवपुरा, हिन्डौन	1-2-69
5.	श्री गौरी शंकर	प्रा० वि०, नईमण्डी हिंडौन	प्रा० वि० नं० 9, हिण्डौन	5-8-68
		प्रा० वि० नं० 9, हिण्डौन	प्रा० वि० नं० 3, हिण्डौन	14-12-68
6.	श्री ताराचन्द जैन	प्रा० उ० मा०, वि० सवाई माधोपुर	उ० मा० वि०, गंगापुर	10-1-69
		उ० मा० वि०, गंगापुर	उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर	31-1-69
7.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद	उ० मा० वि०, आलनपुर	आ० उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर	अगस्त, 68
		प्रा० उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर	उ० प्रा० वि०, न्यू कॉलोनी स० मा०	25-1-69
8.	श्री राम किशोर	मा० वि०, गढ़खेड़ा	मा० वि०, मण्डरायल	10-11-68
		मा० वि०, मण्डरायल	मा० वि०, गढखेडा	30-11-68
9.	श्री विमलचन्द जैन	उ० प्रा० वि०, आलनपुर	मा० वि०, मण्डरायल	11-9-68
		मा० वि०, मण्डरायल	आ० उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर	6-1-69
10.	श्री प्रेम चन्द जैन	मा० वि०, सूरोठ	मा० वि०, नादोती	18-7-68
		मा० वि०, नादोती	उ० प्रा० वि०, मा० गेट करोली	10-9-68
		उ० प्रा० वि०, मा० गेट, करोली	उ० प्रा० वि०, मलारना डूंगर	30-11-68

Page No 132

1	2	3	4	5
11.	श्री कन्हैयालाल पाठक	मा० वि०, रतनजिला	उ० प्रा० वि०, कांचरोली	7-8-68
		उ० प्रा० वि०, कांचरोली	उ० प्रा० वि०, गंगापुर	18-8-68
		उ० मा० वि०, गंगापुर	उ० प्रा० वि०, सिकरौंदा	11-9-68
12.	श्री मंगल चन्द जैन	प्रा० वि० नं० 2, गंगापुर	प्रा० वि० नं० 4, गंगापुर	19-9-68
		प्रा० वि० नं० 4, गंगापुर	प्रा० वि० नं० 5, गंगापुर	22-12-68
13.	श्री जगदीशप्रसाद कौशिक	मा० वि०, महुवा	मा० वि०, दतोव	17-9-68
		मा० वि०, दतोव	मा० वि०, मण्डावर	29-11-68
		मा० वि०, मण्डावर	मा० वि०, नागलपहाड़ी	13-12-68
14.	श्री मूलचन्द गिरी	मा० वि०, चौथका बरवाड़ा	मा० वि०, कुड़गांव	23-8-68
		मा० वि०, कुड़गांव	उ० मा० वि०, करौली	20-11-68
15.	श्री किरोड़ी लाल	उ० प्रा० वि०, करौली	उ० मा० वि०, चौथका बरवाड़ा	6-1-69
		मा० वि०, मासलपुर	मा० वि०, श्री महावीरजी	8-2-69
16.	श्री शंकर देव शर्मा	उ० मा० वि०, जटवाड़ा	उ० मा० वि०, श्यामपुरा	18-7-68
		उ० प्रा० वि०, श्यामपुरा	उ०प्रा०वि०, मलारनाचोड	31-12-68
17.	श्री गोपाल प्रसाद	मा० वि०, वजीरपुर	उ०प्रा० वि०, जटवाड़ाकलां	18-7-68
		उ० मा० वि०, जटवाड़ा	मा० वि०, रतनजिला	23-8-68
18.	श्री वासुदेव शर्मा	उ० प्रा० वि०, शेरपुर हिण्डौन	उ० मा० वि०, सिकरौंदा	23-8-68
		उ० प्रा० वि०, सिकरौंदा	मा० वि०, मण्डरायल	6-1-69
19.	श्री वीरेन्द्र कुमार	मा० वि०, खण्डार	मा० वि०, नादोती	29-10-68
		मा० वि०, नादोती	उ० मा० वि०, गंगापुर	25-12-68
20.	श्री कृष्णचन्द्र चतुर्वेदी	उ० प्रा० वि०, फतेहपुर	उ० मा० वि०, महूइब्राहीमपुर	5-8-68
		उ० मा० वि०, महू इब्राहीमपुर	प्रा० वि० नं०, 2 करौली	10-2-69
21.	श्री प्रहलाद गुप्ता	उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	25-9-68
		उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	23-12-68
		उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	उप-निदेशक द्वारा निरस्त।
22.	श्री लख्खीराम शर्मा	उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	25-9-68
		उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	उप-निदेशक द्वारा निरस्त एवं पुनःपरिवर्तन।
		उ० प्रा० वि०, तालचिड़ी	उ० प्रा० वि०, ढिंढोरा	
23.	श्री मांगीलाल गुप्ता	उ० प्रा० वि०, नागलपहाड़ी	मा० वि०, महुवा	4-10-68
		मा० वि०, महुवा	उ० मा० वि०, पावटा	13-12-68
24.	श्री गंगाप्रसाद शर्मा	उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर	मा० वि०, मासलपुर	9-10-68
		मा० वि०, मासलपुर	उ० प्रा० वि० बामनबड़ोदा	30-11-68

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूची)

सूची

क्र० सं०	नाम पटवारी	तहसील	रकम
1.	श्री हनुमान सिंह	परबतसर	462.52
2.	श्री नन्दलाल	"	415.53
3.	श्री मूलाराम	नागौर	207.00
4.	श्री रवेन्द्रसिंह	"	696.00

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 494 की सूची)

सूची

क्र० सं०	नाम	कार्यकाल	निलम्बित तिथि	आरोपों का सूक्ष्म विवरण
1.	श्री हरदत्त सारस्वत	1-12-65 से	30-9-66	भूमि आवंटन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के मामलों में अनियमितताएं करने, पटवारियों की डायरियां व घटना बहियां अपने पास रख लेने, मासिक सारांश समय पर पेश नहीं करने तथा पटवार मण्डलों का निरीक्षण नहीं करने आदि ।
2.	श्री के० पी० जैन	12-10-66 से	16-5-67	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अन्य तहसील कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, परेशान करना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना । राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत मामलों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना और रिश्वत लेना आदि ।

दोनों तहसीलदार जेर तजवीज विभागीय जांच के निलम्बित से बहाल दिनांक 17-10-68 व दिनांक 23-12-68 को किया जा चुका है ।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूची)

लिस्ट आसामियान जिनको सन् 66 में ग्राम हरीपुरा के काश्तकारान को भूमि जरिये नीलाम बेची गई: तहसील बून्दी, राजस्थान

नाम ग्राम	नाम खरीददार मय पूरा पता	नम्बर खसरा	रकबा एकड़ों में	रकम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
हरीपुरा	श्री महेश चन्द्र आ० प्रहलाद दास महा० ओसवाल, सा० मेरठ, हाल हरीपुरा	2/2 मि० / 6	24	11,301)	
,,	श्री योगध्यान आ० राम नारायण आरोड़ा, सा० मेरठ, हाल हरीपुरा	4/1	24	12,101)	
,,	श्री कैलाशचन्द्र आ० प्यारेलाल महा०, सा० मेरठ हाल, हरीपुरा	व मि०	14	6,901)	
,,	श्री हीरालाल आ० लछमन गूजर, नृसिंहपुरा	1/2	17½	8,531)	
,,	श्री प्रभू आ० उद्दा गूजर, सा० हरीपुरा	2/2/2	6	1,751)	
,,	श्री भैरूलाल आ० देवलाल गूजर, सा० देई खेड़ा	1/1 मि०	24	13,001)	
	योग ..	6	109½	53,586)	

Page No 135

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की सूची)

पर्वों की सूची जिन पर बूचड़ व कसाईखाना बन्द रखने के राजस्थान सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं

1. गणेश चतुर्थी
2. ऋषि पंचमी
3. अनन्त चतुर्दशी
4. गांधी जयन्ती
5. गांधी निर्वाण दिवस
6. महा शिवरात्रि
7. रामनवमी
8. बुद्ध जयन्ती
9. महावीर जयन्ती
10. कृष्ण जन्माष्टमी
11. गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)
12. दीपमालिका
13. कार्तिक पूर्णिमा
14. स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त)

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची)

तालिका कर्मचारीगण, नगरपालिका, नवलगढ़ जिनको निलम्बित अवस्था
वेतन का भुगतान किया गया है

नाम कर्मचारी	पद	समय	राशि जो दी गई
1. श्री बनारसीलाल	हरिजन	1-1-67 से 22-10-67	700.26
2. श्री बसन्तलाल	हरिजन	28-8-67 से 31-12-67	409.75
3. श्री जगदीश	हरिजन	28-8-67 से 31-12-67	395.55
4. श्रीमती मूंगली	हरिजन	28-8-67 से 31-12-67	364.00
5. श्रीमती केशरी	हरिजन	28-8-67 से 31-12-67	364.00
6. श्री सत्यनारायण	नाकेदार	1-5-67 से 30-6-67	185.64
7. श्री उम्मेदसिंह	नाकेदार	1-5-67 से 30-6-67	166.60

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

कोटा जिले के थानेवाईज चोरी, अपहरण, कत्ल व मारपीट की सूची

क्र० सं०	थाने का नाम	चोरी	अपहरण	कत्ल	मारपीट
1	2	3	4	5	6
1.	कोतवाली	93	2	—	20
2.	नयापुरा	120	5	1	12
3.	भीमगंज मंडी	116	14	1	11
4.	मकबरा	150	1	1	10
5.	गुमानपुरा	235	12	1	18
6.	सुलतानपुर	22	2	—	27
7.	बुढादीत	30	—	1	16
8.	इटावा	14	1	2	4
9.	खारोली	26	2	1	7
10.	इन्द्रगढ़	13	—	1	4
11.	गंडाना	30	1	—	11
12.	केथून	60	2	2	32
13.	चेचट	33	1	2	15
14.	रामगंज मंडी	52	3	3	29
15.	कनवास	32	3	1	6
16.	सांगोद	48	7	2	10
17.	छबड़ा	22	2	2	43
18.	छीपा बड़ोद	17	8	—	33
19.	अटरु	45	—	2	36
20.	मेठपुर	28	2	—	18
21.	हरनावदा	25	1	1	21
22.	बावचीया	20	—	2	30
23.	केशोरायपाटन	4	2	1	1
24.	शाहबाद	24	6	—	2
25.	भंवरगढ	27	2	—	5
26.	नाहरगढ़	22	1	—	3
27.	बारां	67	2	3	20
28.	मांगरोल	19	2	—	8
29.	किशनगंज	39	5	2	16
30.	अंता	47	5	1	10
	योग	1,470	94	33	478

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

नक्शा मुकद्दमात डकैती, चोरी, लट व हत्या वर्ष 1966, 1967, 1968, मण्डल जालार

क्रम संख्या	शीर्षक अपराध	वर्ष	रिपोर्ट	अदम वकूआ 150 वीं	सी० आर० पी० सी०	अदम पता	अदम सबूत	पेंडिंग तफतीश	चालान 512	चालान	सजा	बरी	रिहा	राजीनामा	पेंडिंग ट्रायल	नम्बर मुकद्दमात जिसमें बरामदगी हुई।	नम्बर मुकद्दमात जिसमें बरामदगी नहीं हुई
1.	हत्या	1968	18	3	..	1	..	3	..	11	..	..	..	..	11	..	..
		1967	16	6	..	2	..	1	..	7	1	1	..	..	5	..	..
		1966	17	2	..	..	..	..	..	15	8	4	1	..	2	..	..
2.	डकैती	1968	1	5	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	3	2	1
		1967	8	5	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1
		1966	7	2	..	..	..	..	..	5	..	1	1	1	1	1	4
3.	लूट	1968	52	18	..	5	..	3	..	16	..	1	..	1	24	17	17
		1967	63	31	..	1	1	..	..	30	5	5	..	2	19	12	20
		1966	48	12	..	5	2	..	..	21	9	7	5	5	7	17	11
4.	सरका मवेशी	1968	47	6	..	4	..	4	2	31	4	..	..	3	24	28	11
		1967	51	11	..	10	1	..	2	35	3	7	4	4	17	34	14
		1966	46	12	..	7	..	..	2	25	14	4	..	3	4	29	5
5.	अन्य चोरी	1968	121	38	7	26	5	12	1	32	3	1	..	5	23	24	51
		1967	162	52	4	21	5	..	2	71	15	8	3	23	22	45	66
		1966	121	32	8	22	5	..	1	53	18	11	2	18	4	34	55

माल मसरूका व बाजीयाफ्ता वर्ष 1966-67-68, मण्डल जालोर

क्रम संख्या	विवरण अपराध	वर्ष	माल मसरूका	माल बाजीयाफ्ता
1.	डकैती	1968	1,690.00	1,600.00
		1967	7,500.00	200.00
		1966	270.00	50.00
2.	लूट	1968	20,156.85	6,746.71
		1967	8,370.00	4,990.00
		1966	7,741.20	5,247.20
3.	पशु चोरी	1968	26,246.00	21,241.00
		1967	32,235.00	26,595.00
		1966	36,861.00	31,239.00
4.	अन्य चोरी	1968	26,914.11	16,200.00
		1967	30,541.00	1,215.00
		1966	16,794.75	9,474.79

मुकद्दमात चोरी, लूट, डकैती व हत्या वर्ष 1966, 1967, 1968, मण्डल जालोर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं

क्र सं०	शीर्षक अपराध	वर्ष	मुन्सिफ कोर्ट, सांचोर	मुन्सिफ कोर्ट, भीनमाल	मुन्सिफ कोर्ट, जालोर	एडिशल कोर्ट, जालोर	विशेष विवरण
1.	हत्या	1968	1	2	3	5	
		1967	—	—	—	5	
		1966	—	—	—	2	
2.	डकैती	1968	—	2	1	—	
		1967	—	—	—	3	
		1966	—	—	—	1	
3.	लूट	1968	10	4	10	—	
		1967	5	8	6	—	
		1966	1	5	1	—	
4.	सरका मवेशी	1968	9	5	10	—	
		1967	6	7	4	—	
		1966	1	2	1	—	
5.	अन्य चोरी	1968	9	15	10	—	
		1967	4	5	13	—	
		1966	—	3	1	—	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1969)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1		10	खनीज	खनिज
4	शीर्षक		तार रकित	तारांकित
8		13	श्री दिग्विजय सिं	श्री दिग्विजय सिंह
10	अन्तिम से	11	बक्स	बुक्स
10	,,	5	आथस	आथर्स
13	,,	5	श्री लक्ष्मण टानीवाल	श्री लक्ष्मण तानीवाल
15		11	बनत	बनते
16	अन्तिम		भमि	भूमि
22	अन्तिम से	6	कर	करें
32	,,	7	नैवस्ट	नैक्स्ट
34	,,	6	उपलिब्ध	उपलब्धि
38		9	श्री रामनारायण चाधरी	श्री रामनारायण चौधरी
41	शीर्षक		अनुपस्थि	अनुपस्थित
41		2	सुजानग	सुजानगढ़
43		5	स	इस
45	अन्तिम से	6	अनुसूचिन	अनुसूचित
47		14	बलाया	बुलाया
53	अन्तिम से	3	बं बस्त	बन्दोबस्त
62		6	करा	करादें
64	अन्तिम से	8	बता	बताने
65	,,	2	जाता	जाता है
96	,,	12	पदा	पैदा
102		1	रूप पुनः	रूप से पुनः
107		5	का	को
111	अन्तिम से	12	प्रदश	प्रदेश
111	,,	11 व 7	ह	है
117		17	दिलावनें	दिलवाने
121		14	स्थित	स्थिति
123		13	की की	की
156		6	स्थानभाव	स्थानाभाव
58	अन्तिम से	10	सेभा	सभा

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
167		10	दिया	दिये
167		18	डव	डूब
169	अन्तिम से	12	चरापाई	चारपाई
171		9	इन्द्रराज	इन्द्राज
172	अन्तिम से	10	किस्सी	किस्सा
174	,,	10	सवन्टस	सर्वेन्ट्स
176		11	दिया	दिये
177		9	वलेज	विलेज
191		11	गवर्नमट	गवर्नमेन्ट
206		2	(सादूालपुर)	सादूलपुर)
209	शीर्ष		(हंसराज आर्य)	(श्री हंसराज आर्य)
212	अन्तिम से	16	श्री पी० के० चाघरी	श्री पी० के० चौधरी
212	,,	13	देखेंग	देखेंगे
216	,,	10	(निर्रहत्त निवारण)	(निरर्हता निवारण)
225		12	लेजिस्लेशन	लेजिस्लेचर
227	अन्तिम से	3	सेलेरी	सेलेरीड
230		9	Inadvertrently	Inadvertantly
231		20	ो	तो
232	अन्तिम		ो	दो
258		3	कर्मचारी गुण	कर्मचारीगण
260		3	लट	लूट
260		3	जालार	जलोर
262		3	एडिशल	एडिशनल